सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - ज्योति बा फूलेनगर

जनपद ज्योतिबा फूले नगर

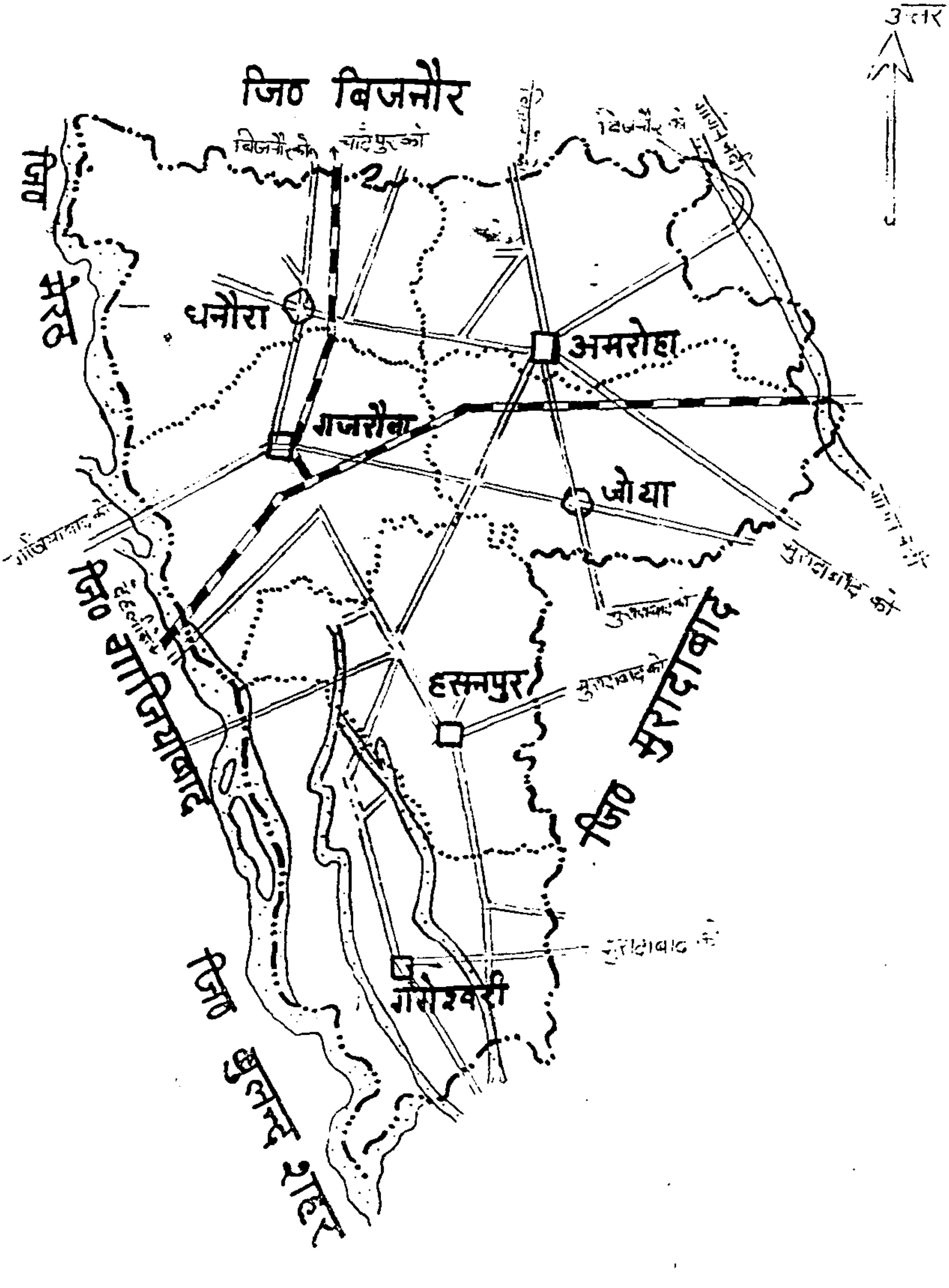

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठ भूमि	1-3
2.	शैक्षिक परिदृश्य	4-18
3.	नियोजन प्रक्रिया	19-32
4.	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	33-37
5.	समस्याएँ एवं रणनीतियाँ	38-44
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार 1. नवीन विद्यालय	45-60
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार 2. **E.G.S./A.I.E.**	61-80
8.	ठहराव में वृद्धि	81-107
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	108-129
10.	परियोजना प्रवन्ध एवं अनुश्रवण	130-147
11.	परियोजना लागत	148-153
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं वजट	154-164

अध्याय-1

जनपद की पृष्ठ भूमि

भूमिका:-

जनपद ज्योतिबाफुले नगर उत्तर प्रदेश के 70 जनपदों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है जिसे मुरादाबाद को विभाजित कर तीन तहसील- अमरोहा, धनौरा एवं हसनपुर को सम्मिलित कर 15 अप्रैल 1997 को बनाया गया है। इस जनपद का मुख्यालय अमरोहा है। इस जनपद का नाम प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं दलित योजना जागृति के मुख्य स्तम्भ "महात्मा ज्योतिबाफुले" के नाम पर रखा गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि:-

ऐतिहासिक दृष्टि से यह जनपद बहुत महत्वपूर्ण है। जे0पी0नगर प्राचीन समय में उत्तर पांचाल देश का हिस्सा था तथा इसकी राजधानी "अहिक्षेत्र"(वर्तमान बरेली) थी। इस जनपद की कई ऐतिहासिक विशेषताएँ है। प्रसिद्ध इतिहासविद् प्रो0 अजीज अहमद के अनुसार तेरहवी सदी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुगलों ने उत्तरी भारत में अमरोहा तक हमला किया था। स्थानीय बुजुर्ग लोगों से यह भी सुना जाता है कि अमरोहा नगर का नाम दो सार्थक शब्दों "आम तथा रोहू" से मिलकर बना है क्योंकि यहाँ पर आम तथा रोहू मछली की अधिक पैदावार होती है। यह भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध महान सूफी सन्त हजरत शाह विलायत शर्फुद्दीन, जिनका मजार आज भी शहर के एक किनारे स्थित है तथा जिसके परिसर में साँप व बिच्छू नहीं काटते हैं, के द्वारा इस नगर का नाम अमरोहा रखा गया था। इसी नगर में हिन्दुओं का दूसरा धार्मिक तीर्थ बाबा वासुदेव का ऐतिहासिक मंदिर है।प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निदेशक कमाल अमरोही शहर अमरोहा के ही रहने वाले थे।

भौगोलिक विशेषताएँ:-

यह जनपद 28 एवं 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 78 व 79 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके पश्चिम में गाजियाबाद एवं जे0पी0नगर को पृथक करते हुए गंगा नदी बहती है। उत्तर में जनपद बिजनौर, पूर्व में मुरादाबाद एवं दक्षिण-पूर्व में बदायूं जनपद स्थित है। दिल्ली से कलकत्ता तक जाने वाला राष्ट्रीय राज मार्ग 24 इस जनपद के मध्य से होकर गुजरता है। जनपद मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी से 131 कि0मी0 दूर स्थित है। इस जनपद में

गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है। ग्रीष्म कालीन दक्षिण पूर्वी मानसून द्वारा लगभग 1135 मि0मी0 तक वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में जनपद की दो तहसीलों का लगभग 1/3 भाग बाढ़ ग्रस्त हो जाता है।

प्राकृतिक बनावट के अनुसार जनपद का अधिकांश भाग समतल है और वहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है। कुछ भाग बलुई मिट्टी से युक्त भूड़ क्षेत्र कहलाता है। गंगा नदी के आस पास कछारी मिट्टी का क्षेत्र भी पाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यह एक सम्पन्न जनपद है। यहाँ मुख्य रूप से आम, शीशम, नीम एवं जामुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। कृषि एवं पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। गन्ने की यहाँ पर मुख्य रूप से पैदावार की जाती है।

उद्योग धन्धों के दृष्टि कोण से विकास खण्ड गजरौला में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है जिसमें लगभग दो दर्जन छोटी वड़ी औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं जिनमें कई प्रान्तों के व्यक्ति सेवा एवं मजदूरी पर कार्य करते हैं और परिवार सहित रहते हैं।

जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ:-

सारणी-1.1

क्रम संख्या	इकाई का नाम	इकाई की संख्या
1.	तहसील	3
2.	विकास खंड	6
3.	न्याय पंचायत	48
4.	ग्राम पंचायत	477
5.	राजस्व ग्राम	1124
6.	आबाद गाँव [illegible]	[illegible]
7.	नगर पंचायतें	4
	नगर पालिका परिषद	4

स्रोत- जिला सांख्यिकी कार्यालय

जनसंख्या :-

1991 की जनगणना के अनुसार जनपाद जे0पी0 नगर की कुल आबादी 1179933 है. जिसमें से 633736 पुरूष तथा 546202 महिलायें हैं। जनपद का नगरीय क्षेत्र पूर्णतः मुस्लिम बाहुल्य है। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ भाग मुस्लिम बाहुल्य हैं. जैसे विकास क्षेत्र जोया का तुर्क बाहुल्य क्षेत्र तथा विकास क्षेत्र धनौरा व गजरौला के गंगा किनारे के ग्रामीण क्षेत्र का कुछ भाग अति पिछड़ा एवं निर्धन है जिसमें गजरौला, हसनपुर एवं गंगेश्वरी का गंगा के किनारे का क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों में साक्षरता दर आज भी बहुत कम है।

सारणी-1.2

क. सं.	विकास क्षेत्र का नाम	1991 की संख्या						2001 की अनुमानित जनसंख्या					
		कुल जन संख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			कुल जन संख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	अमरोहा	85696	72682	158378	14686	12489	27175	108885	92350	2012135	18660	15869	34529
2.	जोया	115519	99081	214600	23524	19975	43499	146778	125892	272670	29890	25380	55270
3.	धनौरा	69681	59064	128745	15641	13187	28828	88537	75047	163584	19873	16755	36628
4	गजरौला	61489	53138	114627	11603	10150	21753	78128	67517	145645	14743	12897	27640
5.	हसनपुर	69683	59290	128973	11854	10112	21966	88539	753348	163873	15062	12848	27910
6.	गंगेश्वरी	69216	57830	127046	13969	11573	25542	87946	73479	161425	17749	14705	32454
योग ग्रामीण क्षेत्र		471284	401085	872369	91277	77486	168763	598813	509619	1108432	115977	98454	214431
योग नगर क्षेत्र		162452	145117	307569	15161	12752	27913	206412	184385	390797	19264	16203	35467
महायोग		633736	546202	1179938	106438	90238	196676	805225	694004	1499229	135241	114657	249898

स्रोतः- जिला सांख्यिकी कार्यालय जे0पी0नगर द्वारा जारी सांख्यिकी पत्रिका।

वर्ष 2001 की जनगणना के ऑकड़े जिला जनगणना कार्यालय एवं सांख्यिकी कार्यालय में विकास खण्डवार उपलब्ध नहीं हैं, अतः 2001 की विकास खण्डवार जनगणना हेतु वर्ष 1991 की जनगणना पर 2.7 की वृद्धि दर से प्रोजेक्टेड कर प्राप्त किया गया है।

अध्याय-2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्यः-

जनपद में 3 तहसील एवं 6 विकास खण्ड है तथा 4 नगर पंचायत परिषद क्षेत्र हैं। चार नगर पंचायतों में चल रहे विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के विकास खण्डों के अन्तर्गत ही आते हैं। जनपद में तीन स्नातक स्तर एवं एक स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय हैं। छः माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालय हैं। 96 सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन उच्चतर माध्यमिक एवं इन्टर कालेज हैं। जनपद में 1997 से डी0पी0ई0पी0-I। कार्यक्रम चल रहा है तथा औपचारिक विद्यालयों के अतिरिक्त साक्षरता कार्यक्रम एवं ऑगनबाडी केन्द्र भी संचालित हैं। जिले में 1991 की जनगणना पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि विकास क्षेत्र अमरोहा में साक्षरता दर सबसे अधिक 34.5 प्रतिशत तथा गंगेश्वरी में सबसे कम 16.5 प्रतिशत है।

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद में विकास क्षेत्रवार साक्षरता दर निम्नवत थी-

सारणी-2.1

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	कुल साक्षर व्यक्तिओं की संख्या			साक्षरता प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	अमरोहा	33574	8657	42231	49.82	15.29	34.25
2.	जोया	41443	10733	52176	49.4	15.1	33.67
3.	धनौरा	25881	5923	31804	46.67	12.8	31.27
4.	गजरौला	22032	5064	27096	45.62	12.34	30.34
5.	हसनपुर	20840	3486	34326	37.09	7.61	34.13
6.	गंगेश्वरी	14592	1903	16495	26.69	4.26	16.58
योग-ग्रामीण क्षेत्र		158362	35766	194128	33.6	8.9	22.25
नगर क्षेत्र		57538	33291	90829	35.41	22.94	29.53
योग		215900	69057	284957	34.59	12.61	24.42

स्रोतः- जिला सांख्यिकी कार्यालय ज्यो0फु0नगर द्वारा जारी जनपद की सांख्यिकी पत्रिका वर्ष 1998

1991 की जनगणना के आधार पर जनपद में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 284957 रही है जो कुल जनसंख्या का 24.42 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 194128 है जो ग्रामीण जनसंख्या का 22.25 प्रतिशत है तथा नगर क्षेत्र में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 90829 पायी गयी जो नगरीय जनसंख्या का 29.53 प्रतिशत है।

जनपद में 2001 की जनगणना के आधार पर वास्तविक जनसंख्या व साक्षरता प्रतिशत निम्नवत् है-

<u>सारणी -2.2</u>

कुल जनसंख्या			साक्षर जनसंख्या			साक्षरता प्रतिशत		
पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
795439	703754	1499193	505025	246806	751831	63.49	35.07	50.21

स्रोत:- जिला जनगणना कार्यालय जे0पी0नगर

(क) प्रार्थमिक स्तर पर नामांकन:-

<u>सारणी-2.3</u>

वर्ष	6 से 11 वय वर्ग की कुल जनसंख्या			पंजीकृत बच्चों की संख्या			जी.ई.आर
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-2001	114704	101916	216620	107351	82322	189673	87.56
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

स्रोत:- विभागीय ऑकड़े

(ख) शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता:-

जनपद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का विवरण निम्न लिखित सारणी में दिया जा रहा है:-

सारणी-2.4

क्रमांक	संस्था का प्रकार	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग
1.	प्राथमिक विद्या0	858	53	911	138	103	241	926	156	1082	47	25	72
2.	माध्यमिक से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	236	6	242	128	35	163	193	41	234	5	4	9
4.	माध्यमिक से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	-	6	6	66	30	96	66	36	102	-	-	-
5.	नवोदय विद्यालय	1	-	1	-	-	-	1	-	1,	-	-	-
6.	स्नातक विद्यालय	1	2	3	-	-	-	1	2	3	-	-	
7.	स्नातकोत्तर महा विद्यालय	-	1	1	-	-	-	-	1	1		-	-
8.	तकनीकी संस्थान/ आई.टी.आई	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
9.	आँगनबाड़ी केन्द्र	434	-	434	-	-	-	434	-	434			
10.	मकतब	-	-	-	-	7	7	-	-	7	-	-	-
11.	संस्कृत पाठशाला	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12.	विकलांग विद्यालय	-	1	1	-	-	-	-	-	1		-	
13.	बी0आर0सी0	6	-	6	-	-	-	6	-	6	-	-	-
14.	एन.पी.आर.सी.	48	-	48	-	-	-	48	-	48	-	-	-

स्रोत:- विभागीय आँकड़े

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या, रिक्त पद एवं शिक्षा मित्रों की संख्या निम्नवत है-

सारणी 2.5

	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	शिक्षा मित्रों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	2510	1777	733	478
उच्च प्राथमिक विद्यालय	868	419	449	

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धतानुसार बस्तियों का विवरण

सारणी 2.6

आबादी स्तर	1 कि.मी.से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1कि.मी.से अधिक किन्तु 1.5 कि.मी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	विद्यालय रहित बस्तियों की संख्या जो 1.5 कि.मी.से अधिक दूरी पर है	प्राथमिक विद्यालय/ ई०जी०एस० की आवश्यकता
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	69	477	97	(1)
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है	137	243	81	81

वास्तव में 97 ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ विद्यालय खोलने से मात्र उन्हीं ग्रामों/बस्तियों के विद्यालय की सुविधा प्राप्त होगी।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित 60 ई०जी०एस० केन्द्र उन बस्तियों में चल रहे हैं जहाँ की आबादी 300 से कम है तथा विद्यालय की दूरी 1.5 कि.मी. से अधिक है । इन बस्तियों में जैसे जैसे प्राथमिक विद्यालय खुलते जायेंगे वैसे वैसे ई०जी०एस० केन्द्र बन्द होते जायेंगे। प्रस्तावित 81 ई०जी०एस० उन बस्तियों में खोले जायेंगे जहाँ वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय अथवा ई०जी०एस० की सुविधा नहीं है तथा आबादी 300 से कम है।

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी-2.7

आबादी स्तर	3 कि0मी0 से कम दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय	3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय	मानक के अनुसार आवश्यकता
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	—		
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	760	48	48

:उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता:

जनपद में वर्तमान में संचालित प्राथमिक विद्यालय एवं कार्ययोजना में प्रस्तावित प्राथमिक- विद्यालयों की कुल संख्या के 1:2 के अनुपात में निम्नवत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी परन्तु जनपद को पूर्ण से सेवित करने के लिये 169 उच्च प्राथामिका विद्यालयों की आवश्यकता एवं मॉग है।

	ग्रामीण	नगर
• वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	858	53
• प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	-	-
योग:-	873	
• 1:2 के अनुपात में प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय	-	
• वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय परि.	236	06
• आवश्यकता 2:1	[illegible]	[illegible]
• वास्तविक आवश्यकता		

:विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं:

परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण निम्नवत सारणी में दिया जा रहा है:-

प्राथमिक स्तर.

- कुल विद्यालयों की संख्या- ९११
- भवनहीन विद्यालय- 45
- पुनर्निर्माण योग्य- 139
- किराए के भवन वाले विद्यालय- 42
- एक कक्षीय विद्यालय- 76
- दो कक्षीय विद्यालय- 606
- तीन कक्षीय विद्यालय- 94
- चार कक्षीय विद्यालय- 08
- पॉच कक्षीय विद्यालय- 6
- पॉच से अधिक कक्षीय विद्यालय- 6
- मरम्मत योग्य विद्यालय
  लघु मरम्मत योग्य-
  दीर्घ मरम्मत योग्य- [illegible]
- शौचालय युक्त विद्यालय- 343
- शौचालय विहीन विद्यालय- 498
- हैण्ड पम्प युक्त विद्यालय- 660
- हैण्ड पम्प विहीन विद्यालय- 181
- चहार दीवारी युक्त विद्यालय- 207
- चहार दीवारी विहीन विद्यालय-

:उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाएँ:

- कुल विद्यालय- 242
- भवनहीन विद्यालय- 4
- पुनर्निर्माण योग्य- 6
- किराए के भवन वाले विद्यालय- 3
- एक कक्षीय विद्यालय- 4
- दो कक्षीय विद्यालय- 4
- तीन कक्षीय विद्यालय- 37
- चार कक्षीय विद्यालय- 17
- पॉच कक्षीय विद्यालय- 3
- पॉच से अधिक कक्षीय विद्यालय- 2
- मरम्मत योग्य विद्यालय-
  लघु मरम्मत योग्य-
  दीर्घ मरम्मत योग्य-
- शौचालय युक्त विद्यालय- 18
- शौचालय विहीन विद्यालय- 53
- हैण्ड पम्प युक्त विद्यालय- 67
- हैण्ड पम्प विहीन विद्यालय- 4
- चहर दीवारी युक्त विद्यालय- 24
- चहार दीवारी विहीन विद्यालय- [illegible]

ई.एम.आई.एस. से प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार गत वर्षों की स्थिति निम्नवत है-

सारणी-2.9

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2003-
कक्षा-1	49011	53161	56462	59348	6462
कक्षा-2	40117	39383	42380	43279	4561
कक्षा-3	31238	34164	36395	39278	4357
कक्षा-4	22845	26850	29669	32391	3475
कक्षा-5	18655	21504	24767	29650	3257
योग	161866	175062	189673	203946	22114

जी0ई0आर0

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
कुल	81.23	108.1	87.56	91.30
बालिका	70.74	91.12	80.77	85.79

एन0ई0आर0

कुल	63.08	85.24	76.72	86.2
बालिका	54.25	70.22	67.84	75.8

उपरोक्त सारणी 2.9 के अनुसार वर्ष 1998-99 से 1999-2000 में नामांकन में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसी प्रकार 1999-2000 से 2000-2001 में 8 प्रतिशत नामांकन की वृद्धि हुई है। कक्षा 5 की अंकित छात्र संख्या से स्पष्ट हो रहा है छात्रों के ठहराव में भी वृद्धि हुई है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स

जनपद ज्योतिबा फूले नगर

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि जनपद ज्योतिबा फूले नगर

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-99	3231	2859	2751	8841	-
1999-00	3696	3254	2778	9728	9.1
2000-01	4009	3612	3177	10798	9.9

स्रोत विभागीय आँकड़े

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण उपरान्त ज्ञात हुआ है कि 1999-2000 एवं 2000-2001 में क्रमशः 9.1 प्रतिशत एवं 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1997 से 2000 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ज्योतिबा फूले नगर

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1997-98	5112	3617	8729	58.6	41.4	100
1998-99	4863	3978	8841	55.0	45.0	100
1999-00	5316	4412	9728	54.6	45.4	100
2000-01	5870	4928	10798	54.4	45.6	100

स्रोत विभागीय आंकड़े

जनपद ज्योतिबा फूले नगर वर्ष 1997 से डी.पी.ई.पी. परियोजना से आच्छादित रहा है। परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में वृद्धि हुई है।

विद्यालयों का ट्रांजिसन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिसन दर
1998-99	10956	3231	29.5
1999-00	11775	3696	31.4
2000-01	12535	4009	32.0

स्रोत विभागीय आँकड़े

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अतिआवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकित होते है। अतः जनपद ज्योतिबा फूले नगर का परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर (अर्थात कक्षा 5से कक्षा 6 में नामांकित होने वाले) उक्त सारणी से ज्ञात किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर के लगभग 32 प्रतिशत बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित होते है।

डी0पी0ई0पी0 संचालन अवधि में प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत है-

सारणी-2.10

	1997-98	2001-2002	2003-04
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	705	841	911
परिषदीय प्राथमिक शिक्षक	1683	1777	1544

उपरोक्त चार वर्ष की अवधि में विद्यालयों में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में ~~4.99~~ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विद्यालयों की संख्या में 136 की वृद्धि हुई है जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले गए हैं। शिक्षकों की संख्या में 84 की वृद्धि हुई है। असेवित बस्तियों की संख्या में कमी आई है, फलस्वरूप नामांकन बढ़ा है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफलता प्राप्त हुई है।

:ड्राप आउट दर:

सारणी-2.11

वर्ष	कुल	बालिका
1999-2000	23.02	20.16
2000-2001	20.46	18.97
2001-2002	16.00	14.00
2002-2003	10	8
2003-2004	4	2
2004-2005	0	0
2005-2006	0	0
2006-2007	0	0
2007-2008	0	0
2008-2009	0	0
2009-2010	0	0

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। वर्ष 99-2000 में ड्राप आउट दर 23 प्रतिशत से घट कर 2000-2001 में 20.46 प्रतिशत हो गयी है। जो अपने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ड्राप आउट दर वर्ष 2004-2005 तक शून्य कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।

5 कक्षाएँ 5 वर्ष में पूर्ण करने वाले बच्चों का प्रतिशत:-

सारणी-2.12

वर्ष	प्रमोशन दर	
	कुल	बालिका
1999-2000	76.98	79.84
2000-2001	79.54	81.03
2001-2002	84.00	86.00
2002-2003	90.00	92.00
2003-2004	96.00	98.00
2004-2005	100.00	100.00
2005-2006	100.00	100.00
2006-2007	100.00	100.00
2007-2008	100.00	100.00
2008-2009	100.00	100.00
2009-2010	100.00	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 में कुल कक्षोन्नति दर 76.98 प्रतिशत थी जो वर्ष 2000-2001 में बढ़ कर 79.54 हो गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 तक कक्षोन्नति दर 100 प्रतिशत कर लेने का लक्ष्य रखा गया है

- अध्यापक-छात्र अनुपात :: वर्ष-2001 :: 1:60
- एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत 20%
- छात्र कक्षा-कक्ष अनुपात ::2000-2001:: 1:69

परियोजना के अन्तर्गत सृजित शिक्षकों के पद एवं शिक्षामित्रों की नियुक्ति के उपरान्त छात्र-शिक्षक अनुपात 1:40 के स्थान पर घट कर भी 1:60 पर बना हुआ है। इसे 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त शिक्षक एवं शिक्षामित्र तैनात किये जायेगें। छात्र कक्षा-कक्ष अनुपात 1:69 है, इसके लिए अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया जाएगा।

प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

सारणी-2.13

स्तर	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	योग	अनुपात
ग्रामीण	858	236	66	131	6:1
नगर	53	6	36	42	2:1
योग	911	24[illegible]	96	173	5:1

उच्च प्राथमिक विद्यालय के ऑकडे एवं महत्वपूर्ण सूचक

उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं किया गया था. इस कारण उच्च प्राथमिक स्तर 11-14 वय वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के लिए विशेष प्रयास नहीं किए जा सके । ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज वाले क्षेत्रों में विद्यालय न होने के कारण समुदाय के निर्धन वर्ग के बच्चे दूर पढ़ने न जाने के कारण उच्च प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गये हैं। इस समय जनपद में 65 उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा मात्र 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो नगर क्षेत्रों में स्थित हैं जिनमें 11-14 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन निम्नवत् है-

सारणी 2.15

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	2001 की अनुमानित आवादी	11-14 वय वर्ग के वच्चों की संख्या	वर्तमान में उपलब्ध विद्यालयों की संख्या (परिषदीय मान्यता प्राप्त एवं मा0 विद्यालय का जूनियर वर्ग)	प्रति विद्यालय सेवित 11-14 वय वर्ग के बच्चों का अनुपात
1.	अमरोहा	201235	12383	47	1:263
2.	जोया	272671	17057	70	1:243
3.	धनौरा	163583	10073	48	1:209
4.	गजरौला	145645	8806	43	1:204
5.	हसनपुर	163873	9973	29	1:344
6.	गंगेश्वरी	161425	10117	18	1:562
योग ग्रामीण क्षेत्र		1108432	68409	255	1:268
नगर क्षेत्र		390797	24541	68	1:361
महा योग		1499229	92950	323	1:288

स्रोत:- विभागीय आँकड़े

उपरोक्त आँकड़ों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि जनपद में हसनपुर व गंगेश्वरी क्षेत्र में सबसे अधिक ऐसे बच्चों की संख्या का अनुपात है जिन्हें उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध नही है। नगर क्षेत्रों में विद्यालय एवं बच्चों का अनुपात

अधिक है परन्तु वहाँ पर राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की आज भी अत्यधिक आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं, प्राकृतिक कारणों एवं अन्य समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में विकास खण्डवार निम्न लिखित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है-

सारणी 2.16

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अतिरिक्त आवश्यकता
1.	अमरोहा	26
2.	जोया	38
3.	धनौरा	18
4.	गजरौला	22
5.	हसनपुर	31
6.	गंगेश्वरी	34
7.	नगर क्षेत्र अमरोहा	00
8.	नगर क्षेत्र हसनपुर	00
योग		169

यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना बनाने के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 2:1 के अनुपात से उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रस्ताव करने का प्राविधान है। लेकिन उक्त विद्यालयों की माँग उ0प्र0 शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए मानकों के अनुसार एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर 800 आबादी के क्लस्टर बनाते हुए 3 कि.मी. की दूरी को ध्यान में रख कर की गयी है। नगर क्षेत्रों में भूमि की सम्भावित अनुपलब्धता के कारण माँग का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालययों की सुविधा प्राप्त है।

अध्याय-3

नियोजन प्रक्रिया

विश्व बैंक के सहयोग से संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के वृहद संचालन के उपरान्त भी शत प्रतिशत नामांकन एवं प्रत्येक गॉव एवं बस्ती को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध न करा पाने की दशा में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने हेतु यह एक प्रयास है। इस अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना मुख्य लक्ष्य है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर क्षेत्र के विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं एवं विकास का पक्ष छूटा रह गया था, जिसे इस सर्व शिक्षा अभियान में मुख्य रूप से सम्मिलित करने की योजना बनाई गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान बस्ती आधारित योजना है जिसमें स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार एवं समुदायिक सहभागिता पर आधारित गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यक्रम द्वारा लिंग-भेद एवं सामाजिक विषमता को समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के गुणात्मक एवं प्रसारात्मक सभी प्रकार के कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है, साथ ही सभी प्रयासों एवं कार्यक्रमों को विकेन्द्रीकरण की नीति के आधार पर संचालित किया जाना है। कार्यक्रम में यह विचार भी रखा गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं, एन्जीओ, कलात्मक महिला संगठनों आदि के सहयोग से प्रारम्भिक शिक्षा को जन जन तक पहुँचाया जाएगा।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

सर्व शिक्षा अभियान कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से अमले जामा पहनाने हेतु सूक्ष्म नियोजन तैयार करना आवश्यक समझ कर प्रत्येक ग्राम-बस्ती में 6-14 वय वर्ग के बच्चों का सर्वेक्षण तथा उनके शैक्षिक स्तर का आकलन किया जाना तय किया गया। सूक्ष्म नियोजन तैयार करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, ग्राम पंचायत के सदस्यों, ग्राम के उत्साही शिक्षा प्रेमियों व शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाये, इस हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण करा कर सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त सूचनाओं/ ऑकड़ों का विश्लेषण करके स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान की गयी तथा निम्नवत सूचनाएँ एकत्र की गयी-

- ग्राम/बस्ती में 6-11 वय/वर्ग के बच्चों की संख्या।
- किसी भी विद्यालय/शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
- बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या।
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों के विद्यालय न जाने का कारण।
- क्या गॉव में विद्यालय खोलने की आवश्यकता है? इसके लिए गॉव की आबादी तथा वर्तमान में विद्यालय से दूरी की जानकारी करना।
- क्या गॉव में स्थित प्राथमिक विद्यालय भौतिक संसाधनों व अन्य सुविधाओं से युक्त है ।
- क्या विद्यालय को समुदाय की सहभागिता प्राप्त हो रही है।
- क्या सभी बच्चे, विशेष रूप से बालिकायें नियमित रूप से विद्यालय आ रहे हैं।
- क्या 11-14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा प्राप्त है।
- शिक्षण कार्य की स्थिति/गुणवत्ता के सम्बन्ध में ग्राम वासियों के विचार ।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्रित कराने के पश्चात ग्राम शिक्षा समितियो के सहयोग से निम्न लिखित कार्य कराये गये ।

(अ) परिवार सर्वेक्षण
(ब) स्कूल का मानचित्र
(स) ग्राम शिक्षायोजना का निर्माण
(द) एकतित्र सूचनाओं की समीक्षा एवं विश्लेषण

<u>शैक्षिक मानचित्रण विश्लेषण एवं ग्राम शिक्षायोजना निर्माण</u> :-ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों गांव के शिक्षा प्रेमी व्यक्तियों एवं शिक्षकों को एक गोष्ठी कराकर गांव की शैक्षिक समस्याओं पर परिचर्चा करायी गयी तदोपरान्त गांव नन्हों द्वारा गांव के समस्त परिवारों का शैक्षिक सर्वेक्षण कराया गया । सर्वेक्षण के आधार पर शैक्षिक मानचित्र तैयार किया गया पुनः इन पर चर्चा करातें हुये गांव के शैक्षिक विकास के लिये एक दीर्घकालीन योजना बनायी गयी ।जिसमें निम्न बिन्दुओं की जानकारी की गयी।

- बस्ती की पूरी जनसंख्या
- विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या
- स्त्री पुरुषों की जनसंख्या
- पढ़ने व न पढने वाले बच्चों की जनसंख्या
- बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
- विकलाग बच्चों के विषय में जानकारी
- वर्ग विशेष एवं बालिकाओं के संवध में विशेष जानकारी

उपरोक्त सर्वे एवं सूचनाओ के आधार पर तैयार की गयी शिक्षा योजना को आधार मानकर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत विगत चार वर्षो में विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियॉ सम्पन्न की गयी तथा वर्ष 2001-2002 के लिये भी योजनाये तैयार की गयी अव सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत पूर्व में एकतित्र माइक्रोप्लानिंग के आकड़ो को आधार मानकर कार्ययोजना तैयार की गयी ।

उपरोक्त सूचनाओं एवं आकड़ो के अनुसार ही डी.पी.ई.पी.के अर्न्तगत आंवटित धन अनुसार कार्य कराये जाते रहे ।किन्तु दिसम्बर 2002 तक प्रस्तावित आवश्यकताओ की पूर्ति होती प्रतीत नही हो रही है। इस कारण प्राथमिक स्तर के शेष कार्यो तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयो की आवश्यकताओ को सर्व शिक्षा अभियान मे रखे जाने का विचार किया जा रहा है ।माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवार आंकड़ो को सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोगी बनाने हेतु ब्लाक समन्वयक एवं सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारियें की सहायता से अद्यतन कराया गया तथा उन्हे 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष के दो समूहो में विभाजित किया तथा इन दोनो समूहो को प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये सर्व शिक्षा अभियान कार्य योजना में शिक्षा गारन्टी योजना,तथा वैकल्पिक/नवाचार शिक्षायोजना कार्यक्रम प्रस्तावित कियें गये है इन दोनो समूहों में बालक बालिकाओ की संख्या अलग - अलग ज्ञात करायी गयी तथा ऐसे बच्चो की भी जानकारी करायी गयी जो कि कामकाजी है, पैतृक व्यवसाय मे अपने माता पिता के साथ काम करते है अथवा सड़क पर रहने वाले घुमन्तु (STREAT CHILDREN) बच्चे है।

कार्य योजना के लिये ऐसी बस्तियों की सुचना तैयार की गयी जो नवीन विद्यालय को खोले जाने के मानक पूरा करते है जनपद मे ऐसी उपलब्ध [illegible] बस्तियो को कार्ययोजना मे प्रस्तावित किया गया है।

स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण

क्रमांक	5 से 6 वर्ष			7 से 10 वर्ष			11 से 14 वर्ष			कुल योग		
	बालक	बालिकाऐं	योग	बालक	बालिकाऐं	योग	बालक	बालिकाऐं	योग	बालक	बालिकाऐं	योग
1	16534	14841	31375	7999	8747	16748	5707	6683	12390	30240	30271	60511

स्कूल न जाने वाले बच्चों का कारण

कारण	5 से 6 वर्ष		7 से 10 वर्ष		11 से 14 वर्ष		योग		
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	योग
1 घर के कामों में लगा रहना	3018	2449	2878	2962	2274	2669	8170	8080	16250
2. भाई बहन की देखभाल करना	3170	3926	2804	3950	1171	1961	7145	9837	~~16989~~
3. विद्यालय दूर होना	1050	1076	200	297	381	332	1631	1705	3336
4. मजदूरी में लगे रहना	367	463	1418	925	1355	1184	3140	2572	5712
5. अन्य कारण	8929	6927	699	613	526	537	10154	8077	18231

...। शिक्षा गारन्टी केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सूची तैयार कर सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्ताविद किया गया।

स्कूल चलो अभियान :-

जनपद में 6-11 वयवर्ग के शतप्रतिशत नामांकन की सम्प्राप्ति हेतु वर्ष 2000-2001 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया ।शतप्रतिशत नामांकन के साथ साथ ठहराव एवं ड्राप आउट पर भी ध्यान दिया गया। फलस्वरुप आशातीत सफलता प्राप्त हुई इस अभियान में ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक वृहद रैलियॅा आयोजित कर जनजागरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया ।स्कूल चलो अभियान जिलाधिकारी के विशेष निर्देशन में शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियो द्वारा जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक चलाया गया ।अभियान की सफलता के लिये जनपद स्तर पर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया जिसमें अधिकारी वर्ग के साथ-साथ स्वंय सेवी संगटनो के प्रतिनिधि प्राथमिक संघ के प्रतिनिधि जनपद के गणमान्य समाज सेवियो को रखा गया ।

कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिये विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये । जनपद स्तर पर जिला विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर न्याय समन्वयक एवं ग्राम स्तर पर वरिष्ठ प्रधानाध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया ।उपर्युक्त के अलावा शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियो ने क्षेत्र का भ्रमण कर सघन निरीक्षण किया ।इस कार्य में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांठ,जिला विद्यालय निरीक्षक जे0 पी0 नगर, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी ,जिला कृषि अधिकारी,जिला विकंलाग अधिकारी आदि जिला एवं तहसील स्तर के अधिकारियो ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया ।

कार्यक्रम को प्रभावी बनाने एवं जनजागरण हेतु जनपद मुख्यालय पर एक रैली का आयोजन 2 जुलाई 2000 को किया गया । इस रैली का आयोजन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रमोद कुमार यादव ने किया तथा जिलाधिकारी महोदय ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारम्भ किया ।रैली नगर के विभिन्न स्थानो से होती हुई कुन्दन माडल इन्टर कालेज अमरोहा में समाप्त हुई जहॉ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों,कर्मचारियो समाज सेवियो तथा स्वंय सेवी संगटन के प्रतिनिधियो तथा शिक्षको ने प्रतिभाग किया तथा अभियान को सफल बनाने हेतु अपने विचार रखे ।

स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण

क्रमांक	5 से 6 वर्ष			7 से 10 वर्ष			11 से 14 वर्ष			कुल योग		
	बालक	बालिकाऐं	योग	बालक	बालिकाऐं	योग	बालक	बालिकाऐं	योग	बालक	बालिकाऐं	योग
1	16534	14841	31375	7999	8747	16748	5707	6683	12390	30240	30271	60511

स्कूल न जाने वाले बच्चों का कारण

कारण	5 से 6 वर्ष		7 से 10 वर्ष		11 से 14 वर्ष		योग		
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	योग
1 घर के कामों में लगा रहना	3018	2449	2878	2962	2274	2669	8170	8080	16250
2. भाई बहन की देखभाल करना	3170	3926	2804	3950	1171	1961	7145	9837	16989
3. विद्यालय दूर होना	1050	1076	200	297	381	332	1631	1705	3336
4. मजदूरी में लगे रहना	367	463	1418	925	1355	1184	3140	2572	5712
5. अन्य कारण	8929	6927	699	613	526	537	10154	8077	18231

[illegible] । शिक्षा गारन्टी केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सूची तैयार कर सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्ताविद्ध किया गया।

स्कूल चलो अभियान :-

जनपद में 6-11 वयवर्ग के शतप्रतिशत नामांकन की सम्प्राप्ति हेतु वर्ष 2000-2001 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया ।शतप्रतिशत नामांकन के साथ साथ ठहराव एवं ड्राप आउट पर भी ध्यान दिया गया। फलस्वरुप आशातीत सफलता प्राप्त हुई इस अभियान में ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक वृहद रैलियॅा आयोजित कर जनजागरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया ।स्कूल चलो अभियान जिलाधिकारी के विशेष निर्देशन में शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियो द्वारा जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक चलाया गया ।अभियान की सफलता के लिये जनपद स्तर पर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया जिसमें अधिकारी वर्ग के साथ-साथ स्वंय सेवी संगटनो के प्रतिनिधि प्राथमिक संघ के प्रतिनिधि जनपद के गणमान्य समाज सेवियो को रखा गया ।

कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिये विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये । जनपद स्तर पर जिला विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर न्याय समन्वयक एवं ग्राम स्तर पर वरिष्ठ प्रधानाध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया ।उपर्युक्त के अलावा शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियें एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियो ने क्षेत्र का भ्रमण कर सघन निरीक्षण किया ।इस कार्य में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांठ,जिला विद्यालय निरीक्षक जे0 पी0 नगर, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी ,जिला कृषि अधिकारी,जिला विकंलाग अधिकारी आदि जिला एवं तहसील स्तर के अधिकारियो ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया ।

कार्यक्रम को प्रभावी बनाने एवं जनजागरण हेतु जनपद मुख्यालय पर एक रैली का आयोजन 2 जुलाई 2000 को किया गया । इस रैली का आयोजन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रमोद कुमार यादव ने किया तथा जिलाधिकारी महोदय ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारम्भ किया ।रैली नगर के विभिन्न स्थानो से होती हुई कुन्दन माडल इन्टर कालेज अमरोहा में समाप्त हुई जहॉ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों,कर्मचारियो समाज सेवियो तथा स्वंय सेवी संगटन के प्रतिनिधियो तथा शिक्षको ने प्रतिभाग किया तथा अभियान को सफल बनाने हेतु अपने विचार रखे ।

तहसील स्तर उपजिलाधिकारियों की अध्यक्षता में रैलियों एवं गोष्ठियों का आयोजन कर कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कारगर प्रचार-प्रसार किया गया।

खंड विकास स्तर पर जुलाई प्रथम व द्वितीय सप्ताह में खंड विकास अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा ब्लाक समन्वयक डी पी ई पी के संयोजन में विभिन्न चरणों में रैली निकाली गयी तथा गोष्ठियां आयोजित की गयी।इन गोष्ठियों को शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला समन्वयक डी पी ई पी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सम्बोधित किया ।

इसी प्रकार न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत प्रभारी तथा ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधानों व शिक्षा समितियों द्वारा वृहद स्तर पर जन सम्पर्क तथा जनजागरण किया गया फलस्वरुप छात्र नामांकन में निम्न लिखित सफलता मिली -

सारणी-3.1

स्कूल चलो अभियान में चिन्हित बच्चों की संख्या	स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकित कराये गये बच्चों की संख्या
50913	30366

गत वर्ष 2000-2001 में चलाए गए स्कूल चलो अभियान की आशातीत सफलता से प्रभावित होकर एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2001-2002 में भी पूर्व से ही कार्यक्रम निर्धारित कर पुरजोर तरीके से स्कूल चलो अभियान चलाया गया।

चार जुलाई 2001 को जपनद स्तर पर माननीय सिंचाई राज्य मन्त्री श्री मंगल सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक विशाल रैली जनपद मुख्यालय पर निकाली गयी। रैली मे छात्रों शिक्षकों के साथ साथ शहर के गणमान्य नागरिकों एवं शिक्षा विदों ने भी प्रतिभाग किया। शहर के अति पिछड़े व मलिन बस्ती वाले मोहल्लों में रैली निकाल कर शिक्षा के प्रति उन्हें जागृत किया गया। रैली के समापन पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें छात्र नामांकन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार, शिक्षकों के दायित्व एवं समुदाय की सह भागिता आदि विषयों पर विचार किया गया। निकाले गये निष्कर्षों के आधार पर शत प्रतिशत नामांकन हेतु रणनीति बनाई गयी जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर रैली एवं गोष्ठी का आयोजन कर जन जागरण करते हुए 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले अथवा विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों के घर तक पहुँच की गयी। इसके अतिरिक्त दीवार लेखन, स्टिकर, पम्फलेट वितरण

द्वारा तथा स्थानीय केबल टी वी एवं समाचार पत्रों के माध्यम नियमित रूप से जनजागृति पैदा की जाती रही। इन सबके फलस्वरूप वर्ष 2001-2002 में निम्नवत उपलब्धि प्राप्त हुई-

सारणी-3.2

स्कूल चलो अभियान में चिन्हित बच्चों की संख्या	अभियान के माध्यम से विद्यालयों में पंजीकृत बच्चों की संख्या
53952	49953

स्कूल चलो अभियान की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए 6-14 वय वर्ग के अवशेष बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने को प्रस्तावित सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा तैयार की जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली को पुनः अपनाए जाने की आवश्यकता है। योजना के अन्तर्गत बस्ती (**Habitation**) को इकाई मान कर शैक्षिक योजना बनाई गई है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्ययोजना बनाने हेतु निम्नवत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी-

1. <u>नियोजन समिति का गठन</u>:- जनपद स्तर पर मात्र कार्य योजना तैयार करने हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कॉट की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति निम्नवत बनाई गयी-

• प्राचार्य, डायट कॉट	अध्यक्ष
• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सचिव/सदस्य
• सहायक लेखाधिकारी (डी0पी0ई0पी0)	सदस्य
• जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा)	सदस्य
• सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जोया	सदस्य
• सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा	सदस्य
• कम्प्यूटर आपरेटर	सदस्य

2. <u>अभियान का प्रचार प्रसारः-</u>

सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में जानकारी देने तथा जागरुकता पैदा करने हेतु विभिन्न स्तरों पर समुदाय विशेष के साथ बैठके कर शिक्षा के सम्बन्ध में समस्याएँ एवं उसके निराकरण हेतु सुझाव आमन्त्रित किये गये। इसके लिए दिनांक 28.9.2001 को समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन कराया गया, जनपद में नियुक्त बी आर सी/ एन पी आर सी के माध्यम से ब्लाक, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तर पर बैठकें करा कर सुझाव माँगने हेतु निर्देश दियें गये। समस्त सुझावों को संकलित कर जनपद स्तर को भेजने हेतु सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सौपा गया।

3. <u>बैठकों का आयोजनः-</u>

कार्ययोजना को तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठक कर समुदाय, जनप्रतिनिधि, स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शिक्षा की वर्तमान दशा के सम्बन्ध में भविष्य की अपेक्षाओं के विषय में क्या विचार रखते हैं, जानने का प्रयास किया गया। अति पिछड़े ,निर्धन, बाल श्रमिक, दलित एवं अपवंचित वर्ग के बालकों के लिए किस तरह की योजनाएँ चलाई जायें, पर विचार किया गया तथा उनकी आवश्यकताओं की पहचान की गयी। ग्राम स्तर तक सर्व शिक्षा अभियान हेतु जागरूकता पैदा करने एवं शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पहचान हेतु विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की गयीं जिनका संक्षेप में कार्यवृत्त निम्नवत है-

<u>सारणी-3.3</u>

क्रमांक	गोष्ठी का स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक विचार विमर्श के प्रमुख बिन्दु
1	जनपद स्तर	29.9.2001	बी.आर.सी. अमरोहा	बी.एस.ए.-1 उप बे.शि.अधि.-1 जिला समन्वयक-2 ए.बी.एस.ए.-1 बी.आर सी.-5 ए.बी.आर.सी.-2 एन.पी.आर.सी.-20 अन्य अध्यापक-10 कुल--42	. छात्र-अध्यापक अनुपात मे शिक्षकों की कमी . छात्रवृत्ति वितरण वर्ष के अन्त में . कक्षा- कक्षों की कमी . अभिभावकों की अशिक्षा . अध्यापको की शिक्षणेत्तर कार्यों में व्यस्तता . रोजगार परक शिक्षा का अभाव
2	ग्राम स्तर	29.9.2001	मालीखेड़ा	प्रधान-1	. प्रत्येक विद्यालय में महिला शिक्षिका

				अध्यापक-5 अन्य अभिभावक-7 कुल-13	. मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कन्या विद्यालय की स्थापना . भवन का दायित्व पूर्णतया पंचायत का . ग्राम शिक्षा समिति सक्रिय हों
3.	ग्राम स्तर	29.9.2001	अतरासींकला	प्रधान-1 अध्यापक-4 अन्य-5 कुल-9	. भवन का अनुपयुक्त होना . समुदाय की गरीबी . अल्प संख्यक समुदाय में धार्मिक शिक्षा के प्रति आस्था
4.	ग्राम स्तर	29.9.2001	पण्डकी	एबीएसए-1 प्रधान-1 उप प्रधान-1 अध्यापक-3 ग्राम शिक्षा समिति सदस्य-3 अन्य-5 कुल-14	. विद्यालय समय में परिवर्तन . विद्यालय चहर दीवारी युक्त हो . मौसमी खेती एवं उद्योगों के कारण छात्रों का ठहराव कम
5.	ग्राम स्तर	29.9.2001	गुलड़िया	प्रधान-1 प्रधान अध्यापक-1 अन्य-3 कुल-5	. विद्यालय खुलने से पूर्व भवन निर्माण हो . विद्यालय हैण्ड पम्प व शौचालय युक्त हो . [illegible] पर्याप्त भवन . प्रत्येक बस्ती में शिक्षा की व्यवस्था हो
6.	न्याय पंचायत स्तर	1.10.01	अब्बलपुर	न्यायपंचायत समन्वयक-1 प्र0 अ0 -1 अन्य-4 कुल -6	. छात्रों की गरीबी . विद्यालय पास पास हो . धार्मिक अन्धविश्वास
7.	न्यायपंचायत स्तर	1.10.01	यहियापुर	न्यायपंचायत समन्वयक-1 प्रधान-1 पूर्व प्रधान-1 अन्य-20 कुल -23	. छात्र वृत्ति सभी छात्राओं को . अपर्याप्त भवन . रोजगारपरक शिक्षा
8.	न्यायपंचायत स्तर	1.10.01	बहादुरपुर	ब्लाक प्रमुख -1 न्यायपंचायत सम0-1 अध्यापक-5	. आरक्षण नही होना चाहिये . शिक्षकों की कमी . विद्यालय का वातावरण [illegible]

				अन्य-2 कुल -9	. विकलांग बच्चों की विशेष व्यवस्था
9.	ब्लाक स्तर	1.10.2001	हसनपुर	अध्यक्ष प्रधान संघ-1 अन्य प्रधान-25 जिला समन्वयक-1 अन्य अध्यापक -4 कुल -31	अध्यापक उपस्थिति प्रधान द्वारा प्रमाणित हो । . शिक्षक व्यवहार कुशल एवं मृदु हो . प्रत्येक आबादी में शिक्षा की सुविधा मुहैया हो। . पिछड़े क्षेत्रों में जू0 हा0 अधिक खोले जाये। . पर्याप्त संख्या में शिक्षक हो . प्रत्येग विद्यालव में एक चपरासी हो . गरीब छात्रों को गणवेश की सुविधा दी जाय। . कक्षा 1से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण हो। . मान्यताये विशेष आवश्यकता पर दी जाय
10.	ब्लाक स्तर	1.10.01	गजरौला	1. जिला समन्वयक -1 2. ए बी एस ए-1 3. बी आर सी -2 4. एनपीआरसी -26 5. कम्प्यूटर आपरे0-1 कुल -34	. अभिभावको की अशिक्षा . स्टेशनरी बैग स्लेट आदि दी जाय . मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम अध्यापिकाये दी जाये . ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किये जाये . अध्यापको का पुनः बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाये
11.	व्यक्तिगत	1.10.01	अमरोहा	श्रीमति आसिफा आलमी -एडवोकेट	. जनजागरण हेतु कार्यक चलाते रहना चाहिये . सत्र पूर्व एक सप्ताह की पढ़ाई होनी चाहिये स्कूल चलो अभियान निरन्तर चलते रहना चाहिये [illegible] सर्वेक्षण मई में कराया जाना चाहिये . नगर क्षेत्र में निजी भवन बनने चाहिये नगर क्षेत्र की बाह्य नवीन आबाद

					बस्तियों में विद्यालय खोला जाय।
12.	ब्लाक स्तर	1.10.01	जोया	सहायक खंड विकास अधिकारी-1 ए बी एस ए-1 बी आर सी-1 ए बी आर सी-1 प्रधान -7 अध्यापक -12 अनुदेशक -13 अन्य-14 कुल-50	. ईट भट्टे एवं तितरी बितरी बस्तियो में शिक्षा व्यवस्था . पर्याप्त शिक्षक . व्यायाम शिक्षक प्रति विद्यालय . रखरखाव हेतु धनराशि में वृद्धि . कामकाजी बालको के लिये शिक्षा की विशेष व्यवस्था . मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कन्या विद्यालय की स्थापना . अनिवार्य शिक्षा
13.	न्यायपंचायत स्तर	पपसरा	1.10.01	एन पी आर सी-1 प्रधानाध्यापक -1 आंगन बाड़ी कार्यकर्ती-2 अध्यापक -4 अन्य -25 कुल-33	. विषय अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति . छात्रवृत्ति वर्ष में दो बार दी जाय . कक्षा एक से अंग्रेजी की सुविधा . न्यायपंचायत स्तर पर समन्वय समिति का गठन
14.	न्याय पंचायत स्तर	सिनौरा	1.10.01	प्रधानाध्यापक -1 शिक्षक -2 आंगनबाड़ी-10 अन्य-6 कुल-19	. प्रत्येक कक्षा को कक्ष दिया जाय . मध्यान्ह भोजन दिया जाय . अंग्रेजी का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाय . शिक्षको से अतिरिक्त कार्य न लिया जाय।
15.	न्याय पंचायत	हथौड़ी	1.10.01	प्रधानाचार्य इ०का०-1 प्रधानाध्यापक-1 एन पी आर सी-1 अध्यापक-4 आंगनबाड़ी -2 अन्य -6 कुल-15	. प्राथमिक स्तर पर महिला अध्यापिकाओ की नियुक्ति अधिक हो . विद्यालय बस्ती के बाहर है
16.	ग्राम स्तर	सोनखेड़ा	1.10.01	प्रधान-1 अध्यापक-2 अन्य-10	. कक्षा पांच तक की व्यवस्था सरकारी स्कूलो में ही हो . परिषद व मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों का पाठ्यक्रम,समय व ड्रेस एक समान हो

					. छात्रवृत्ति सभी वर्गों के बालको को दी जाय . शिक्षको के शिक्षक कार्य का अनुसरण शिक्षण द्वारा ही कराया जाय . विद्यालय में क्रीड़ा स्थल एवं व्यायाम शिक्षक अवश्य हो
17.	व्यक्तिगत	धनौरा	1.10.2001	वकील अहमद, रामपुर आगा, धनौरा	. स्कूलों में छुट्टी कम से कम की जाये। . महापुरूषों की जयन्ती पर विद्यालय कम से कम बन्द किये जायें। . विद्यालय परिसर में अध्यापकों द्वारा धूम्र पान, मद्यपान एवं तम्बाकू का सेवन न किया जाये। . सेवाकाल में अध्यापकों की दक्षता का परीक्षण कराया जाये, अयोग्य होने पर सेवा मुक्त किया जाये। . ऑगन वाड़ी केन्द्रों का संचालन सुव्यवस्थित किया, जाये।
18.	जनपद स्तर	अमरोहा	3.10.2001	डी0एम0-1 सी0डी0ओ0-1 जनपदीय अधिकारी-4 प्राचार्य-2 अन्य अधिकारी-2 समाज सेवी-2 अध्यापक-5 कुल-17	. भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानकों का ध्यान रखा जाये . विद्यालयों में वृक्षा रोपड़ कराया जाये . उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला की स्थापना . कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाये . गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था की जाये . नगर क्षेत्र में विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में क्रय की जाये . निर्माण कार्यों में प्रधान की [illegible] बाध्यता समाप्त की जाये . निर्माण कार्य हेतु [illegible] [illegible]

					सहायको की नियुक्ति की जाये . कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कुछ विद्यालयों को प्रथम चक्र में चुना जाये 0. ग्राम शिक्षा समिति द्वारा क्रय सामग्री का सत्यापन उपजिलाधिकारी स्तर से कराई जाये
19.	जनपद स्तर	अमरोहा	4.10.2001	अध्यक्ष जिला पंचायत-1 सदस्य जिला पंचायत-2 बी0एस0ए0-1	. जर्जर विद्यालयों भवनों का पुनर्निमाण समयानुसार कराया जाये . अध्यापको की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जायें . विद्यालय भवनों की देखरेख हेतु चौकीदार होना चाहिए
20.	डायट स्तर	कांठ	11.10. 2001	उप प्राचार्य -1 (ए डी बेसिक)1 बी एस ए -1 ए बी एस ए -4 जिला समन्वयक-1 बी आर सी -6 डायट प्रवक्ता आदि -5 शिक्षक -40 कुल -59	. सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण . विषय अनुसार प्रशिक्षण . गणित एवं विज्ञान किट का प्रयोग का प्रशिक्षण . भाषा सम्बन्धी शुद्धता पर बल . ई बी एस तथा भाषा विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण . बहु कक्षा शिक्षण को और कारगर बनाने के तरीके

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज एवं विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु जनपदीय अन्य विभागों से समन्वयन बनाते हुये परस्पर सहयोग प्राप्त किया जाता रहा है। सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के कार्यान्वयन में भी सहयोग प्राप्त किया जाता रहेगा।

1. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग:- इस विभाग के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को समय समय पर प्रसारित कराते हुये जनसमुदाय को शिक्षा के प्रति जागृत किया जाये अभियान की प्रगति भी सूचना विभाग की माध्यम से प्रसारित करायी

जायेगी। जनपद स्तर पर समयानुसार आयेाजित होने वाली गोष्ठियों एवं सेमीनार,प्रदर्शनी एवं मेलों आदि में प्रगति प्रदर्शित कराने में विभाग का सहयोग लिया जायेगा।

2. <u>समाज विभाग से समन्वय:-</u> समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक/उच्च्चा प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति वर्ग के सभी बालको को शिक्षा के प्रति आर्कषित एवं प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300 व 480 रु0 प्रति छात्र वितरित कराने में सहयेाग कराने में सहयोग लिया जायेगा।

3. <u>अल्प संख्यक विभाग के सहयोग से:-</u> अल्प संख्यक विभाग के सहयोग से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति वर्ग के सभी बालको को शिक्षा के प्रति आर्कषित एवं प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300 व 480 रु0 प्रति छात्र वितरित कराने में सहयोग कराने में सहयोग लिया जायेगा ।

4. <u>विकंलाग कल्याण विभाग से समन्वयन:-</u> विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र-छात्राओं को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है विकलांग बच्चों को छात्रवृति प्रदान करायी जाती है।

5. <u>पिछडा वर्ग कल्याण से समन्वयन:-</u> इस विभाग से समन्वयन स्थापित कर पिछडा जाति के छात्रों को 300 रु0 छात्रवत्ति प्रदान करायी जाती है।

6. <u>आई सी डी एस के साथ समन्वयन एवं सहयोग:-</u> जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला समन्वयक बालिका शिक्षा,स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वंय सेवी संगठनो के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर जिला. विकास खंड एवं न्यायपंचायत स्तर पर संदर्भ समूहो का गठन कराया जायेगा तथा इन समूहो की सहायता से छोटे बच्चो को जो पांच वर्ष से कम आयु के है विद्यालय आने के लिये प्रेरित कराया जायेगा तथा इन्हे आंगन वाड़ी केन्द्रो पर प्रवेश कराया जायेगा। आई सी डी के द्वारा आंगन वाड़ी केन्द्रो का समय निर्धारित करना उन्हे सहायक सामग्री दिलाना केन्द्रो के सदृढ़ीकरण की व्यवस्था करना तथा अनुदेशकों का मानदेय वितरण आदि आदि कार्य किये जाते है

7. <u>स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयन:-</u> स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क एवं समन्वयन स्थापित करके परिषदीय विद्यालयो में प्रति वर्ष स्वास्थ्य परीक्षणकराया जायेगा राजकीय चिकित्सक एवं पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाये लेकर रोगी छात्रों को चिन्हित कराकर उन्हे स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड दिलाया जायेगा तथा उन्हे उपचार हेतु संदर्भित कराया जायेगा।

8. <u>उत्तर प्रदेश जल निगम/यू0 पी0 एग्रो से समन्वयन:-</u> पेयजल सुविधा विहीन प्राथामिक,उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दोनों विभागों से हैण्डपम्प की स्थापना करायी जायेगी तथा जो हैण्डपम्प खराव पड़े है उनकी मरम्मत करायी जायेगी ।

9. <u>युवा कल्याण विभाग से समन्वयन:-</u> वच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये पाठ्यत्तर क्रियाकलापों की व्यवस्था करायी जायेगी जिनके क्रियान्चयन में युवा कल्याण विभाग का सहयोग लिया जायेगा विभिन्न स्तर पर आयोजित की जाने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिता में इस विभाग का सहयोग लिया जायेगा। खेलो के ज्ञान एवं अभ्यास के लिये युवा कल्याण के कार्यकताओं द्वारा विद्यालय में शिक्षको को प्रशिक्षित कराया जायेगा छात्र नामांकन एवं ठहराव के लिये जनजागरण कार्यक्रम चलाने में इस विभाग का सहयोग लिया जायेगा।

10. <u>खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वयन:-</u> खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वयन से विद्यालय के छात्रों को खाद्यान वितरण कराने में सहयोग दिया जायेगा।

11. <u>ग्राम पचायतों से समन्वयन:-</u> पंचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा के प्रसार एवं गुणात्मक सुधार का पूर्ण दायित्व ग्राम पंचायतों को सौपा गया तथा गांव में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन कराया गया है।असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों के प्रस्ताव भेजने गांव में संचालित प्राथमिक ,उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन, ठहराव,अध्यापकों की उपस्थिति की जांच, साज-सज्जा की व्यवस्था कराने तथा समय समय पर गुणवत्ता परख शिक्षा के लिये सुझाव देने आदि कार्यो में ग्राम पंचायतों का सहयोग लिया जायेगा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत "सबको शिक्षा मिले" के निर्धारित लक्ष्य को पानें के लिये सभी विभागों का सहयोग लेना व समन्वयन स्थापित करना आवश्यक है जिसे पूर्व की भांति प्राप्त किया जाता रहेगा ।

अध्याय - 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1-8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यो में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है । सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रुप में चलाया जायेगा । नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85.15 दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तंगत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रुप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है:-

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, वैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन ।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना ।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों की कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
- वालक -बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना ।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव ।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है । उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है ।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामाकंन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना - 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त हो गये है। जनगणना - 1991 की जनसंख्या के ऑकड़े को आधार मानतें हुये विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित कम्पाण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी । जनपद की की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.7 प्रतिशत है ।इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है ।

जनगणना -2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नही है । अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानतें हुये वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9 प्रतिशत तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2 प्रतिशत का अनुपात लिया गया है । वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या ग्रामीण /नगरीय, अनुसूचित जाति /जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ो का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है ।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी ई आर को आधार मानते हुये नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियेा मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी ई आर प्रक्षेपित किया गया । वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी ई आर तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिये नामांकन प्रक्षेपित किया गया है । प्राथमिक स्तर (6-11)के लिये वर्ष 2004 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है । चूंकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होगें अतः जी ई आर का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2004 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी ई आर में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6-11 एवं 11-14 वर्ष में बढ़ेगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगे ।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत है ।

सारणी -4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी ई आर
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-2001	114704	101916	216620	107351	82322	189673	87.56
2001-2002	118521	104859	223380	113982	89964	203946	91.30
2002-2003	121721	107690	229411	121721	103102	224823	98.00
2003-2004	125007	110598	235605	132501	114878	247385	105.00
2004-2005	128382	113584	241966	141862	124300	266162	110.00
2005-2006	131848	116651	248499	148988	131816	280804	113.00
2006-2007	135408	119801	255209	155719	137771	293490	115.00
2007-2008	139064	123036	262100	162705	143952	306657	117.00
2008-2009	142819	126358	269177	169955	150366	320321	119.00
2009-2010	146675	129770	276445	176010	155724	331734	120.00

सारणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य जनपद-जे0 पी0 नगर

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी ई आर
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-2001	48020	42486	90506	40956	27448	68404	75.58
2001-2002	49317	43633	92950	43345	31341	74686	80.35
2002-2003	50649	44811	95460	46597	35499	82096	86.00
2003-2004	52017	46021	98038	50977	41179	92156	94.00
2004-2005	53421	47264	100685	53955	46730	100685	100.00
2005-2006	54863	48540	103403	56509	49996	106505	103.00
2006-2007	56344	49851	10195	59161	52344	111505	105.00
2007-2008	57865	51197	109062	61916	54781	116697	107.00
2008-2009	59427	52579	112006	64775	57311	122086	109.00
2009-2010	61032	53999	115031	67135	59399	126534	110.00

नामांकन में जेन्डर गैप का लक्ष्य:-वर्ष 2000-2001 में प्राथमिक स्तर पर बालकों का नामांकन स्तर 93.59 रहा है जबकि बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत 80.77 रहा है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर बालकों का नामांकन प्रतिशत 85.29 तथा बालिकाओं का मात्र 64.61 प्रतिशत रहा है इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर नामांकन में जेन्डर गैप 12.82 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 20.68 प्रतिशत रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2005 तक नामांकन में जेन्डर गैप शून्य कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।

सारणी 4.3

प्राथमिक स्तर पर नामांकन में जेन्डर गैप का लक्ष्य

वर्ष	बालकों का नामांकन प्रतिशत	बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत	नामांकन में जेन्डर गैप का लक्ष्य
2000-2001	93.59	80.77	12.82
2001-2002	96.17	85.79	9.37
2002-2003	100.00	95.72	4.26
2003-2004	106.00	103.86	2.13
2004-2005	110.50	109.43	1.07
2005-2006	113.00	113.00	0.00

सारणी 4.4

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में जेन्डर गैप का लक्ष्य

वर्ष	बालकों का नामांकन प्रतिशत	बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत	नामांकन में जेन्डर गैप का लक्ष्य
2000-2001	85.29	64.61	20.68
2001-2002	87.89	71.83	16.06
2002-2003	92.00	79.22	12.78
2003-2004	98.00	89.48	8.52
2004-2005	101.00	98.87	2.13
2005-2006	103.00	103.00	0.00

ठहराव के लक्ष्यः- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2005 तक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है । तदानुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये है जो निम्नवत है -

सारणी 4.3

प्राथमिक स्तर पर ठहराव का लक्ष्य

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की कुल दर	बालिका
2000-2001	20.46	18.97
2001-2002	16.00	14.00
2002-2003	10	8
2003-2004	4	2
2004-2005	0	0

सारणी 4.4

उच्च प्राथमिक स्तर पर ठहराव का लक्ष्य

वर्ष	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की कुल दर	बालिका
2000-2001	10.75	10.5
2001-2002	7.6	7.0
2002-2003	5.00	3.0
2003-2004	3.00	1.0
2004-2005	0	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी तथा ड्राप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ग्रीष्म कालीन अभिप्रेरणा शिविर व ब्रिज कोर्स, संचालित किये जायेंगे जिनकी अवधि आवश्यकता अनुसार 10 दिन से 60 दिन तक की होगी।

अध्याय - 5

समस्यायें एवं रणनीति

सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में तैयार की जाने वाली कार्य योजना को बस्ती आधारित (हैबिटेशन बेस्ड) बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस समूह वार्ता में उभरे बिन्दुओ पर सम्यक विचारोपरान्त भविष्य में प्राप्त होने वाले संसाधनों के सापेक्ष आवश्यकता परक व्यवहारिक एवं संतुलित रणनीति बनायी गयी है ।इसमें असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों को खोलना, नवीन विद्यालयों के मानकों से परे की बस्तियों में ई.जी.एस, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र छात्र नामाकंन के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति,नये भवनों का निर्माण, जीर्ण भवनों की मरम्मत हैण्डपम्प एवं शौचालयों का निर्माण, विषय अध्यापकों की नियुक्ति, रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था,व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों के सौन्दर्यकरण एवं सुदृढ़ीकरण का निम्नवत प्रयास किया जाएगा-

समस्याये	रणनीति अन्तर्गत सुझाव एवं प्रयास
1. असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना।	1.5 किमी तथा 300 किमी की आवादी वालें ग्रामें एवं बस्तियों में प्रा0 वि0 की स्थापना की जायेगी । इसी तरह दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्रा0 वि0 खोले जाने के लिये सर्वेक्षण होने तक पूर्व की व्यवस्था के अनुसार 800 की आवादी एवं 3 किमी की दूरी वाली बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी । 6 से 8 वय-वर्ग के 30 बच्चों पर 1 किमी की दूरी पर विद्यालय सुविधा न होने पर एक विद्या केन्द्र तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिये ए आई ई केन्द्रो की स्थापना की जायेगी । नगर क्षेत्र में द्विपाली में चलने वाले विद्यालयों को असेवित एवं मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर स्थापित किया जायेगा ।
(2 नगर क्षेत्र की नवीन बाह्य आबाद बस्तियों में विद्यालय का न होना ।	नगर क्षेत्र की सीमाओं पर आबाद हुई नयी बस्तियो में शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों खोलें जायेगे।
(3 छात्र समस्याओं के सापेक्ष भवन का	छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति होने के

अपर्याप्त होना	साथ-साथ अपेक्षित सज्जा में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा । इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक अनुभाग के लिये एक कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।
(4) आर्थिक एवं पिछड़ापन के कारण शिक्षा के प्रति अरुचि	ऐसे वर्गो के अभिभावकों एवं बच्चों की शिक्षा के प्रति सोच में बदलाव लाने के लिये विभिन्न स्वंय सेवी संगठनों,महिला मण्डल, युवक मंगल दल, नेहरु युवा केन्द्र बाल विकास परियोजना एवं स्वास्थ्य विभाग की ग्राम स्तरीय कार्य कर्ताओं ग्राम शिक्षा समितियों एवं अन्य जागरुक व्यक्तियों के सहयोग से सक्रिय प्रयास किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर वर्ग विशेष के सम्मानित व्यक्तियों का सहयोग भी लिया जायेगा ।
(5) शिक्षा रोजगार परक नही है ।	अभिभावकों की यह सोच, कि पढ़कर भी रोजगार नही मिलेगा, के कारण वे अपने बच्चों को पढ़ाने से रोक लेते है ।इसी विचार को दूर करने के लिये पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा के कार्यक्रमो को जोड़ा जायेगा । इससे छात्रों में स्वावलन्वन का भाव जाग्रत होगा, श्रम करके सीखने की आदत का विकास होगा तथा आर्थिक पिछड़ापन दूर होने में सहायता मिलेगी ।जनपद के विभिन्न क्षेत्रो की आवश्यकता के अनुरुप स्थानीय कुटीर उद्योगो से सम्बन्धित शिक्षा दी जायेगी। बालिकाओं के लिये सिलाई, कढ़ाई, फल संरक्षण, बुनाई, नगरीय क्षेत्रों में बालिकाओं के लिये मेहदी, फाइन आर्ट, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई बुनाई, जूट व कपड़े के बैग बनाना, बटन बनाना, मशीनो से काज बनाना आदि आदि सिखाने का प्रबन्ध किया जायेगा ।
(6)भौगोलिक कठिनाईया जैसे नदी नाले जंगल आदि का शिक्षा में अवरोध होना ।	इस कठिनाइयो को दूर करने के लिये मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र नवाचार शिक्षा

	केन्द्रो को खोल कर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
(7) अध्यापक से अपने विभाग के कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यो का लिया जाना ।	अध्यापकों से केवल विशेष परिस्थितियो में राष्ट्रीय महत्व के कार्यो को ही कराया जाने का प्रयास किया जायेगा। अध्यापक को पठन पाठन के लिये पूर्ण रुप से उत्तरदायी बनाया जायेगा । वर्ष में शिक्षण कार्य के लिये निर्धारित 220 दिन की अवधि में पठन पाठन कार्य करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अध्यापक की इसके लिये जवाव देही सुनिश्चित की जायेगी ।
(8) विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव	जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं चाहर दीवारी नही है वहॉ इसका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्रा0 वि0 /प्राथमिक वि0 में वच्चों के वैठने के लिये पर्याप्त मात्रा मे टाट पट्टी काष्टोपकरण की व्यवस्था की जायेगी । जीर्ण शीर्ण भवनों का पुर्ननिर्माण कराया जायेगा ।
(9) गुणवत्ता संवर्धन हेतु साधनों का अभाव	इस हेतु वर्तमान में प्रा0 वि0 के अध्यापकों का 500 रु प्रति अध्यापक प्रतिवर्ष दिये जाने की तरह उच्च प्रा0 वि0 के अध्यापको को भी रु0 500/ प्रति अध्यापक प्रतिवर्ष अध्यापक अनुदान के रुप में स्वीकृत किया जायेगा । इसी तरह विद्यालय अनुदान के रुप में रु 1000/ प्रति विद्यालय प्रति वर्ष दिये जाने का प्रावधान किया जायेगा ।
(10) उच्च प्राथमिक विद्यालय में विषय अध्यापकों की कमी	समस्त उच्च प्रा0 वि0 में एक प्रधानाध्यापक के साथ विज्ञान, संस्कृत, एवं अन्य सहायक अध्यापक नियुक्त किये जायेगे ।प्रति विद्यालय एक व्यायाम शिक्षक नियुक्त करने का प्रयास किया जायेगा ।
11) उच्च प्रा0 स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का न दिया जाना ।	कक्षा 6 से 8 तक की समस्त वालिकाओं व अनु0जाति के वालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराने का प्राविधान किया जायेगा ।
12 छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों	वर्तमान में पाई जाने वाली इस वहुचर्चित समस्या के निदान

की नियुक्ति न होना ।	के लिये 1:40 के मानक के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति की जायेगी । कुछ प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा के संवर्धन के लिये गृह विज्ञान की शिक्षिका की नियुक्ति करना प्रस्तावित है।
(13) शिक्षक एवं छात्र के बीच गुरु शिष्य के सम्बन्ध में कमी आ जाना	शिक्षक छात्र के प्रति मधुर व्यवहार रखे, बच्चों के प्रति संवेदनशील हो, बच्चों की प्रगति को वे अपना सम्मान समझे, शिक्षक की छवि बच्चो के मस्तिक में सकारात्मक, गुणवत्ता परक एवं विशिष्ट प्रभावशाली हो इसके लिये आवश्यक है कि अध्यापक को विषय ज्ञान अच्छा हो, अभिभावको से उनका जनसम्पर्क बेहतर हो, इन सबके लिये अध्यापकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिये जायेगे ।
(14) विद्यालय का वातावरण आकर्षक होना	विद्यालय के परिवेश को चाहरदीवारी देकर शिक्षक व छात्रों के सहयोग से आर्कषक बनाया जायेगा । अधिगम शिक्षण सामग्री हेतु धनराशि दी जायेगी, कक्षा-कक्षों में लर्निंग कार्नर बनवाये जायेंगे, बच्चों के लिये खेलकूद की सामग्री की व्यवस्था की जायेगी, कक्षा कक्षों को भित्ती चित्रो व दीवारों पर नैतिक वाक्यों के लेखन से आर्कषक बनाया जायेगा। छात्र समूहों का गठन करके विद्यालय के सौन्दर्य करण का दायित्व सौंपा जायेगा तथा छात्रो को समूह में पढ़ाया जायेगा।
(15) सतत मूल्यांकन का अभाव	गुणवत्ता परक शिक्षा के लिये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रभावी व्यवस्था कराई जायेगी। इसके अन्तर्गत मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन कराया जायेगा ।छात्रों को उत्तीर्ण /अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र न देकर श्रेणी पाने वाले विद्यार्थियों का ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत कराया जायेगा। कक्षा -1 व 2 में लिखित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन कराया जायेगा। कमजोर छात्रों को परीक्षा के

	आधार पर कक्षोन्नति न देने के स्थान पर उसे निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था देकर आगामी सत्र से पूर्व पुनः मूल्याकंन कराया जायेगा ।
(16)समाज की सहभागिता का अभाव	अभिभावको एवं जनसमुदाय में यह सोच विकसित की जायेगी कि विद्यालय उनका अपना है व्यवस्थित पढ़ाई से ही उनके बच्चे का भविष्य उन्नत होगा। जिससे गांव व राष्ट्र का विकास होगा इस हेतु ग्राम शिक्षा समितियो को सक्रिय किया जायेगा विद्यालय का दायित्व उन्हे सौपा जायेगा तथा छात्रों के मूल्याकंन में उन्हे सहभागी वनाया जायेगा। माइक्रोप्लानिंग एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु गांव के शिक्षित युवाओं की सहभागिता ली जायेगी ।विद्यालय अनुशासन, विद्यालय सौन्दर्यीकरण एवं साज सज्जा जुटाने में स्थानीय समुदाय की मदद ली जायेगी। ग्राम के स्वयं सेवी प्रकृति वाले व्यक्तियो से अध्यापको के अभाव में समय दान लेने का प्रयास किया जायेगा। गांव के समृद्ध एवं उदार मन व्यक्तियो से प्रतिभावान छात्रों एवं निर्धन छात्रों को क्रमशः पुरस्कार एवं सहायता दिलाने का प्रयास किया जायेगा। वच्चो के चारित्रिक निर्माण के लिये स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियो द्वारा राष्ट्रीय पर्वो पर प्रोत्साहन स्वरुप भाषण आदि की व्यवस्था कराई जायेगी ।
(17) अक्षम बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था का न होना	अक्षम बच्चों की शिक्षण व्यवस्था विशेष रूप से कराए जाने हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित कराकर व्यवस्था की जाएगी। ऐसे वच्चों को उनकी विकलांगता के आधार पर चिन्हित करा कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा इस कार्य में जनपदीय चिकित्सा बोर्ड की सहायता लेकर परीक्षण की व्यवस्था करायी जायेगी तथा कैम्प लगाकर विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे। विकलांग बच्चों के विकास हेतु जन

	समुदाय को सक्रिय कर उनका सहयोग लिया जाएगा। इस हेतु विचार गोष्ठियॉं आयोजित की जायेंगी जिसमें गणमान्य व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित कर उनके सुझाव प्राप्त किये जायेंगे। चिन्हित विकालांग बच्चों को आवश्यकता अनुसार निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जायेंगे। शासन द्वारा पर्याप्त उपकरण प्राप्त न होने की स्थिति में स्वयं सेवी संगठनों एवं स्थानीय उद्योग पतियों का अनुदान प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा तथा ऐसे बच्चों के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाएगा।
18. बाल श्रमिक एवं उनके अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव	6-14 वय वर्ग के विद्यालय से बाहर रहने वाले बाल श्रमिक बच्चों एवं उनके अभिभावकों से गहन सम्पर्क कर उनकी सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं की जानकारी करते हुए उनके लिए प्रहर पाठशाला, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ,खोल कर शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। श्रम विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण एवं पाठ्क्रम आदि की जानकारी करा कर उनके प्रोत्साहन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग श्रम विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
19. शैक्षिक निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की कमी	जनपद स्तर पर प्रशासनिक ढॉंचे के अन्तर्गत न्याय पंचायत समन्वयक, ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट प्राचार्य एवं अन्य अभिकर्मी तथा विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रभावी एवं नियमित रूप से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कराया जाएगा। एन0पी0आर0सी0 बी0आर0सी0 समन्वयकों के द्वारा शैक्षिक सपोर्ट की व्यवस्था करायी जाएगी।न्याय पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा।

20. प्रोत्साहन सुविधा सत्र के प्रारम्भ में ही दिया जाना	छात्रवृत्ति सत्र के प्रारम्भ में ही दिये जाने का प्राविधान है। इस तरह की प्रोत्साहन सुविधाएँ लेने के उपरान्त विद्यालय छोड़ने की सम्भावनाएँ रहती हैं। इस सम्वन्ध में सत्र मे दो बार छात्रवृत्ति वितरण कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
21. पोषाहार का वितरण बन्द होना	कतिपय कारणों से विगत वर्ष से पोषाहार वितरण बन्द हो गया है। सम्वन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर पोषाहार वितरण कराया जाएगा।
22. परिषदीय विद्यालयों में अंग्रजी शिक्षण का प्रारम्भ से न होना	यह समस्या शासन की नीति विषयक समस्या है। इस सम्बन्ध में संस्तुति कर शासन से कार्यवाही करायी जाएगी।

अल्प समय में सर्व शिक्षा अभियान तैयार करने के कारण फोकस ग्रुप डिस्कशन में वहुत सी समस्यायें अछूती रह गयी होगी, उनके समयानुसार संज्ञान में आने पर, योजना काल में रणनीति में आंशिक परिवर्तन कर उनका निस्तारण किया जाएगा।

अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार-1

1.प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राथमिक विद्यालयों का खोलना:-

ब्लाक समन्वयकों से प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार जनपद में असेवित वस्तिओं की संख्या निम्नवत है, जिनमें 97 ग्राम व बस्तियॉं 1.5 कि.मी. की दूरी एवं 300 से अधिक की आवादी वाली हैं तथा 81 बस्तियॉं ऐसी हैं जहॉं 25 बच्चे तक उपलब्ध हो सकते हैं इन बस्तियों में मानक के अनुसार 70 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित किया गया है। वर्षवार प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है-

सारणी -6.1

वर्ष 2002-03	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
संख्या	18	52	–	-	-	-	-	-

सारणी-6.2

कमांक	विकास क्षेत्र का नाम	1.5 कि.मी.की दूरी एवं 300 से अधिक की आबादी वाली वस्तियों की संख्या
1.	अमरोहा	6
2.	जोया	5
3.	धनौरा	14
4.	गजरौला	1
5.	हसनपुर	19
6.	गंगेश्वरी	18
7.	नगर हसनपुर	1
8.	नगर अमरोहा	6
	योग	70

स्रोत- ब्लाक सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी के अनुसार विकास खंडवार प्राथमिक विद्यालय हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची निम्नवत है- प्राथमिकता के क्रम में विद्यालय खोले जायेंगे।

सारणी 6.3

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	विकास क्षेत्र हेतु प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या	प्रस्ताविम ग्राम /बस्ति का नाम
1.	अमरोहा	12	1. सुल्तानपुर इन्तजाम अली 2. बहलोलपुर 4. कुम्हरिया 5. ताजपुर 6. कमालपुरी 7. मिलकबकेना 8. खानपुर तगा 9. तुड़ 10. हफीजपुर 11. अकदादपुर 12. भुखापुरी 13. गाजरपुरी
2.	जोया	8	1.कलाली 2.मिलक मेहदी 3.चकमजदीपुर 4.देवीपुरा 5.शेखूपुरागूजर 6.शेखूपुरा 7.सलेमपुर -नवादा 8.दासीपुर

3.	धनौरा	16	1.धनौरीखुर्द 2.सुल्तानपुर 3.दारानगर 4.सैदपुर 5.दासपुर 6.बलीपुर 7.मिठनपुर 8.गनौरा 9.आजमपुर चौकला 10.पट्टी 11.सराय 12.झुंडपुरा 13.प्रेम नगर 14.मुनीमपुरा 15.आसुवाला 16.डांडी
4.	गजरौला	2	1.दस्तौरी 2.औसीताजगदेपुर
5.	हसनपुर	25	1. नवाबपुरा 2. झोंटना 3. चकमड़ैया 4. गढ़ी 5. वेगपुर सरकी 6. रुद्रपुर 7. तसिहा 8. तेलीपुरा 9. घोसीपुरा

			10.त्रिलोकपुर 11.राजपुर 12.ककरौआ 13.बड़ातरारा 14.फतेहपुर 15.शबदलपुर शर्की 16.वालानागर 17.फिरोजाबाद 18.महमूदपुर बंगर 19.करनपुर 20.पंडकी 21.पुरसल 22.मिरजापुर 23.सुकारीखुर्द 24.भीमे की मड़ैया
6.	गंगेश्वरी	24	1. श्यामगढ़ी 2. खुशहालपुर 3. नयीवस्ती रहरा 4. चकफेरी की मड़ैया 5. काछीवाली मड़ैया 6. सिकन्दराबाद 7. नहरपुर 8. कसाईपुरा 9. नठरिया 10.ड्वारसीपुर चौराहा 11.प्रेमनगर 12.प्रितमपुर 13.डेंशीवाली मड़ैया

			14.ईटा 15.गरगज की मड़ैया 16.मंगूरा 17.भूरोवाली 18.चामनोवाली 19.सैनीवाली मड़ैया-। 20.जाटोवाली मड़ैया 21.खैलिया की मड़ैया 22.जीतपुर 23.भावली की मड़ैया 24.शेरगढ़
7.	अमरोहानगर	9	1.छेवड़ा 2.इस्लामनगर 3.नयीबस्ती बढवाल 4.नयीबस्ती बेगमसराय 5.नयीबस्ती अहमदनगर 6.सरायकोना(नल) 7.वासुदेव कोलोनी 8.सुबोध कालोनी 9.आवास विकास कालोनी
8.	हसनपुर नगर	1	1.लालबाग

स्रोतः- ब्लाक समन्वयको से प्राप्त सर्वेक्षण आकंडो के अनुसार

2. <u>उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालयः</u>-प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के मानक के अनुसार जनपद में निम्नवत 398 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा सकते है-

		ग्रामीण	नगर
•	वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	788	53
•	नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	87	10
•	योग	875	63
•	2:1 के अनुपात से उच्च विद्यालय की आवश्यता	437	32
•	वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	65	6
•	उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता 2:1 पर	372	26
•	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता	169	-
•	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित	125	-

उपरोक्त के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 398 उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किये जा सकते है परन्तु इन विद्यालयों हेतु उपलब्ध छात्रों की संख्या के लिये हाउस होल्ड सर्वे न किये जाने के कारण में वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये 800 की आवादी पर एवं 3 किमी0 की दूरी वाली बस्तियों का समूह बना कर वर्तमान आवश्यकतानुसार जनपद में 125 विद्यालयों का प्रस्ताव किया जा रहा है यह विद्यालय यथा सम्भव भूमि की उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही स्थापित किये जायेंगे जहॉ पर पेय जल,शौचालय एवं चहर दीवारी की वचत हो जाएगी।

प्रस्तावित 125 विद्यालयों हेतु विकासक्षेत्रवार ग्रामों की सूची निम्नवत है प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय खोले जायेंगे।

सारणी 6.4

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	विकासक्षेत्र में प्रस्तावित विद्यालयो की संख्या	प्रस्तावित ग्राम/वस्ती का नाम
1.	अमरोहा	26	1.कुमुखिया 2.कमालपुर 3.कोराल 4.चमरौआ 5.जमनाखास 6.अकवरपुर पट्टी 7.अव्वलपुर

			8.कुड़ामाफी 9.पिपलीघोसी 10.दाउसराय 12.इब्राहीमपुर 13.सिकरिया 14.बोराबोरी 15.खेड़का 16 कालाडावरा 17 रायपुरकलां 18 अदलपुर सम्दू 19 हाजरपुर जमनिया 19 सिहाली नरायन 20 धनौरीमीर 21 रामपुर जुनारदार 22 शाहीदपुर 23 मुबारकपुर 24 शादीपुर 25 अहरोई 26.उमरीसादात
2.	जोया	38	1.बरखेड़ा राजपूत 2.कपासी 3.कमालपुर जैद 4.चौधरपुर 5.फतेहपुर मार्फा 6.चकपायर्ता 7.डयोढ़ी 8.औरंगाबाद

			9.पतेईखालसा
			10.हरियाना
			11.डिडोली
			12.चककालीलेट
			13.रामट
			14.कैलशा
			15.मझोला
			16.जलालपुर धना
			17.सिरसाखुमार
			18.डाईडेरा
			19.नीलीखेड़ी
			20.पूरनपुर
			21.मीरासराय
			22.धनौरामुरादनगर
			23.श्यामपुर
			24.शाहपुर
			25.मसूदपुर नवादा
			26.पंडकी
			27.अमरोहा देहात
			28.पपसरा
			29.अतरासीकलां
			30.गफफारपुर
			31.करौदी
			32.भटपुरा
			33.फयाजनगर
			34.सरकड़ाकमाल
			35.कालाखेड़ा
			36.भवानीपुर

			37.मुबारकपुर 38.सलामतपुर
3.	धनौरा	18	1. कौराल 2. टडेरा 3. चुचैलाकलां 4. नीलखेड़ी 5. मुहीउद्दीनपुर 6. आजमपुर 7. नवाबपुराभूड़ 8. फतेहउल्लापुर 9. कैसरा 10.चकनवाला 11.वाजिदपुर 12.चौखंट 13.कादराबाद 14.कंजरवसेड़ा 15.पतेईएनन 16.मूडाखादर 17.चांदरा 18.वासीपुर
4.	गजरौला	22	1. बहलोलपुर 2. कटाई 3. नुरीदपुर अटारी 4. गंगालिया बहादुरपुर 5. बगड़पुर 6. जलालपुरकलां 7. बिड़लाधोरिया 8. डगरपुरी

			9. कुमराला 10. फतेहपुर छितरा 11. वारसावाद 12. रहमापुरमाफी 13. लम्बिया 14. ढकिया 15. मौहम्मदपुर सुल्तानठेर 16. अफजलपुर लूट 17. बिजौरा 18. सलेमपुर गोसाई 19. सहसोली 20. लठिरा 21. पपसरा खादर 22. काकाठेर
5.	हसनपुर	31	1.दीपपुर 2.अतरासीकलां 3.रामपुरभूड़ 4.करनपुर माफी 5.शेखूपुर झकड़ी 6.अलीपुर खादर 7.नुरपुरखुर्द 8.मछरई 9.लुहारीखादर 10.मुबारकपुरकलां 11.सतैड़ा एत्नाली 12.पीपली वाउद 13.रझोहा 14.तसिहा

			15.घरौट 16.पीठखेड़ा 17.तुगलाबाद 18.वह्माबाद 19.ओसामाफी 20.डगरोली 21.फूलपुर वीझलपुर 22.हैबतपुर बंजारा 23.पहाड़पुर वक्काल 24.कुआडाली 25.दमगढ़ी 26.बिजनौरा 27.भीमासुल्तानपुर 28.गारवपुर 29.खरसौली 30.शाहपुरकलां 31.डाकेवालीमिलक
6.	गंगेश्वरी	34	1.खैलियाखालसा 2.पौरारा 3.पथरामुस्तकम 4.विहारीपुर 5.वरतौरा 6.वांसकाकलां 7.हिरनौटा 8.हाजीपुर 9.मरौरा

			10.भैसरोली 11.खरगरानी 12.दूल्हेपुर 13.दौरारा 14.शहबाजपुर ढोला 15.इमरतपुर 16.सुतावली 17.पतेईखादर 18.रुखालू 19.निरयावली 20.लालापुर 21.सलारा 22.गुरैठा 23.ढवारसी 24.कोकापुर, 25.पाडली 26.चकफेरी 27.खरपड़ी 28.खाईमुस्तकम 29.देहरीखादर 30भुवरा 31.गंगवार 32.गंगेश्वरी 33.साथलपुर 34.खाजेपुर
7.	अमरोहानगर	-	-
8.	हसनपुर नगर	-	-

स्रोत:- ब्लाक समन्वयकों द्वारा प्रेषित सर्वेक्षण आंकड़े

वर्षवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निम्नवत प्रस्तावित किया जा रहा है-

सारणी 6.5

वर्ष	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
संख्या	-	25	20	→	40	-	-	-	-

शिक्षक व्यवस्थाः- एक प्राथमिक विद्यालय हेतु एक पधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था है। परन्तु छात्र संख्या वृद्धि के अनुसार 1:40 से शिक्षकों की वृद्धि का भी प्रस्ताव किया जाएगा। इसी प्रकार एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक एवं चार सहा0 अध्यापको का प्राविधान किया गया है। विज्ञान, गणित, संस्कृत आदि विषय के शिक्षक इन्हीं चार शिक्षकों में सम्मिलित हैं। एक विद्यालय में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं एक सफाई कम चौकीदर की व्यवस्था की जाएगी।

विद्यालय साज सज्जाः- परियोजना में प्रथम बार सम्मिलित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को रू0 50,000/ देना प्रस्तावित है जिसमें मेज, कुर्सी, खेलकूद सामग्री, स्कूल पंजिकाएँ, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं काष्ठोपकरण आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस सामग्री का क्रय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा।

नवीन प्राथमिक विद्यालय में टाट पट्टी, कुर्सी मेंज, श्याम पट, सन्दूक, अलमारी, पंजिकाएँ, खेलकूद सामग्री आदि के लिए रू0 10 हजार का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि का व्यय भी ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से ही किया जाएगा। विस्तारित विवरण पेज 57-A पर दिया है।

पेय जल,शौचालय,चहार दीवारी की व्यवस्थाः- नवीन प्राथमिक एवं उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को पानी की सुविधा हेतु इण्डिया मार्क टू हैण्डपम्प की स्थापना करायी जाएगी। छात्र-छात्राओं हेतु पृथक पृथक शौचालय बनाए जायेंगे। विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखने हेत भवन के साथ चहार दीवारी का निर्माण भी कराया जायेगा।

नवीन प्रा० विघालय साज सज्जा :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विघालय को सुसज्जित करने तथा विघालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा । इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा - मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यापट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्वेपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, [illegible] [illegible] कूदने की रस्सी, कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि)। उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलो मे विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते है, इसलिये इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम मे करायी जायेगी

<u>**नवीन उ०प्र० विघालय साज सज्जा-**</u>

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी । ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी । इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा- मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेन्ट, (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), क्रीडा सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लास रूम टीचिंग मेटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू इन वन, आदि-आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

निर्माण कार्यदायी संस्था:- जन समुदाय की सहभागिता जुटाने की दृष्टि कोण से विद्यालय भवनों के निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों को सौपने का प्रस्ताव किया गया है। इस हेतु ग्राम स्तर पर आठ व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर जागरूक बनाया जाएगा तथा उन्हें विद्यालय भवन एवं बच्चों के हित अहित के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाएगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण:-निर्माण कार्य समय अनुसार गुणवत्ता परक एवं सुगमता पूर्वक हो, इसके लिए भवन शौचालय, हैण्ड पम्प एवं चहर दीवारी का निर्माण जो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराए जायेंगे, का पर्यवेक्षण विकास खण्ड में नियुक्त अवर अभियन्ता द्वारा कराए जायेंगे तथा उनका तकनीकी सहयोग ग्राम शिक्षा समितियों को दिलाया जाएगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता:- उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्नवत अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी वर्षवार निम्न विवरण अनुसार अति कक्षा-कक्षों का निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है-

- एक कक्षीय चार विद्यालयों में तीन कक्ष प्रति विद्यालय- 12
- दो कक्षीय चार विद्यालयों में दो कक्ष- 8
- तीन कक्षीय 37 विद्यालयों में एक कक्ष- 37
- योग 57

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा जनपद के लिए वर्ष 2001-2002 हेतु 27 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन्हें घटाते हुए तीस अतिरिक्त कक्षा कक्षों और आवश्यकता होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 25 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है। जिनका वर्षवार निम्नवत प्रस्ताव किया जा रहा है-

सारणी 6.6

वर्ष	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
संख्या	10	15	–	-	-	-	-	-

प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता :- जनपद के प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्नवत अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी यह आवश्यकता विगत तीन वर्ष की छात्रसंख्या में निम्न सारणी अनुसार छात्रवृद्धि की औसत दर 7 प्रतिशत से वर्तमान नामांकन का प्रोजेक्शन कर आगामी 10 वर्ष के लिये निकली गयी है-

सारणी 6.7

वर्ष	नामांकन	वृद्धि	वृद्धिदर
1999-2000	112097	-	-
2000-2001	120739	8642	7.7
2001-2002	129842	9103	7.9

उपरोक्त सारणी के अनुसार छात्र संख्या वृद्धि के अनुसार प्राप्त औसत दर को दृष्टिगत रखते हुये छात्र नामांकन 129842 पर 7 प्रतिशत की दर से आगामी वर्ष के लिये निम्नवत प्रोजेक्शन किया गया है प्रोजेक्टेड नामांकन पर 1:40 के अनुपात से शिक्षको की आवश्यकता निकाली गयी है इस आवश्यकता वाली संख्या में से वर्तमान में सृजित/स्वीकृत शिक्षक एवं शिक्षामित्रों की संख्या घटाते हुये अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता निकाली गयी है जिसमें आधे शिक्षक एवं आधे शिक्षा मित्र होगे।

सारणी-6.8

वर्ष	परिषदीय छात्र नामांकन	1:40 के अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता	सृजित पद			अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता		
			शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग	शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग
2001-2002	129842	3246	2510	378	2888	–	–	–
2002-2003	138930	3473	2689	557	3246	43	42	25
2003-2004	148655	3716	2803	670	3473	371	372	743
2004-2005	159060	3976	2924	792	3716	130	130	260
2005-2006	170194	4254	3054	922	3976	139	139	278
2006-2007	182107	4552	3193	1061	4254	140	149	[illegible]
2007-2008	194854	4871	3342	1210	4552	–	–	–
2008-2009	208493	5212	3501	1370	4871	–	–	–
2009-2010	223087	5577	3672	1540	5212	–	–	–

स्रोत:- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़े

उपरोक्त सारणी में शिक्षकों की मांग वर्ष 2001-2002 की छात्र संख्या पर विगत 2 वर्षों की छात्र संख्या वृद्धि की औसत दर 7 प्रतिशत की दर से प्रोजेक्शन करते हुए की गयी है। जनपद के लिये आगामी 10 वर्षों हेतु कुल अपेक्षित 5577 शिक्षक संख्या में से वर्तमान में स्वीकृत 2510 शिक्षको एवं 378 शिक्षा मित्र के पदों को घटाते हुये 1664 शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की मांग वर्षवार निम्नवत की जा रही है।

सारणी 6.9
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की माँग

वर्ष	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
संख्या	—	43	371	130	139	149	—	—	—

सारणी 6.10

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की माँग

वर्ष	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
संख्या	—	42	372	130	133	149	—	—	—

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या व प्रस्ताव:-

जनपद में 71 उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिनके लिए प्रति विद्यालय 5 शिक्षकों की दर से 355 पद स्वीकृत है। 249 शिक्षक कार्यरत है तथा 106 पद रिक्त है जिनकी नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार समय समय पर की जाती है। जनपद की सत्र 2001 की परिषदीय विद्यालयों की छात्र संख्या 11903 के लिए वर्तमान में अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता नही है। आगामी 10 वर्षों में प्रस्तावित 125 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 5 अध्यापकों का प्रस्ताव कर कुल 625 अध्यापकों का प्रस्ताव किया गया है।

<u>उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु मूल्यांकन सर्वेक्षण:-</u> सर्व शिक्षा अभियान कार्य योजना तैयार करने हेतु प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वर्तमान में संचालित दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्तान किया जाना चाहिए। परन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या एवं असेवित बस्तियों की विद्यालय से दूरी तथा आवश्यकतओं की जानकारी ठीक प्रकार से न होने के कारण वर्तमान शासनादेशों के अनुरूप तीन कि.मी. की दूरी एवं ८०० की आबादी के समूह बनाकर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है। वास्तविक आवश्यकताओं को जानने के लिए सर्वे कराया जाएगा जिसके अनुसार आगामी वर्षों की कार्य योजनओं में संशोधन किया जाएगा। इस सर्वेक्षण हेतु 2 लाख रू0 का प्राविधान किया गया है।

नवीन भवन निर्माण में मितव्ययिता:

सर्व शिक्षा अभियान में प्रति दो प्रा. विद्यालय स्तर पर एक उ.प्रा. वि. खोलने का प्राविधान है ऐसी दशा में नया भूमि न लेकर प्रा.वि. परिसर में ही नवीन विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिससे हैण्डपम्प शौचालय, चाहरदीवारी, बागवानी, इत्यादि के व्यय से बचा जा सकता है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक हेतु यह धनराशि क्रमश: 259 एवं 451 हजार रुपये बजट प्राविधानित है।

अध्याय-7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार-II

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की समाप्ति पर शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को सम्मिलित किया जा रहा है।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष योजनाओं का संचालन किया गया। जिसमें औपचारिक शिक्षा के साथ साथ वर्ष 79-80 से सम्पूर्ण देश में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम भी चलाया गया। यह योजना मुख्यतः शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ें राज्यों में वहॉ की शहरी मलिन बस्तियों पर्वतीय जन जातियों, रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में चलाई गयी। यह योजना उन बच्चों के लिए जो किन्हीं सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारणेां से कभी विद्यालय नहीं गये अथवा विद्यालय बीच में ही छोड़ कर चले गये, लाभदायक समझी गयी।

यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में चलाए गए। इस जनपद के सभी विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। परन्तु लक्ष्यों की सम्प्राप्ति करने में असफल इस कार्यक्रम को केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 में बन्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति में इस योजना से जुड़े बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की समस्या उत्पन्न हो गयी। अतः सर्व शिक्षा अभियान चलाने की आवश्यकता शासन स्तर पर महसूस की गयी। तदानुसार माइक्रोप्लानिंग के ऑकड़ों के आधार पर 6-11 वय वर्ग के बच्चों को दो समूहों में विभाजित कर उनके लिए शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार योजना प्रस्तावित की गयी।

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा के अन्तर्गत जनपद में 6-14 वय वर्ग के उन बच्चों को, जो विद्यालय की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, को कक्षा एक व दो की शिक्षा देकर औपचारिक विद्यालयों में कक्षा तीन में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। उन केन्द्रों का स्वरूप औपचारिक विद्यालयों की भाँति ही होगा। जनपद में कुल 81 ई0जी0एस0 खोलने का प्राविधान किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 40 तथा द्वितीय चरण में 41 केन्द्र प्रस्तावित किये जायेंगे

जिनका विवरण इसी अध्याय में दिया जाएगा। वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा के अन्तर्गत 9-14 वय वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नवाचार शिक्षा केन्द्रों का प्रस्ताव किया जाएगा।

जनपद ज्योतिबाफुले नगर मुरादाबाद जनपद, जो विस्तार की दृष्टि से बहुत बड़ा जनपद था, का ही एक भाग है। इसमें कहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो कहीं गंगा के खादर में अति पिछड़े एवं निर्धन वर्ग के लोग निवास करते हैं। इनको दृष्टि गत रखते हुए विकास खण्डों की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा गारण्टी केन्द्र एवं शिक्षा नवाचार केन्द्र खोले जायेंगे। विकास खण्डों की अपनी आवश्यकताओं एवं विषमताओं का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

बाढ़ग्रस्तता, पिछड़ापन

<u>विकास क्षेत्र गंगेश्वरी:-</u> जनपद की तहसील हसनपुर का एक अति दूरस्थ विकास क्षेत्र है, जिसका एक भाग गंगा के किनारे फैला है तथा दूसरा भाग रेतीला है। अधिकांश भाग वर्ष के कई माह गंगा नदी से बाढ़ ग्रस्त रहता है। इसी कारण आवागमन के साधन भी अच्छे नहीं है, कृषि उन्नतशील नहीं है, अन्य औद्योगिक इकाइयॉ क्षेत्र में संचालित नहीं हैं, परिणामतः वहॉ की जनता आर्थिक रूप से निर्धन है। इस विकास खण्ड में पिछड़ी जाति के अन्तर्गत खागी, गूजर एवं सैनी जातियों एवं अनुसूचित जातियों का बाहुल्य है। इनमें से अनेक लोग भूमिहीन भी हैं।

इस क्षेत्र के लोगों का शैक्षिक स्तर बहुत नीचा है । कहीं कहीं देखने में आता है कि पूर्ण ग्राम पंचायत में हाई. स्कूल. इन्टर उत्तीर्ण युवक युवतियॉ उपलब्ध नहीं हैं। 1991 की जनगणना के उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार क्षेत्र की साक्षरता 16.58 प्रतिशत है, जिसमें महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत मात्र 4.26 है, जो अति दयनीय स्थिति है। वर्ष 1999-2000 में यहॉ 15 शिक्षा घर स्थापित किये गये तथा वर्ष 2000-2001 में 10 ई0जी0एस0 केन्द्र खोले गये । परन्तु अभी भी असेवित बस्तियॉ शेष हैं जहॉ अभी भी वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, ई0जी0एस0 व

नवाचार शिक्षा केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है जिनकी ग्रामवार सूची इसी अध्याय के अन्त में दी गयी है।

बाढ़ग्रस्तता, पिछड़ापन

विकास क्षेत्र हसनपुर- यह विकास खण्ड भी आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है। इसका पश्चिमी भाग गंगा नदी का, खादर क्षेत्र है तथा शेष भाग रेतीला है जो अनुपजाऊ क्षेत्र है। अनुपजाऊ भूमि एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण खेती की दशा अच्छी नहीं है। सामान्यतः लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही हैं। कुटीर उद्योग के रूप में यहॉ रस्सी उत्पादन का कार्य किया जाता है। आवगमन के साधनों की कमी है। स्थानीय वाहन के रूप में स्थानीय स्तर पर जुगाडू नाम का वाहन चलाया जाता है, जिसे लोग सवारी एवं सामान ढ़ोने के काम में लाते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर इस विकास क्षेत्र की साक्षरता दर 24.13 है। इस विकास क्षेत्र में अभी भी कई असेवित बस्तियॉ शेष हैं जिनका विवरण इसी अध्याय के अन्त में दिया गया है। इन बस्तियों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा न होने के कारण यहॉ के निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के वच्चों की शैक्षिक दशा अच्छी नहीं है। वर्ष 2000-2001 में यहॉ 12 ई0जी0एस0 तथा 10 मकतब खोले गये हैं। विकास खण्ड स्तरीय सर्व शिक्षा अभियान गोष्ठी में ग्राम प्रधानों ने क्षेत्र की कई शैक्षिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है, यथा- अध्यापक उपस्थिति नियमित करने हेतु ग्राम प्रधानों को और अधिकार दिये जायें, प्रत्येक आवादी में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो तथा पिछड़े क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय अधिक मात्रा में खोले जायें।

ए0आई0ई0, नवीन विद्यालय

अभी भी इस विकास खण्ड में 25 वस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 11 वस्तिओं में ई0जी0एस0/वैकल्पिक एवं

नवाचार शिक्षा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है जिनकी सूची इसी अध्याय के अन्त में दी गयी है।

<u>विकास क्षेत्र गजरौला-</u> तहसील धनौरा में दो विकास क्षेत्र हैं- गजरौला व धनौरा। यह विकास क्षेत्र भी गंगा नदी से प्रभावित हैं। वैसे तो गजरौला नगर औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित है। परन्तु अन्य भाग आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गजरौला नगर में शिक्षण संस्थाएँ स्थापित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की कमी है ।नगर में उद्योग धन्धों के कारण प्रदूषण की समस्या रहती है। फैक्ट्रियों की चिमनियाँ काली छाई उगलती रहती हैं। जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।इसके रहते विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता है विकास क्षेत्र के तिगरी नामक गाँव में कार्तिक पूर्णिमा को गंगा मेला का आयोजन किया जाता है जो कि धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इसी विकास क्षेत्र में बृजघाट नामक गंगा नदी के किनारे ऐसा स्थल है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तीर्थ स्थल माना जाता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से यह विकास खण्ड पिछड़ा हुआ है। 1991 की जनगणना के ऑकड़ों के आधार पर यहाँ की साक्षरता दर 30.40 प्रतिशत है जिसमें महिलाओं की सांक्षरता दर 12.34 प्रतिशत मात्र है। वैसे तो इस विकास क्षेत्र में एक डिग्री कालेज भी है। परन्तु सघन आवादी के कारण छात्रों को दूरस्थ स्थानों पर शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। क्षेत्र में प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल स्तर के विद्यालयों की बहुत कमी है। उपलब्ध विद्यालयों में पर्याप्त भवन व अध्यापकों की कमी है। वर्ष 1999-2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की ओर से यहाँ 15 शिक्षा घर तथा 10 मकतब/मदरसा केन्द्र संचालित

वाल श्रमिकों की समस्या

नवीन विद्यायल, ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0

किये गये हैं। परन्तु अभी भी बहुत सी ऐसी वस्तियाँ हैं जहाँ जनसंख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए तथा कम आबादी वाली बस्तियों में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्र खोले जाने नितान्त आवश्यक है। विकास क्षेत्र का पूर्वी भाग तो कृषि प्रधान है जो उन्नत है तथा आवागमन के साधनों की सुविधा भी है। परन्तु पश्चिमी भाग गंगा का खादर, अनुपजाऊ भूमि व यातायात के साधनों की कमी वाला क्षेत्र है। शैक्षिक दृष्टिकोण से इसके पश्चिमी खादर वाले भाग में कहीं कहीं पाँच पाँच कि0मी0 की परिधि में भी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी किसी ग्राम पंचायत में इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण युवक युवतियों का मिलना भी मुश्किल है। क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अध्यापक नियुक्त नहीं हैं। इस क्षेत्र में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों का खोला जाना अति आवश्यक है।

ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0

<u>विकास क्षेत्र धनौरा</u>:- इस विकास खण्ड का बहुत बड़ा भू भाग गंगा नदी का खादर क्षेत्र है, जहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है। यहाँ अधिकांशतः पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति का क्षेत्र है। शेष भाग कृषि प्रधान तो है परन्तु अन्य उद्योग धन्धे उपलब्ध नहीं हैं। आवागमन का साधन बहुत कम है। शैक्षिक दृष्टिकोण से भी यह विकास क्षेत्र अति पिछड़ा है।
इस विकास खण्ड में अन्य ऐसी असेवित बस्तियाँ हैं जहाँ प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाना अति आवश्यक है 1991 की जनगणना के आधार पर इस विकास खण्ड में साक्षरता दर 31.27 प्रतिशत है। जिससे स्पष्ट है कि यहाँ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु विद्यालय स्थापित किये जाने हैं। साथ ही साथ कम जनसंख्या वाले

(लकड़ी का सामान) बीड़ी उद्योग व कालीन उद्योग कुटीर उद्योगों के रूप में विकसित हैं। वाद्य यन्त्र जैसे ढ़ोलक, मजीरा, तबला इत्यादि निर्यात किये जाते हैं। जनपद के शैक्षिक ऑकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई कमी है तो वह कक्षा कक्षों की कमी, अध्यापक छात्र अनुपात में अध्यापकों की कमी प्रमुख है। अमरोहा विकास खण्ड में चार डिग्री कालेज हैं। अभी भी क्षेत्र में असेवित बस्तियाँ हैं जहाँ प्राथमिक शिक्षा का अभाव है ।

बालश्रमिक समस्या

ऐसी स्थिति में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्थापित करने तथा कुछ कम जनसंख्या वाली बस्तिओं में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2000-2001 में इस विकास क्षेत्र में 10 मकतब/मदरसा केन्द्र व चार ई0जी0एस0 केन्द्र संचालित किये गये हैं। इस विकास क्षेत्र में बाल श्रमिक बहुत हैं क्योकि कुटीर उद्योग धन्धों में विद्यालय जाने योग्य बच्चे अपने परिवार के जीविकोपार्जन हेतु मजदूरी करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बाल श्रमिक केन्द्र, प्रहर पाठशाला तथा ब्रिज कोर्स संचालित कर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना में केन्द्रों हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये हैं।

शिक्षा गारण्टी योजना (ई0जी0एस0):-

इस योजना के अन्तर्गत 6-8 वय वर्ग के बच्चों को पंजीकृत कराया जाएगा। ऐसे ग्राम, बस्ती, मजरे, मोहल्ले जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से एक कि0मी0 की परिधि से बाहर है परन्तु वहाँ 6-8 वय वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध हैं, ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी जिनमें केवल कक्षा 1 व 2 की शिक्षा व्यवस्था होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन केन्द्रों के संचालन में स्टेट सोसाइटी उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद निशातगंज, लखनऊ द्वारा किया जाएगा। एक केन्द्र पर एक आचार्य जी की नियुक्ति की जाएगी।

<u>वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (ए0आई0ई0) कार्यक्रमः-</u>

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चों के लिये जो अधिक आयु हो जाने एवं मनोवैज्ञानिक दवाव के कारण झेंपू व दब्बू हो जाते है तथा वे बच्चे जो ड्राप आउट होकर प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, ऐसे काम काजी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। यह केन्द्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर चलाए जायेंगे। प्राथमिक स्तर के केन्द्र के लिए एक आचार्य तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर दो व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जिनमें से एक पुरूष होगा जिसे गुरू जी कहेंगे तथा एक महिला, जिसे दीदी जी कहा जाएगा, की व्यवस्था की जाएगी।

<u>माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकताः-</u>

निम्न लिखित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी-

1. जहॉ अनु0जाति/जन जाति के क्षेत्र हों
2. ऐसे क्षेत्र जहॉ वालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो,
3. जहॉ ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो,
4. ऐसे क्षेत्र जहॉ बाल श्रमिक, घुमन्तू, स्ट्रीट चिल्ड्रेन तथा जोखिम भरे उद्योगों में काम करने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो,
5. ऐसे क्षेत्र जहॉ धार्मिक कारणों के आधार पर अभिभावक वच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन हों,

<u>शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का स्वरूपः-</u>

असेवित वस्तिओं एवं ड्राप आउट छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्र अति आवश्यकता के आधार पर चरण वद्ध रूप से खोले जायेंगे। केन्द्र संचालन का समय प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 1 बजे के बीच निरन्तर चार घन्टे का होगा। यह केन्द्र केवल दिन में ही चलाए जायेंगे।

केन्द्रों में अनुदेशक का चयन उसी स्थानीय समुदाय से किया जाएगा। यदि स्थानीय गॉव, बस्ती, नगर, मोहल्ला में अर्ह आवेदक उपलब्ध न हो तो निकटवर्ती गॉव से अनुदेशक का चयन किया जाएगा। अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होगी। यदि हाई स्कूल उत्तीर्ण आवेदक उपलब्ध न हो तो महिला अभ्यर्थी के लिए कक्षा ८ उत्तीर्ण केन्

अनिवार्य होगा। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। पूर्व में संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना में कार्य करने वाले पर्यवेक्षक/अनुदेशक को तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पर 5 अंक का बोनस दिया जाएगा।

नगर क्षेत्रों में खोले जाने वाले केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला समन्वयक, वैकल्पिक शिक्षा, नगर शिक्षा अधिकारी, सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

मकतब/मदरसों में पहले से ही कार्य कर रहे अर्ह मौलवी तथा हाफिज, जो अनुदेशक का कार्य करने के इच्छुक हों, को अनुदेशक के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। अन्यथा मकतब की प्रबन्धसमिति द्वारा अर्ह व्यक्ति का चयन कर केन्द्र पर शिक्षण कार्य करने हेतु आमन्त्रित किया जाएगा।

अनुदेशक चयन से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र अथवा नगर पंचायत क्षेत्र के सम्बन्धित वार्ड में व्यापक प्रचार प्रसार ग्राम शिक्षा समिति/ मकतव की प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाएगा। चयन में यदि आवश्यक होगा तो लिखित अथवा मौखिक परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। यदि स्नातक महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो वहाँ पर इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है।

चयन के समय अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति/नगर समिति के मध्य निर्धारित प्रारूप पर एक संविदा प्रपत्र भरा जाएगा। प्राथमिक स्तर के अनुदेशक को आचार्य जी तथा उच्च प्राथमिक स्तर के पुरूष अनुदेशक को गुरू जी तथा महिला अनुदेशक को दीदी जी के नाम से सम्बोधित किया जाएगा।

<u>अनुदेशक का प्रशिक्षण:-</u> चयनित अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर पर डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, एस0डी0आई0, ब्लाक प्रोग्राम अधिकारी, ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक एवं संदर्भ व्यक्तिओं के द्वारा कराया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु जिला समन्वय समिति द्वारा रूब्द 1500/- प्रति अनुदेशक धनराशि जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी इस अवधि में अनुदेशकों को मानदेय नहीं दिया जाएगा।

<u>अनुदेशक मानदेय वितरण:-</u> अनुदेशक को एक हजार रूपये प्रति माह की दर से मानदेय देय होगा जो ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से दिया जाएगा। मानदेय की धन राशि एक बार में 6 माह की अग्रिम के रूप में ग्राम शिक्षा समिति के खाते मे अन्तरित कर दी जाएगी। नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान नगर शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुदेशक के सन्तोष जनक कार्य किये जाने के उपरान्त दिया जाएगा जो कि सम्बन्धित सभासद एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जाएगी। अनुदेशक को चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

<u>पर्यवेक्षण:-</u> इन केन्द्रो के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग, शैक्षिक सपोर्ट एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक द्वारा किया जाएगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य नगर शिक्षा अधिकारी तथा सहा0 नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा भी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाएगा। अनुदेशकों की मासिक बैटक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर होगी जिनका समय समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा। निकटस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को भी इन केन्द्रों के पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति उन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी तथा अपने सुझाव देगी। डायट के अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण समय समय पर करेंगे।

<u>नि:शुल्क शिक्षण सामग्री:-</u> प्रत्येक केन्द्र को शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा निधि में सीधे स्थानान्तरित की जाएगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानकों एवं संख्या के अनुसार सामग्री क्रय करके अनुदेशकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जायेंगी। शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जायेंगी।

<u>छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन:-</u> अनुदेशक द्वारा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। बच्चों की त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली जा कर मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन रत अवधि में बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान एवं शैक्षिक प्रगति से अनुदेशक द्वारा उनके अभिभावकों को अवगत कराया जाता रहेगा। जो बच्चे अपेक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे, उनकी परीक्षा निकटस्थ बेसिक शिक्षा

<u>अनुदेशक मानदेय वितरणः-</u> अनुदेशक को एक हजार रूपये प्रति माह की दर से मानदेय देय होगा जो ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से दिया जाएगा। मानदेय की धन राशि एक बार में 6 माह की अग्रिम के रूप में ग्राम शिक्षा समिति के खाते मे अन्तरित कर दी जाएगी। नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान नगर शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुदेशक के सन्तोष जनक कार्य किये जाने के उपरान्त दिया जाएगा जो कि सम्बन्धित सभासद एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जाएगी। अनुदेशक को चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

<u>पर्यवेक्षणः-</u> इन केन्द्रो के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग, शैक्षिक सपोर्ट एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक द्वारा किया जाएगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य नगर शिक्षा अधिकारी तथा सहा0 नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा भी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाएगा। अनुदेशकों की मासिक बैठक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर होगी जिनका समय समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा। निकटस्थ प्राथमिक/उच्च्य प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को भी इन केन्द्रों के पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति उन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी तथा अपने सुझाव देगी। डायट के अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण समय समय पर करेंगे।

<u>निःशुल्क शिक्षण सामग्रीः-</u> प्रत्येक केन्द्र को शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा निधि में सीधे स्थानान्तरित की जाएगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानकों एवं संख्या के अनुसार सामग्री क्रय करके अनुदेशकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके भी उपलब्ध कराई जायेंगी। शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जायेंगी।

<u>छात्र-छात्राओं का मूल्यांकनः-</u> अनुदेशक द्वारा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। बच्चों के त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली जा कर मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन रत अवधि में बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान एवं शैक्षिक प्रगति से अनुदेशक द्वारा उनके अभिभावकों को अवगत कराया जाता रहेगा। जो बच्चे अपेक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे, उनकी परीक्षा निदेशक (बेसिक शिक्षा

1. जिलाधिकारी- अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य/सचिव
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य
5. प्राचार्य, डायट सदस्य
6. जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी सदस्य
7. जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य
8. वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) सदस्य
9. जिलाधिकारी द्वारा नामित स्वैच्छिक संगठनो के 2 प्रतिनिधि सदस्य

जिला स्तरीय सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्वः-

जिला स्तरीय समिति के निम्नवत दायित्य प्रस्तावित हैं-

1. शिक्षा गारण्टी एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित समाज के अपवंचित बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न संस्थाओं के प्रस्तावें की समीक्षा करना ।
2. केन्द्र, ब्रिज कोर्स, शिविर इत्यादि के प्रस्तावें को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना ।
3. प्रस्तावित/स्वीकृत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराना ।
4. कार्यक्रमों का आयोजन, नियमित अनुश्रवण एवं कार्यशालाओं का आयोजन कराना।
5. स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गयी मदवार धनराशि को निर्धारित कार्यक्रमों हेतु नियमानुसार व्यय कराना ।

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की भूमिकाः-

- 6 से 14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों को माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित करना ।
- कार्यक्रमों के आधार पर वातावरण सृजन करना ।
- अनुदेशकों का चयन करना ।
- केन्द्रों का समय निर्धारित करना ।
- केन्द्रो की सहायक सामग्री का नियमानुसार क्रय करना तथा अनुदेशकों के मानदेय [illegible] करना ।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगे। विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उनकी अधिकतम आयु 14 वर्ष से बढ़ा कर 18 वर्ष तक की जायेगी। विकलांग बच्चों को आवश्यकता अनुसार उपकरण भी उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वे केन्द्र तक आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। यदि कोई बच्चा अधिक विकलांगता के कारण केन्द्र पर आने में असमर्थ होता है तो उसके घर पर ही यथासम्भव केन्द्र संचालन की व्यवस्था की जायेगी। अथवा उसे ट्राइसाइकिल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी।

बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रः-

जहॉ की बालिकाओं की साक्षरता दर न्यूनतम हैं वहॉ बालिकाओं हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी जिसमें महिला अनुदेशिका का ही चयन किया जायेगा। बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु समाज का सहयोग, कला जत्था, महिला मंगल दल, मॉ बेटी मेला, किशोरी संघ तथा अन्य महिला उत्थान समितियों का सहयोग लिया जाएगा। जपनद के अमरोहा नगर क्षेत्र में देखने में आया है कि यहॉ बालिकाऍ लघु उद्योगों जैसे बीड़ी उद्योग, कालीन उद्योग इत्यादि में लगी हैं उन्हें वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षित करने का प्रस्ताव है।

अल्प संख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रः-

अल्प संख्यक समुदाय के 6 से 14 वय वर्ग के बच्चे जो मदरसा/मकतब एवं मस्जिदों में दीनी तालीम प्राप्त करते हैं परन्तु औपचारिक शिक्षा से बंचित रह जाते हैं, उनके लिए उन्हीं मकतब/मदरसा केन्द्रों में अनुदेशक की व्यवस्था कर औपचारिक शिक्षा के पाठ्य क्रम को पूरा कराया जाएगा तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। इन केन्द्रों में अनुदेशक यथासम्भव उसी सम्प्रदाय का होगा। केन्द्र के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं केन्द्र सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

रणनीतिः- जनपद ज्योतिबाफुले नगर में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/मकतब/ई0जी0एस0 केन्द्रो का विवरण निम्नांकित है-

सारणी -7.1

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	संचालित केन्द्रों की संख्या		
		शिक्षा घर	विद्या केन्द्र (ईजीएस)	मकतब/मदरसा
1.	अमरोहा	-	5	1
2.	जोया	-	10	15
3.	गजरौला	15	-	11
4.	धनौरा	-	15	4
5.	हसनपुर	-	12	10
6.	गंगेश्वरी	15	15	-
7.	नगर क्षेत्र अमरोहा	-	3	9
8.	नगर क्षेत्र हसनपुर	-	-	-
	योग	30	60	50

विकास खण्डवार ई0जी0एस0 हेतु प्रस्तावित बस्तियों की सूची निम्नवत है-
प्राथमिकता के आधार पर ई जी एस केन्द्र खोले जायेंगे।

सारणी -7.2

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित ई0जी0एस0 केन्द्रों की संख्या	प्रस्तावित बस्ती का नाम
1.	अमरोहा	6	1. नालू 2. मिलक फत्तेपुर 3. यूसुफपुर 4. प्रेमपुरी 5. शहजादपुर 6. दोयज नगर

2.	जोया	5	1. नरैनी 2. जगुआकलॉ 3. ग्रैरासपुरा 4. खरखोदा 5. शहबाजपुर
3.	गजरौला	15	1. कठपुरा 2. खेडकी भूड़ 3. हाफिजपुरा 4. तारापुर 5. गंगापुरी 6. सिहालीमेव 7. कासमाबाद 8. फिरोजपुर 9. फाजलपुर 10.डुनकपुरी 11.आजादपुर 12.महम्दीकी मडइया 13.हयातपुर 14.शाहपुर 15.देहराजट
4.	धनौरा	32	1. धनौरा ग्रामीण 2. कमालपुर काजी 3. कुम्हारपुरा 4. [illegible] 5. भूड़ो वाली 6. टांका वाली 7. वकपुरा

			8. रामपुर खादर
			9. रमपुरा
			10.सेहलपुरा
			11.रहमापुरा
			12.अब्दुल्लापुर
			13.अलीनगर
			14.ईश्वरपुर देवा
			15.छजूपुरा
			16.मूगरा
			17.वेश गोपालपुरा
			18.रछेली
			19.पत्थरकुटी
			20.ताजपूर कल्लू
			21.पहाड़पुर उर्फ सीकरखेडा
			22.सैरकपुर की मडइया
			23.बिहारीपुर
			24.करनपुर
			25.आजमपुर
			26.रामपुर खादर
			27.फतेउल्लापुर
			28.पट्टीपुर
			29.भूतपुरा
			30.जैथल
			31.रफातपुरा
			32.आदिमपुर खादर

5.	हसनपुर	11	1. झुलैरी 2. पहाड़पुर बक्काल 3. निजली झुण्डी 4. कालाखेड़ा की मडइया 5. दाउदपुर जागीर 6. भगवानपुर 7. पीपली मेहरचन्द 8. राजानागल 9. जीहल 10. भदौरा 11. सत्ते की मडइया
6.	गंगेश्वरी	12	1. तरौली की मडइया 2. मालीपुरा 3. चक्फेरी की मडइया 4. पशुआ नगला 5. नया गॉव सरदार 6. बॉस का खुर्द 7. हाकिमपुर 8. जुड़ियापुरा 9. सैनी वाली मडइया ॥ 10. ददन्ना 11. मकरन्दपुर 12. रहन की मडइया
	योग:-	81	

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभगिता:-

जनपद में वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडलों जैसे बाल शाला, प्रहर पाठशाला,ऋषिवैली इत्यादि तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव रणनीति विकसित करने एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग केन्द्र संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में लिया जाएगा। समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियें एवं संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हींकरण किया जाएगा। उपयुक्त पाये जाने वाले स्वयं सेवी संगठनो के कार्य क्षेत्र एवं उसके लिए आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान की गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे। उन्हीं स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता ली जायेगी जो नियमानुसार गठित हैं।

परिवार सर्वेक्षण ऑकडों का वार्षिक अद्यावधिकरण:-

माइक्रोप्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वय वर्ग के बच्चों के बारे में ऑकड़े प्राप्त कर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान की जाती है। कम आयु व अधिक आयु के बच्चों को चिन्हित करने तथा उन्हें आयुवर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को यथा समय आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वेक्षण को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाएगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष 45 हजार प्रतिवर्ष का प्राविधान किया गया है।

माइक्रोप्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इसका प्रयोग किया गया है। अगले वर्षो में ड्राप आउट बच्चों का विवरण भी अंकित किया जाएगा।

अभिनव मॉडल 11-14 आयु वर्ग हेतुः-

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिए जो किन्हीं कारणों से विद्यालय जाने में असमर्थ रहे हैं उनके लिए स्थानीय परिवेष, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालांतर में औपचारिक विद्यालयों में परिवर्तित किये जाने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए नवाचार योजना के अन्तर्गत अभिनव मॉडल परियोजना कार्यालय/सीमैट द्वारा विकसित किये जायेंगे। नवाचार योजनान्तर्गत अभिनव मॉडल विकसित करने के लिए रू0 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जाएगा। जपनद में भी दो-तीन मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों एवं अनुभवी स्वयसेवी संगठनों की सहायता प्राप्त की जाएगी। जनपद में केन्द्रों खोले जायेंगे।

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अंन्तर्गत शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने में किसी तरह सफलता तो प्राप्त हो जाती है परन्तु ड्राप-आउट के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ठहराव में वृद्धि करने एवं ड्राप आउट रोकने हेतु विशेष कार्यक्रम प्रस्तावित किये जाएँगे तथा भौतिक संसाधन दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा जो निम्नवत हैं-

सारणी-8.1

क्रमांक	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण	[illegible]	[illegible]
2.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	[illegible]	[illegible]
3.	पेय जल सुविधा	146	4
4.	शौचालय	463	53
5.	चहार दीवारी	0	0

प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मॉग निम्न लिखित विवरण के आधार पर की गयी है-

प्रति एक अध्यापक एक कक्ष देने का प्राविधान है। वर्तमान में 2510 शिक्षक तथा 378 शिक्षा मित्र (कुल 2888) के पद स्वीकृत है तथा आगामी 5 वर्षो में अनुमानित छात्र नामांकन के अनुसार 2689 शिक्षक और चाहिये इस प्रकार वर्ष 2007 तक शिक्षकों के 4552 पद स्वीकृत होगें वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1828 कक्ष उपलब्ध है अतः 800 अतिरिक्त कक्षा - कक्षों का प्राविधान किया जा रहा है

डी0पी0ई0पी0 के शेष वर्षो के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्षों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है इस लिए सर्व शिक्षा अभियान में [illegible] अतिरिक्त कक्षा कक्षों का प्रस्ताव किया जा रहा है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मॉग निम्न लिखित आधार पर की जा रही है-

- एक कक्ष वाले चार विद्यालयों हेतु तीन अतिरिक्त कक्ष- 12
- दो कक्ष वाले चार विद्यालयों हेतु प्रत्येक दो कक्ष- 8
- तीन कक्ष वाले 37 विद्यालयों हेतु प्रत्येक एक कक्ष- 37
- कुल योग- 57

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 27 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है इस लिए सर्व शिक्षा अभियान में केवल 30 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मॉग की जा रही है।

<u>अतिरिक्त कक्षा कक्षः</u>- जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में 2541 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 30 अतिरिक्त कक्षा - कक्षों की आवश्यकता है। इनके निर्माण के उपरान्त सभी प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चार कक्षीय हो जायेंगे। वर्षवार अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण का लक्ष्य निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है-

<u>सारणी 8.2</u>

वर्ष	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
प्राथमिक विद्यालय	—						—	—	—
उच्च प्राथ0 विद्यालय	—			-	-	-	-	-	-
योग	—						—	—	—

<u>शौचालयः</u>-

जनपद के 53 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 463 प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जहाँ शौचालयों की सुविधा नहीं है। उक्त विद्यालयों में शौचालय निर्माण का वर्षवार लक्ष्य निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है-

सारणी 8.3

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
नवीन प्राथमिक विद्यालय	–		-	–	-	-	-	-	-
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	[illegible]	-	–	40	-	-	-	-
योग	–		-	–	40	-	-	-	-

जर्जर एवं भवनहीन भवनों का पुनर्निर्माण:- जनपद में 104 प्राथमिक विद्यालय एवं 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है। इसी प्रकार जनपद में 45 प्राथमिक एवं 4 उच्च प्राथमिक भवन हीन विद्यालयों के भवन के निर्माण का प्रस्ताव भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है-

सारणी 8.4

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
नवीन प्राथमिक विद्यालय	–		-	-	50		-	-	-
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	–			3	3	-	-	-	-
योग	–	19	67				-	-	-

पेय जल व्यवस्था:- जनपद में 181 प्राथमिक विद्यालय एवं 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैण्डपम्प विहीन हैं, इनमें हैण्डपम्प स्थापित करना कार्ययोजना में प्रस्तावित है जिनका विवरण निम्नवत है-

सारणी 8.5

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
नवीन प्राथमिक विद्यालय	–	48	73	25	-	-	-	-	-
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	-	2	2	-	-	-	-	-	-
योग	–	50	75	25	-	-	-	-	-

विद्यालय विकास अनुदान

जनपद के सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को रूपये 2000 प्रति वर्ष प्रति विद्यालय विकास अनुदान के रूप में दिये जायेंगे प्राथमिक स्तर पर यह डी.पी.ई.पी. समाप्त होने के बाद में दिये जायेंगे ।

मरम्मत एवं रखरखावः-

जनपद के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय 5000 रू0 का विशेष अनुदान के रूप मे प्रस्तावित है।प्राथमिक स्तर पर डी.पी.ई.पी. समाप्त होने के बाद दिये जायेंगे ।

लघु एवं दीर्घ मरम्मतः-

जनपद में 184 प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत एवं 80 दीर्घ मरम्मत योग्य है। इसी तरह 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत एवं 15 दीर्घ मरम्मत योग्य है। रू0 20,000 लघु मरम्मत हेतु तथा 70,000रू0 दीर्घ मरम्मत हेतु प्रस्तावित किये गये है।यह धन नियमानुसार जिला परियेाजना समिति एवं राज्य परियोजना कार्यालय की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय किया जाएगा।

सारणी 8.6

वर्ष	लघु मरम्मत		दीर्घ मरम्मत	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2002-2003	—	—	—	—
2003-2004	50	4	[illegible]	5
2004-2005	14	4	5	2
2005-2006	64	6	15	5
2006-2007	56	4	17	3
योग	184	18	80	15

चहार दीवारीः-

जनपद में 634 प्राथमिक विद्यालय एवं 47 उच्च प्राथमिक विद्यालय चहर दीवारी रहित है। वर्तमान मानक के अनुसार 40,000 रू0 प्रति विद्यालय की दर से प्रस्तावित किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चहार दीवारी का प्रस्ताव नहीं किया गया।

सारणी 8.7

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010
प्राथमिक विद्यालय	—	—	—	—	-	-	-	-
उच्च प्रा0विद्यालय	—	—	—	—	-	-	-	-
योग	—	—	—	—	—	—	—	-

बालिका शिक्षाः-

राष्ट्र के उत्थान में महिला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब किसी देश की महिला शिक्षित एवं जागरूक होगी, तभी देश उन्नत होगा। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय संविधान में 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया गया तथा इस लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान किया गया। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बालिका

11. <u>प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता</u> :- जनपद के प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्नवत अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी यह आवश्यकता विगत तीन वर्ष की छात्रसंख्या में निम्न सारणी अनुसार छात्रवृद्धि की औसत दर 7 प्रतिशत से वर्तमान नामांकन का प्रोजेक्शन कर आगामी 10 वर्ष के लिये निकाली गयी है-

<u>सारणी 6.7</u>

वर्ष	नामांकन	वृद्धि	वृद्धिदर
1999-2000	112097	-	-
2000-2001	120739	8642	7.7
2001-2002	129842	9103	7.9

उपरोक्त सारणी के अनुसार छात्र संख्या वृद्धि के अनुसार प्राप्त औसत दर को दृष्टिगत रखते हुये छात्र नामांकन 129842 पर 7 प्रतिशत की दर से आगामी वर्ष के लिये निम्नवत प्रोजेक्शन किया गया है प्रोजेक्टेड नामांकन पर 1:40 के अनुपात से शिक्षको की आवश्यकता निकाली गयी है इस आवश्यकता वाली संख्या में से वर्तमान में सृजित/स्वीकृत शिक्षक एवं शिक्षामित्रों की संख्या घटाते हुये अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता निकाली गयी है जिसमें आधे शिक्षक एवं आधे शिक्षा मित्र होंगे।

<u>सारणी-6.8</u>

वर्ष	परिषदीय छात्र नामांकन	1:40 के अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता	सृजित पद			अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता		
			शिक्षक	शिक्षा-मित्र	योग	शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग
2001-2002	129842	3246	2510	378	2888	179	179	358
2002-2003	138930	3473	2689	557	3246	114	113	227
2003-2004	148655	3716	2803	670	3473	121	122	243
2004-2005	159060	3976	2924	792	3716	130	130	260
2005-2006	170194	4254	3054	922	3976	139	139	278
2006-2007	182107	4552	3193	1060	4254	149	149	298

स्रोत:- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़े

[illegible]

	[illegible]	२००३-०४	[illegible]	[illegible]	[illegible]
शिक्षक		121-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
शिक्षा मित्र		122-	[illegible]	[illegible]	[illegible]

उपरोक्त सारणी में शिक्षकों की मांग वर्ष 2001-2002 की छात्र संख्या पर विगत 2 वर्षों की छात्र संख्या वृद्धि की औसत दर 7 प्रतिशत की दर से प्रोजेक्शन करते हुए की गयी है। जनपद के लिये आगामी 10 वर्षों हेतु कुल अपेक्षित 5577 शिक्षक संख्या में से वर्तमान में स्वीकृत 2510 शिक्षको एवं 378 शिक्षा मित्र, के पदों को घटाते हुये — शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की मांग वर्षवार निम्नवत की जा रही है।

सारणी 6.9

प्रायमिक विद्यालयों में शिक्षकों की मॉग

वर्ष	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
संख्या	—		121	130	139	149	—	—

सारणी 6.10

प्राथमिम विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की मॉग

वर्ष	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
संख्या	—		122.	130	139	149	—	—

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर जहाँ लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेगें । कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों को अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष 10-10 विद्यालयों को चयनित किया जायगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 40 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60,000/- रू. व्यय किये जायेंगे ।

वर्षवार	2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07			
कम्प्यूटर हेतु उ.प्रा. विद्यालयों की संख्या	-		10	10	10	10	-	-	-

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आकडे प्राप्त नहीं हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

बालिका शिक्षा:-

राष्ट्र के उत्थान में महिला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब किसी देश की महिला शिक्षित एवं जागरूक होगी, तभी देश उन्नत होगा। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय संविधान में 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया गया, तथा इस लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान किया गया। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न तरह की रणनीतियॉ अपनाई गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्त कठिनाइयों को दूर करने हेतु नए नए कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये।

1991 की जनगणना में जहॉ राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष व महिला का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 64.2 तथा 39.29 रहा है वही उत्तर प्रदेश की साक्षरता पुरुषों में 54.28 प्रतिशत तथा महिलाओं में 25.31 प्रतिशत रही है जो राष्ट्रीय महिला साक्षरता के विपरीत 13.98 प्रतिशत कम है। जनपद जे पी नगर मे महिला साक्षरता की स्थिति और भी सोचनीय है। यहॉ कुल साक्षरता दर 24.42 प्रतिशत पायी गयी है जिसमे पुरुष साक्षरता दर 34.59 तथा महिला साक्षरता दर 12.61 प्रतिशत पायी गयी है। विकास खंडवार साक्षरता दर सारणी 8.2 में दर्शायी गयी है-

सारणी 8.8

क्रम संख्या	विकास खंड का नाम	साक्षरता प्रतिशत		
		पुरुष	महिला	योग
1.	अमरोहा	49.82	15.29	34.05
2.	जोया	49.4	15.1	33.67
3.	धनौरा	46.67	12.8	31.27
4.	गजरौला	45.62	12.34	30.34
5.	हसनपुर	37.09	7.61	34.13
6.	गंगेश्वरी	26.69	4.26	16.58

स्रोतः- जनगणना कार्यालय जे0 पी0 नगर

उपरोक्त स्थिति को देखते हुये प्राथमिक स्तर पर बालिकाओ के नामाकंन तथा उनके ठहराव के लिये विशेष प्रयास करने की आवश्यकता अनुभव की गयी। जनपद के जिन क्षेत्रों मे महिला साक्षरता दर न्यून है ऐसे स्थानों पर प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के

नामाकंन व विद्यालय में उनके ठहराव की स्थिति भी संतोषजनक नही है। अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं का विद्यालय में नामाकंन तथा ठहराव की स्थिति और भी बद्तर है। विगत दो वर्षों में यद्यपि स्थिति में सुधार हुआ है फिर भी बालिकाये बालकों से पीछे है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट हो रहा है-

सारणी 8.9

वर्ष	जी ई आर		ड्राप आउट की स्थिति		कक्षोन्नति दर	
	कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल	बालिका
1998-99	81.29	70.74	25.64	30.21	74.36	76.79
1999-2000	108.10	91.12	23.02	20.16	76.98	79.84
2000-2001	87.56	80.77	20.46	18.97	79.54	81.03

स्रोत-ई एम आई एस

उपरोक्त विषमताओं को दूर करने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तंगत कई कार्यक्रमों द्वारा हस्तक्षेप किया गया है जिनका विवरण निम्नलिखित है-

बालिका शिक्षा हेतु डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत अपनायी गयीं सामान्य रणनीतियां

1. नवीन विद्यालयों की स्थापना :-सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त आकंड़ो पर ऐसी असेवित वस्तियों/मजरों की पहचान की गयी जहॉ 300 की आबादी पर 1.5 किमी दूरी पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नही थी। ऐसी असेवित बस्तियों में 136 नवीन प्राथमिक विद्यालयो की स्थापना की गयी ताकि प्रत्येक बच्चे की पहॅुच विद्यालय तक सुनिश्चित की जा सके ।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/ई.जी.एस./ मकतवः- असेवित बस्तियॉ जो प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति- हेतु निर्धारित मानक के अन्तंगत नही आ रही थी तथा जिनमें कम से कम 30 बच्चे कक्षा 1-2 में पढ़ने योग्य उपलब्ध थे, ऐसी बस्तियो में शिक्षा घर तथा ई.जी.एस केन्द्र खोले गये। अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों में मकतव केन्द्र स्थापित किये जिनका विवरण निम्नलिखित है-

सारणी 8.10

क्रमांक	विकास खंड	केन्द्र का प्रकार		
		शिक्षाघर	ई जी एस	मकतब
1.	अमरोहा	-	8	10
2.	जोया	-	10	15
3.	गजरौला	15	-	11
4.	धनौरा	-	15	4
6.	हसनपुर	-	12	10
7.	गंगेश्वरी	15	15	-
	योग	30	60	50

3. शौचालयः- जनपद में शौचालय विहीन विद्यालयों में से 247 शौचालयो का प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कराया गया।
4. अतिरिक्त कक्षा-कक्षः- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों तथा नामाकंन अभियान के फलस्वरुप हुई छात्र वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये 80 प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की स्थापना की गयी।
5. निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरणः- बालिका शिक्षा को प्रभावी बनाने नामाकंन व ठहराव में वृद्धि करने हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित समस्त बालिकाओं को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण किया गया। वर्ष 200-2001 में 65924 तथा 2001-2002 में 53691 बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण किया गया ।
6. शिक्षको का प्रशिक्षणः- विद्यालय का वातावरण तथा शिक्षण विधा आनन्ददायी बनाने तथा बच्चों की शालात्याग प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु जनपद के समस्त शिक्षकों को 8 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण हेतु बनाये गये माड्यूल में जेन्डर संवेदीकरण, बहुकक्षा शिक्षण, खेल-खेल में शिक्षा आदि विषयों का समावेश करते हुये शिक्षकों को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया ।
7. ग्राम शिक्षा समितियो का गठन व प्रशिक्षणः-जनपद की 463 ग्राम सभाओं में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन करके उनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण 'प्रयास एवं संकल्प' माड्यूल पर आधारित था, जिसके अन्तर्गत ग्राम

शिक्षा समिति के सदस्यों को सूक्ष्म नियोजन, ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन एवं नियोजन सम्बन्धी जानकारी दी गयी ।

८. <u>शिक्षक अनुदान तथा विद्यालय विकास अनुदान:</u> -शिक्षण विधा को रोचक बनाने तथा कक्षा-कक्ष में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 500 रु0 का अनुदान दिया गया। विद्यालयों में भौतिक संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रति विद्यालय 2000 रु0 का विद्यालय विकास अनुदान एवं 5000 रु0 खेल सामग्री व अन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराये गये ।

बालिका शिक्षा हेतु अपनायी गयी विशेष रणनीतियां

<u>माडल कलस्टर संकल्पना:-</u> उपरोक्त प्रयासों के बावजूद जनपद में बालिकाओं के नामाकंन तथा ठहराव हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी। व्यवहारिक रुप से बड़े पैमाने पर समय व संसाधनों का निवेश उपयुक्त नही समझा गया। अतः समस्या की गर्म्भीरता को देखते हुये यह अनुभव किया गया कि कई प्रकार के कार्यविन्दुओं को सुनियोजित ढंग से अमल में लाये जाने की आवश्यकता है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये माडल क्लस्टर विकास संकल्पना को अपनाया गया तथा जनपद की निम्नलिखित न्याय् पंचायतों को आदर्श न्याय पंचायत के रुप में विकसित करने का निर्णय लिया गया ।

सारणी 8.11

कमांक	माडल क्लस्टर का नाम	विकास खंड का नाम	वर्ष
1.	अव्वलपुर	अमरोहा	1999-2000
2.	नन्हेड़ा	अमरोहा	1999-2000
3.	खेड़ा	अमरोहा	1999-2000
4.	कैलबकरी	अमरोहा	1999-2000
5.	कौराल	अमरोहा	1999-2000
6.	शाहपुर	जोया	1999-2000
7.	तिगरी	गजरौला	1999-2000
8.	सिंहालीजागीर	गजरौला	1999-2000
9.	ढकियाभूड़	गजरौला	1999-2000
10.	कुमराला	गजरौला	1999-2000

11.	बासीपुर	धनौरा	1999-2000
12.	चकनवाला	धनौरा	1999-2000
13.	ढयोटी	धनौरा	1999-2000
14.	आजमपुर	धनौरा	1999-2000
15.	कमेलपुर	धनौरा	1999-2000
16.	सिवौरा	जोया	2000-2001
17.	पपसरा	जोया	2000-2001
18.	दीपपुर	हसनपुर	2000-2001
19.	सकतपुर	हसनपुर	2000-2001
20.	गंगेश्वरी	गंगेश्वरी	2000-2001
21.	बरतौरा	गंगेश्वरी	2000-2001
22.	बारसाबाद	गजरौला	2000-2001
23.	जमनाखास	अमरोहा	2000-2001

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत मॉडल क्लस्टर में आयोजित की गयी गतिविधियॉं

मॉडल क्लस्टर में बालिकाओं के नामांकन व ठहराव हेतु निम्न लिखित गतिविधिओं को एक साथ संचालित किया गया-

1. वातावरण सृजनः- मॉडल क्लस्टर में समुदाय को प्रेरित कर अधिकाधिक जनसहभागिता प्राप्त करने हेतु निम्न लिखित प्रयास किए गये-

- न्याय पंचायत के समस्त ग्रामों में घर घर जाकर प्रेरणात्मक भ्रमण तथा उसका पश्चप्रेषण किया गया।
- पद यात्राओं, प्रभात फेरियों, दीवार लेखन आदि के माध्यम से बालिका शिक्षा सम्बन्धी संदेश प्रसारित किया गया।
- स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों में शिविर लगा कर बालिका शिक्षा सम्बन्धी प्रचार प्रसार एवं शिक्षा सम्बन्धी प्रेरणात्मक नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया

अतिरिक्त कक्षा – कक्षों की आवश्यकता प्राथमिक विद्यालय

एक कक्षीय विद्यालय –	76	X 1	=	76
दो कक्षीय विद्यालय –	606	X 2	=	1212
तीन कक्षीय विद्यालय –	164	X 3	=	492
चार कक्षीय विद्यालय –	8	X 4	=	32
पॉच कक्षीय विद्यालय –	6	X 5	=	30
पॉच से अधिक कक्षीय–	6	X 6	=	36
शून्य कक्षीय विद्यालय – (जर्जर)	45	X 0	=	0

कुल कक्षों की संख्या = 1878

कुल विद्यालय की संख्या – 911 X 3 = 2733

कक्षों की आवश्यता 2733 –1878 = 855

अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत - - - - - - 55

जनपद जे0पी0नगर में कुल 800 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यता है जिसमें 245 वर्ष 04–05, 300 वर्ष 05–06 एवं 255 वर्ष 06–07 में बनाने हेतु प्रस्तावित किये गये है।

अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता

उच्च प्राथमिक विद्यालय

शून्य कक्षीय विद्यालय (जर्जर)	6 × 0	0
एक कक्षीय विद्यालय	4 × 1	4
दो कक्षीय विद्यालय	4 × 2	8
तीन कक्षीय विद्यालय	182 × 3	546
चार कक्षीय विद्यालय	17 × 4	68
पाँच कक्षीय विद्यालय	3 × 5	15
कुल अतिरिक्त कक्षा-कक्ष		641

विद्यालय की संख्या — 216

विद्यालय के अनुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष - 216×4 = 864

उपलब्ध कक्षा-कक्ष — — — — 641

कक्षा कक्षों की आवश्यकता — — — — — — 223

स्वीकृत कक्षा कक्षों की संख्या — — — — 09

कुल आवश्यकता — — — — — — — — — 214

जनपद JP Nagar में उच्च प्राथमिक में 214 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है जिसको वर्ष 04-05 में 50, वर्ष 05-06 में 90 एवं वर्ष 06-07 में 74 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु बजट में प्रस्तावित किया जा रहा है।

प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के 40 : 1 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

वर्ष	परिषदीय छात्र का नाम	वर्तमान स्वीकृत पद	स्वीकृत शिक्षा मित्र	40:1	कमी	आवश्यक अन्य शिक्षक	आवश्यक अन्य शिक्षामित्र
03–04	148655	2803	670	3716	814		122
04–05	159060	2924	792	3976	260	252	130
05–06	170194	3054	922	4254	278	139	139
06–07	182107	3193	1060	4552	298	149	149

- यूनीसेफ द्वारा तैयार की गयी विशेष शैक्षिक वीडिओ फिल्म "मीना" का प्रर्शन कर समुदाय को बालिका शिक्षा हेतु प्रेरित करना तथा बालिकाओं की आवश्यकताओं के बारे में समुदाय में समझ विकसित करने का कार्य किया गया।

2. <u>कोर टीम की पहचान व गठन:-</u> मॉडल क्लस्टर में बालिका शिक्षा हेतु अधिकाधिक समुदायिक सहभागिता प्राप्त करने तथा समुदाय को शिक्षा के प्रति उनके दायित्वेां का बेाध कराने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन किया गया। कोर टीम की पहचान हेतु समुदाय के साथ गोष्ठियॉ आयोजित की गयीं तथा शिक्षा के प्रति सक्रिय रूचि रखने वाले व्यक्तिओं को चिन्हित किया गया। कोर टीम का सहयोग निम्न लिखित कार्यो में लिया जा रहा है-

- फोकस ग्रुप की पहचान व उनके साथ अन्तःक्रिया करके चेतना जागृत करना,
- विशेष नामांकन अभियान, वातावरण सृजन व जनसम्पर्क में सहयोग,
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना का निर्माण,
- स्कूल संचालन में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने हेतु समुदाय को प्रेरित करना,
- बालिका शिक्षा हेतु किये जा रहे हस्तक्षेपों का अनुश्रवण करना।

3. <u>माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ का गठन:-</u> मॉडल क्लस्टर में संचालित समस्त प्राथमिक विद्यालयों में माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ का गठन कर समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गया। इन संघों की त्रैमासिक गोष्ठी कर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराया जाता है । ड्राप आउट बच्चों को पुनः विद्यालय लाने, विद्यालय से बाहर बच्चों की पहचान कर विद्यालय में नामांकित कराने हेतु जनसम्पर्क करने आदि कार्यो में इनका सहयोग लिया जाता है।

4. <u>महिला प्रेरक समूह का गठन व प्रशिक्षण:-</u> ऐसे गॉव/मजरे जहॉ प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ गठित नहीं है, उन गॉवों में बालिकाओं के नामांकन, विद्यालय में उनके ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों को उनके कार्य व दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने तथा लिंग भेद को समाप्त कर बालिकाओं को व्यक्तित्व विकास के समान अवसर प्रदान करने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करने के

उद्देश्य से दो दिवसीय जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया गया। जनपद की 15 आदर्श न्याय पंचायतों में कुल 70 महिला अभिप्रेरक समूहों का गठन किया गया।

5. <u>ग्रीष्मकालीन शिविरो का आयोजन:-</u> बालिकाओ में शालात्याग की प्रवृत्ति को रोकने तथा शालात्यागी बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुक्त धारा से जोड़ने हेतु 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविरो का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजन से पूर्व गत पॉच वर्षो की उपस्थिति पंजीकाओ का अवलोकन करके ऐसी बालिकाओं को चिन्हित कर लिया जाता है जो कक्षा पॉच उत्तीर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ चुकी हों। इन बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने के कारणों की जानकारी कर उनके अभिभावको से सम्पर्क कर बालिकाओ को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया गया। वर्ष 2000-2001 में 60 तथा 2001-2002 मे 47 ग्रीष्म कालीन शिविरो का आयोजन करके 3860 शालात्यागी बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया ।

6. <u>ठहराव:-</u> जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं के ठहराव हेतु निम्न लिखित रणनीतियॉ अपनायीं गयी-

- <u>ठहराव परिक्रमा-</u> बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बालिकाओं में शालात्याग की प्रवृत्ति को रोकने हेतु अक्टूबर से मार्च तक साप्ताहिक ठहराव परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। उक्त कार्य में माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ, महिला अभिप्रेरक समूहों, कोर टीम के सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों आदि का सहयोग लिया जाता है।
- <u>उपस्थिति पंजिका तारांकन-</u> प्रत्येक माह के अन्त में बच्चों की मासिक उपस्थिति के आधार पर उन्हें तारांकित किया जाता है। 15 दिन या उससे अधिक उपस्थिति पर हरा निशान, 8 से 15 दिन की उपस्थिति पर पीला निशान तथा 7 दिन या उससे कम उपस्थिति पर लाल निशान प्रदान कर बच्चों को विद्यालय नियमित उपस्थित रहने हेतु प्रेरित किया जाता है। अभिभावकों की गोष्ठी में बच्चों की उपस्थिति तारांकन के आधार पर दिये गये निशान के बारे में उन्हें अवगत कराया जाता है।

7. <u>कोहार्ट स्टडी:-</u> बालिकाओं में शालात्याग के कारणों को जानने हेतु चिन्हित गॉवों में स्थित विद्यालय की गत 5 वर्षो की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर शालात्यागी बालिकाओं की सूची तैयार की जाती है तथा उन बालिकाओं के

अभिभावकों से सम्पर्क करके, बालिका की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यालय का परिवेश तथा उसमें उपलब्ध सुविधाएँ, परिवार मे बालिका की स्थिति आदि का अध्ययन करके बालिका द्वारा शालात्याग के कारणों की जानकारी प्राप्त की जाती है। कोहार्ट स्टडी से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर समस्या का यथा सम्भव निराकरण कर बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया है।

बालिका शिक्षा के अवरोधक तत्व

बालिका शिक्षा हेतु किये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के उपरान्त भी जनपद के कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन व ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर समुदाय के साथ की गयी गोष्ठियों, एम.टी.ए./पी.टी.ए., महिला प्रेरक समूह के सदस्यों व ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों से की गयी वार्ता के आधार पर बालिका शिक्षा के अवरोध के रूप में निम्न लिखित बिन्दु उभर कर सामने आये-

1. *पारिवारिक कारणः-* ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार आज भी अशिक्षित हैं साथ ही वे शिक्षा के महत्व से भी अनभिज्ञ हैं। जब बालिकाओं के नामांकन एवं उनकी शिक्षा की बात उनसे की जाती है तब वे अपनी भाषा में बालिकाओं को न पढ़ानें के सम्बन्ध में कुछ इस प्रकार तर्क देते हैं-

- लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेंगे, वे तो पराया धन हैं.
- लड़कियों के स्कूल जाने पर घर का कार्य कौन करेगा.
- लड़कियों को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए,
- दहेज प्रथा की सामाजिक बुराई से ग्रसित व्यक्तियों का तर्क है कि जो धन बालिका की शिक्षा पर खर्च करेंगे वह उसके विवाह में काम आएगा, साथ ही उनका मानना यह भी है कि पढ़ी लिखी लड़की के लिए पढ़ा लिखा लड़का ढूँढना होगा जिसके लिए दहेज भी अधिक देना पड़ेगा।
- लड़के के प्रति अधिक लगाव होने के पीछे उनका तर्क है कि लड़के को पढ़ाने से परिवार का भविष्य उज्जवल होगा लड़की तो किसी अन्य के घर चली जाएगी

जनपद के शैक्षिक दृष्टि से अति पिछड़े विकास खण्ड गंगेश्वरी के ग्राम जयतोली, रहरई, भियाली, तलाबड़ा, पतेई खादर, क्षेत्र धनौरा के गंगा के खादर वाले गॉवों इब्राहिमपुर, पपसरी खादर, नेकपुर, चकनवाला, विकास क्षेत्र गजरौला के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के ग्राम लठीरा, फरीदपुर खादर, फत्तेपुर बाटूपुरा आदि के निर्धन एवं पिछड़ी जाति के लोगों से वार्ता करने पर उक्तवत कारण बताए गए ।

2. आर्थिक कारण:- जनपद के अनु0जाति0 तथा पिछड़ी जाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों में अधिकांश आबादी गरीबी रेखा से नीचे के स्तर की है। ऐसे समुदायों की पारिवारिक आय का प्रमुख साधन पशुपालन है। अतः इन क्षेत्रों में बच्चे पशुओं की देखभाल करने, उनके लिए घास लाने तथा जंगल से लकड़ी बीनने का कार्य करते हैं। विकासक्षेत्र अमरोहा, हसनपुर तथा गंगेश्वरी में ग्रीष्म कालीन शिविरों के दौरान बालिकाओं से की गयी वार्ता में यह तथ्य उभर कर सामने आये कि इन क्षेत्रों में अधिकांश बालिकाएँ घास लाने तथा जंगल से लकड़ी लाने का कार्य करती हैं जिससे घर की आजीविका चलाने में परिवार को सहयोग मिलता है।

3. सामाजिक कारण:- ग्रामीण परिवेश में अधिकांश परिवारों में, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय में बालिकाओं का दायरा घर की चहार दीवारी तक सीमित रहता है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे घर के कामकाज में तथा अपनी माँ के काम में हाथ बटाएँ। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों की देख भाल करें। यही उनके भावी जीवन की तैयारी मानी जाती है। इस व्यवस्था के तहत बालिकाएँ शिक्षित नहीं हो पाती हैं। अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों और भी कई समस्याएँ उभर कर सामने आयी। ग्रामीण समुदाय में बालिकाओं को विद्यालय न भेजने के निम्नलिखित कारण बताए गये-

   - पर्दा प्रथा के कारण 10-12 वर्ष की बालिकाओं का घर से बाहर निकलना उचित नहीं माना जाता है,
   - ग्रामीण समुदाय के कम शिक्षित होने के कारण वे शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं,
   - रूढ़िवादिता व अन्ध विश्वास के कारण अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं,

- समुदाय को जेन्डर के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा की समानता को सहजता से समझ सके।
- शिक्षकों को कक्षा में जेन्डर आधारित क्रियाकलापों को रोकने हेतु जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण कराना।
- विद्यालय के वातावरण को बालिका की आवश्यकता के अनुरुप बनाना।
- बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री विकसित करना।
- महिला समूहो का गठन एवं जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण।
- ग्राम शिक्षा समितियो में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना।
- बालक बालिका के प्रति लोगों के विचार जानने के लिये जेन्डर आधारित वार्ताओं का आयेाजन।
- किशोरी केन्द्रो की स्थापना।

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु समुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमः-

किसी भी योजना की प्रक्रिया व उसके तंत्र को प्रभावित करने या उसे शक्ति-प्रदान करने की क्षमता समुदाय में निहित होती है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों की सफलता अधिकाधिक समुदायिक सहभागिता पर ही निर्भर होगी । सहभागी दृष्टिकोण द्वारा शिक्षा का नियोजन व उसका क्रियान्वयन लोगों द्वारा, लोगो के लिये होता है, जिसे वे स्वयं अपनी आवश्यकतानुसार वरीयताओं का चयन करके उन्हे लागू करते है। परन्तु इसके लिये यह आवश्यक है कि समुदाय जागरुक हो। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समुदायिक गतिशीलता हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे-

- <u>मीना कैम्पेन</u> :-सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के प्रति सामुदायिक वचनबद्धता के विकास हेतु यूनिसेफ द्वारा तैयार की गयी शैक्षिक वीडियो फिल्म 'मीना' का प्रदर्शन किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम जनपद की समस्त ग्राम सभाओं में आयोजित करने का प्रस्ताव है। फिल्म प्रदर्शन के दौरान ही समुदाय के साथ जेन्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन किया जायेगा।

- समुदाय को जेन्डर के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा की समानता को सहजता से समझ सके।
- शिक्षकों को कक्षा में जेन्डर आधारित क्रियाकलापों को रोकने हेतु जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण कराना।
- विद्यालय के वातावरण को बालिका की आवश्यकता के अनुरुप बनाना।
- बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री विकसित करना।
- महिला समूहो का गठन एवं जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण।
- ग्राम शिक्षा समितियो में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना।
- वालक बालिका के प्रति लोगों के विचार जानने के लिये जेन्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन।
- किशोरी केन्द्रो की स्थापना।

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु समुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम:-

किसी भी योजना की प्रक्रिया व उसके तंत्र को प्रभावित करने या उसे शक्ति प्रदान करने की क्षमता समुदाय में निहित होती है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों की सफलता अधिकाधिक समुदायिक सहभागिता पर ही निर्भर होगी । सहभागी दृष्टिकोण द्वारा शिक्षा का नियोजन व उसका क्रियान्वयन लोगों द्वारा, लोगो के लिये होता है, जिसे वे स्वयं अपनी आवश्यकतानुसार वरीयताओं का चयन करके उन्हे लागू करते है। परन्तु इसके लिये यह आवश्यक है कि समुदाय जागरुक हो। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समुदायिक गतिशीलता हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे-

- मीना कैम्पेन :-सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के प्रति सामुदायिक वचनबद्धता के विकास हेतु यूनिसेफ द्वारा तैयार की गयी शैक्षिक वीडियो फिल्म 'मीना' का प्रदर्शन किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम जनपद की समस्त ग्राम सभाओं में आयोजित करने का प्रस्ताव है। फिल्म प्रदर्शन के दौरान ही समुदाय के साथ जेन्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन किया जायेगा।

- <u>मॉ-बेटी शिक्षक मेला तथा महिला संसद का आयोजन</u> :-बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना तथा बालिकाओं की आवश्यकताओं को अनुभव करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ग्राम सभा स्तर पर मॉ-बेटी शिक्षक मेले तथा महिला संसद का आयोजन किया जायेगा।
- <u>विशेष नामांकन अभियान</u>:- प्रत्येक वर्ष माह जुलाई से सितम्बर की अवधि में विशेष नामांकन अभियान चलाये जायेंगे। अभियान से पूर्व चयनित कलेस्टर में पी.आर.ए. विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा। प्राप्त आकंड़ो के आधार पर लक्षित क्षेत्रों में विशेष नामांकन अभियान आयोजित किया जायेगा। नामांकन अभियान में चिन्हित बच्चों के घर तक पहुॅचना आवश्यक है। अतः इस कार्य में महिलाप्रेरक समूहो, एम टी ए/पी टी ए के सदस्यों तथा समुदाय विशेष के सक्रिय लोगों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- <u>ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशालायें</u>:- प्रत्येक स्तर पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित हो सके, इसके लिये ग्राम स्तर से लेकर ब्लाक स्तर के शिक्षा केन्द्रो को समुदायिक केन्द्रो के रुप में विकसित करना आवश्यक है। शिक्षा केन्द्रों को अधिकाधिक सोमुदायिक सहभागिता प्राप्त हो सके, इस हेतु न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशाला आयोजित की जायेगी। कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाली ग्राम शिक्षा समितियों के कार्यो तथा अनुभवों से एक दूसरे को परिचित कराया जायेगा।
- <u>एम टी ए/ पी टी ए, महिला प्रेरक समूहों का गठन तथा प्रशिक्षण</u>:- बालिका की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, उनके नामाकंन, विद्यालय में ठहराव तथा सम्प्राप्ति में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में एम टी ए / पी टी ए का गठन किया जायेगा। ऐसे ग्रामों में जहॉ विद्यालय न होने के कारण एम टी ए / पी टी ए का गठन नही हो सकता, वहॉ महिला प्रेरक समूहों का गठन किया जायेगा। इन समूहों के सदस्यों को जेन्डर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा। समूहों की त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जायेगी। गोष्ठी में बालिकाओं की शिक्षा तथा उनके विद्यालय में ठहराव पर विचार विमर्श कर अवरोधों के निवारण हेतु रणनीतियां बनायी जायेगी।
- <u>"बेटी हो स्कूल में" कला जत्था का आयोजन</u>:-बालिकाओं में शालात्याग की प्रवृत्ति रोकने तथा अधिकाधिक समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु "बेटी हो स्कूल में"

कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। कला जत्था अभियान में स्थानीय कलाकारों की पहचान कर प्रशिक्षित किया जायेगा तथा गॉव-गॉव में नाटकों की प्रस्तुति की जायेगी। ये अभियान ऐसे गॉवों में चलाया जायेगा जहॉ बालिका शिक्षा दर कम है तथा शालात्याग दर उच्चतम है।

- <u>ठहराव परिक्रमा:-</u> बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बालिकाओं में शालात्याग की प्रवृत्ति को रोकने हेतु अक्टूबर से मार्च तक साप्ताहिक ठहराव परिक्रमा का आयोजन किया जायेगा। उक्त कार्य में माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ, महिला अभिप्रेरक समूहों, कोर टीम के सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों आदि का सहयोग लिया जायेगा।

<u>बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन कार्यक्रम</u>

1. <u>जिला संसाधन समूह का गठन एवं प्रशिक्षण :-</u> बालिका शिक्षा के अवरोधों की पहचान करने, उनके निवारण हेतु रणनीतियॉ बनाने तथा संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण करने हेतु जिला स्तर पर जिला संसाधन समूह का गटन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य रखे जायेंगे-

• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन अध्यक्ष
• शिक्षाविद् -3	सदस्य
• जिला समन्वयक बालिका शिक्षा -	पदेन सचिव
• स्वैच्छिक संगठनों के सदस्य -3	सदस्य
• वरिष्ठ प्रवक्ता डायट -1	सदस्य
• अभिभावक -3	सदस्य
• सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी -1	सदस्य
• ब्लाक समन्वयक -1	सदस्य
• न्याय पंचायत समन्वयक -3	सदस्य
• अध्यापक -3	सदस्य

उपरोक्त जिला संसाधन समूह को उनको कार्यो एवं दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा । जनपद स्तर पर इसकी त्रैमासिक गोष्ठी आयोजित की जायेगी जिसमें बालिका शिक्षा में आ रहे अवरोधों तथा संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी।

2. <u>प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षको का जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण:-</u> बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षको का दृष्टिकोण बदलने तथा उन्हें बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु समय समय पर शिक्षकों का तीन दिवसीय जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण कराया जाएगा। इस प्रशिक्षण में मुख्यत: बालिकाओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने कारणों का पता लगा कर उनके निराकरण के उपायों पर विचार किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माड्यूल "असीम" व "अनन्त" पर आधारित होगा

3. <u>एम टी ए /पी टी ए एवं महिला प्रेरक समूह का प्रशिक्षण:-</u> माता शिक्षक संघ एवं महिला प्रेरक दल का गठन करा कर उन्हे उनके कार्यो एवं दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने तथा जेन्डर भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से दो दिवसीय जेन्डर प्रशिक्षण कराया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माड्यूल "असीम" एवं "मुक्ताकाश" पर आधारित होगा। एम टी ए/ पी टी ए तथा महिला प्रेरक समूह द्वारा महिला समाज में जागृति कराने, बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश कराने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा समय समय पर विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण करने में सहयोग लिया जायेगा।

4. <u>ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण:-</u> ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय बनाने, शिक्षा के नियोजन एवं प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा विद्यालय को समुदायिक केन्द्र के रुप में विकसित करने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माड्यूल "प्रयास एवं संकल्प" पर आधारित होगा। प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित कराया जायेगा जो जनपद स्तर पर ब्लाक संसाधन समूह को डायट स्तर पर प्रशिक्षण देगें । ब्लाक संसाधन समूह के सदस्यों द्वारा ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों के 8 सदस्यों को दो दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु सामान्य रणनीतियाँ

1. <u>नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापनाः-</u> प्रत्येक बच्चे की पहुँच विद्यालय तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 97 नवीन प्राथमिक विद्यालयों तथा 169 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। वर्षवार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य निम्न लिखित सारणी में दर्शाया गया है-

सारणी 8.12

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-201
नवीन प्राथ0 विद्यालय	10	35	~~52~~	-0	-	-	-	-	-
नवीन उच्च प्राथ0 विद्यालय	20	~~50~~	~~50~~	~~49~~	-	-	-	-	-
योग	30	85	102	40	-	-	-	-	-

2. <u>ई0जी0एस0, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षाः-</u> जो बस्तियाँ विद्यालय की स्थापना हेतु निर्धारित मानक को पूरा नहीं करती हैं, उनमें वैकल्पिक शिक्षा, ई0जी0ए0 एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, ई0जी0एस0, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का विवरण निम्नांकित सारणी में दिया गया है-

सारणी 8.13

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	प्रस्तावित ई0जी0एस0, वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों की संख्या	प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालये की संख्या
1	अमरोहा	12	6	26
2	जोया	8	5	38
3	धनौरा	16	32	18
4	गजरौला	2	15	22
5	हसनपुर	25	11	31
6	गंगेश्वरी	24	12	34
7	नगर हसनपुर	1	-	-
8	नगर अमरोहा	9	-	-
	योग	97	81	169

3. <u>निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरणः</u>- परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा। जिनका वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-
प्राथमिक	-	-	92550	93680	94200	95310			
उच्च प्राथमिक	-		42270	42850	43250	44150-			

4. <u>बालिकाओं की ठहराव हेतु शौचालयों की स्थापनाः</u>- विद्यालयों में बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 463 प्राथमिक तथा 53 उच्च प्राथमिक विद्यालयो में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसे वर्ष 2004 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शौचालय स्थापना का वर्षवार लक्ष्य निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है-

<u>सारणी 8.14</u>

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
प्रा0 विद्यालय			100	150	150	63		
उच्च प्रा. विद्यालय			--	25-	25	13		
योग								

5. <u>महिला शिक्षिकाओं/शिक्षा मित्रों की नियुक्तिः</u>- माताओं, अभिभावकों तथा अल्पसंख्यक वर्ग से हुई वार्ता में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि विद्यालय में पुरुष अध्यापक होने के कारण अभिभावक अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने में असुरक्षा महसूस करते है। उक्त समस्या के निवारण हेतु शिक्षामित्रों के चयन में महिलाओं की संख्या को ध्यान में रखा जायेगा तथा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही कुल 50 प्रतिशत महिला शिक्षिकों/शिक्षामित्रों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी

6. <u>ठहराव परिक्रमा तथा तारांकनः</u>- बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर आवश्यकतानुसार गांव में ठहराव परिक्रमा निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अभिभावक व शिक्षक सम्मिलित होंगे। ठहराव परिक्रमा के माध्यम से स्कूल में प्रवेश न लेने वाले एवं शालात्यागी बच्चों के घर पर पहुँच कर उन्हें विद्यालय लाने का प्रयास किया जायेगा। शालात्यागी बच्चों के घर के सामने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन तथा शिक्षा सम्बन्धी नारे लगाये जायेंगे। विद्यालय न जाने वाले बच्चों के घरों को लाल रंग से तारांकित कर निरन्तर सम्पर्क किया जायेगा जब तक कि वह बच्चा विद्यालय में नामांकित न करा दिया जाय।

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उनकी नियमित उपस्थिति के प्रति अभिभावकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से बच्चों को उपस्थिति पंजिका पर तारांकित किया जायेगा जो निम्नानुसार होगा-

- पन्द्रह दिन या उससे अधिक उपस्थिति पर - हरा निशान
- आठ दिन से अधिक तथा पन्द्रह दिन तक उपस्थिति पर- पीला निशान
- आठ दिन से कम उपस्थिति पर - लाल निशान

7. <u>सत्र के मध्य तथा सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन:-</u> शैक्षिक सत्र के मध्य में अभिभावकों की गोष्ठी में छात्रों की उपस्थिति तथा उनसे प्रभावित होने वाला उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हे अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा ।शिक्षा सत्र के अन्त में परीक्षाफल वितरण के अवसर पर समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया जायेगा जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आकर सर्वाधिक हरा निशान प्राप्त करेगें ।इसी समारोह में आगामी सत्र के लिये 6-14 वयवर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. <u>पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों (ई सी सी ई) की स्थापना:-</u> छोटे भाई बहनो की देखभाल में लगे रहने के कारण कुछ बालिकायें विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पाती, जिसके कारण विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित नही हो पाता है। नियमित उपस्थिति न हो पाने के कारण कभी कभी उन्हे विद्यालय भी छोड़ना पड़ जाता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 3-6 वयवर्ग के बच्चों हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेंगे। जनपद के विकास खण्ड अमरोहा, हसनपुर तथा गंगेश्वरी में I.C.D.S. केन्द्र संचालित नहीं है। इन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से पूर्व शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन में पारदर्शिता रखने हेतु जिला स्तर पर अप्रेजल कमेटी का गठन किया जाएगा तथा फील्ड अप्रेजल व डेस्क टाप अप्रेजल के आधार पर मूल्यांकन करने के उपरान्त ही योग्य व इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाली स्वयं सेवी संस्था को इसके संचालन का दायित्व सौपा जाएगा। I.C.D.S. से आच्छादित विकास खण्डों- जोया, गजरौला तथा धनौरा में संचालित केन्द्रों को भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आच्छादित किया

जाएगा। विकास क्षेत्र वार पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य निम्न लिखित सारणी के अनुसार किया जा रहा है-

I.C.D.S से आच्छादित विकास खण्डों में पूर्व शिशु शिक्षा केन्द्रो का लक्ष्य

सारणी 8.15

क्र0 सं0	विकास खंड का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो कीं संख्या	सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने वाले केन्द्रों की प्रस्तावित संख्या		
			2002-2003	2003-2004	2004-2005
1.	जोया	179	20	20	10
2.	धनौरा	104	10	10	30
3.	गजरौला	75	20	20	10
	योग	358	50	50	50

I.C.D.S से आच्छादित विकास खण्डों में ई सी सी ई कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त मानदेय एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। कार्यकत्रियो का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा ।

Non I.C.D.S विकास खण्डों में पूर्व शिशु शिक्षा केन्द्रो का लक्ष्य:-

सारणी 8.16

क्र0 सं0	विकास खंड का नाम	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित केन्द्रो की संख्या		
		2002-2003	2003-2004	2004-2005
1.	अमरोहा	-	30	20
2.	हसनपुर	30	20	-
3.	गंगेश्वरी	20	-	30
	योग	50	50	50

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रुप से हसनपुर व गंगेश्वरी विकास खण्डों में ई0सी0सी0ई0 केन्द्र चलाने से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयो में पढ़ने वाली ऐसी बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि होगी जो छोटे भाई बहनो की देखभाल के कारण विद्यालयो में नियमित रुप से उपस्थित नही हो सकते है। साथ ही ई सी सी ई केन्द्रो में पढ़ने वाले बच्चे प्राथामिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु मानसिक रुप से तैयार होगें । इस प्रक्रिया से भविष्य में पुनः जनजागरण अभियानों की आवश्यकता नही होगी।

आवश्यकता वाले क्षेत्रों में समस्या हेतु विशेष रणनीतियां:-

1. आदर्श संकुल की स्थापना:- बालिका शिक्षा हेतु अपनायी गयी सामान्य रणनीतियों तथा कार्यक्रमों के संचालन में अनुभव की हुई समस्याओं के आधार पर विशेष समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों में आदर्श संकुल संकल्पना को अपनाया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में 10 2003-2004 में 10 तथा 2004-2005 में 5 न्याय पंचायतों को आदर्श न्याय पंचायतों के रुप में विकसित करके कुल 25 न्यायपंचायतों को आदर्श न्याय पंचायतों के रुप में विकसित किया जायेगा। आदर्श न्याय पंचायतों में सक्रिय ग्राम शिक्षा समितियों, माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षा संघ तथा महिला प्रेरक समूहो के सक्रिय सदस्यों का न्याय पंचायत स्तर पर एक मंच तैयार कर उन्हे उनके दायित्यो के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने वाले ब्लाक व न्याय पंचायत समन्वयको एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष रुप से प्रशिक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।
2. विशेष वर्ग की बालिकाओं हेतु विशेष वैकल्पिक माडल विकसित करना:-बालिकाओं की न्यूनतम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष वैकल्पिक शिक्षा माडल की व्यवस्था की जायेगी। जिसमें महिला अनुदेशिका का ही चयन किया जायेगा। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रुचि बनाये रखने हेतु शिक्षा के साथ साथ स्थानीय शिल्प व हस्त कला का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. किशोरी केन्द्रों की स्थापना:- बालिकाओं की आयु व उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखतें हुए किशोरी केन्द्रो की स्थापना की जायेगी तथा उन्हे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर उच्च प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्तरिम स्तर की व्यवस्था की जायेगी। इन किशोरी केन्द्रो में समय का लचीलापन रखा जायेगा तथा शिक्षिका हेतु

स्थानीय महिला की व्यवस्था की जायेगी। केन्द्र में बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ उनके जीवन कौशल में वृद्धि करने हेतु स्थानीय शिल्प, जरीदारी, चिकन कार्य आदि का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ।

5. <u>उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव प्रशिक्षण:-</u> वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालिकाओं के भावी जीवन के लिये उपयोगी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों में विद्यालय एवं शिक्षा के प्रति रुझान जागृत नही होता ।सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं को पारिवारिक, पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ट्रेड, जैसे- फोटोग्राफी, फोटो स्टेट मशीन चलाना, ब्यूटी पार्लर कोर्स, खाद्य संरक्षण, जरीदारी, चिकन कार्य आदि में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा प्रणाली में उक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से बालिकाओं की विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा अभिभावक बालिकाओं के नामाकंन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरुक होगे। कार्यानुभव प्रशिक्षण हेतु विकास खंड स्तर पर एक ट्रेड इन्सट्रेक्टर की व्यवस्था की जायेगी जो विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सप्ताह में दो बार जाकर बालिकाओं को ट्रेड सम्बन्धी प्रशिक्षण देगा। ट्रेड इन्सट्रेक्टर को मानदेय के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। कार्यानुभव शिक्षा हेतु प्रति वर्ष 30 उच्च प्राथमिक 'विद्यालयों का चयन किया जायेगा । इस प्रकार वर्ष 2009-2010 तक जनपद के समस्त 240 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चालू कर दिया जायेगा।

6. <u>ग्रीष्मकालीन शिविर:-</u> प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व शालात्याग करने वाली बालिकाओ को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा को जोड़ने के उद्देश्य से 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जायेगा। शिविर संचालन हेतु स्थान का चयन गत पॉच वर्षो की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करके कियां जायेगा। शालात्यागी बालिकाओं की सूची तैयार कर उनके द्वारा शालात्याग करने के कारणों की जानकारी की जायेगी तथा शालात्यागी बच्चों हेतु ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन कर उन्हे पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

7. <u>बालिकाओं हेतु ब्रिज कोर्स:-</u> 14 वर्ष तक की ऐसी बालिकाओं, जो कभी विद्यालय न गयी हो अथवा जिनके द्वारा शालात्याग किया जा चुका हो, ऐसी बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से ब्रिज कोर्स संचालित किये जायेंगे ये ब्रिज कोर्स आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह की अवधि के होगे तथा पूर्णतः आवासीय होंगे।

ब्रिज कोर्स का संचालन एक प्रधानाध्यापक तथा एक महिला शिक्षिका द्वारा किया जायेगा। आवासीय व्यवस्था हेतु रसोइया परिचारक/चौकीदार की व्यवस्था की जायेगी ।ब्रिज कोर्स में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को उनकी क्षमता के अनुसार औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा। ब्रिज कोर्स में मुख्य पाठ्यक्रम के साथ साथ बालिकाओं की कौशल वृद्धि हेतु व्यवसायिक शिक्षा को भी जोड़ा जायेगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु नियमित महिला शिक्षिका के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षक की भी व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं के आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकों, विद्यालयी पोशाक आदि की व्यवस्था हेतु बजट का आकलन कम से कम 50 बालिकाओं के आधार पर किया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है-

सारणी 8.17

क्रमांक	प्रस्तावित कार्यक्रमों का नाम	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
1.	गैर I.C.D.S ब्लाक में E.C.C.E केन्द्रो की स्थापना	50	50	50-	-	-	-	-	-
2.	I.C.D.S केन्द्रो का सुदृढ़ीकरण	50	50	50	-	-	-	-	-
3.	ग्रीष्मकालीन शिविर (10 दिवसीय)	60	60	42	36	30	-	-	-
4.	माडल कलस्टर	5	5	—	-	-	-	-	-
5.	समाजोपयोगी उत्पादन कार्य (S.U.P.W)	30	30	30	30	30	-	-	-
6.	M.T.A/P.T.A का जेण्डर संवेदीकरण	841	[illegible]	926	-	[illegible]	-	[illegible]	-
7.	ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण	477	[illegible]	[illegible]	[illegible]	477	-	[illegible]	-

<u>विशेष वर्ग की शिक्षा - समेकित शिक्षा</u>:- विकलांगता दूर करने के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद भारत में अभी भी लगभग 8-10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप में विकलांगता की श्रेणी में आती है। जब तक हम विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय में न ले आयें तब तक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ विकलांग बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने की भावना होती है, लेकिन शिक्षकों में विशेष दक्षताओं के न होने के कारण विकलांग बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं दी जा पाती है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है।

जनपद में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार श्रेणीवार विकास खण्डवार विकलांगता की स्थिति निम्नवत है-

<u>सारणी-8.18</u>

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	विकलांगता का प्रकार					योग
		अस्थि	दृष्टि	श्रवण	मानसिक	अन्य	
1.	अमरोहा	165	23	22	13	57	280
2.	जोया	195	16	24	6	0	241
3.	धनौरा	112	6	1	1	0	120
4.	गजरौला	214	63	86	134	97	594
5.	हसनपुर	96	3	6	1	1	107
6.	गंगेश्वरी	123	0	0	0	0	123
	योग	905	111	139	155	155	1465

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्मनिर्भरता में कमी, चलने में कमी तथा समाज से उपेक्षित आदि बातों का बच्चे के मानसिक विकास का असर पड़ता है। परिवार एवं समाज में ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। इन बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। इन बच्चों के लिए सबसे पहले हमें अपना तथा अपने परिवार का दृष्टिकोण बदलना होगा तभी इन बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने का उत्साह बढ़ेगा तथा इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना होगा। इसके लिए 15 दिन का प्रशिक्षण रखा जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए स्वयं सेवी संगठनों से मास्टर ट्रेनर बनाए जायेंगे।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी:-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें उनका स्वास्थ्य परीक्षण, उपकरण उपलब्ध कराना तथा विशेष प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था कराना मुख्य है। इन कार्यक्रमों को संचालित करने में स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इन संगठनों के द्वारा समुदायिक जागृति, अभिभावकों तथा शिक्षकों का संवेदीकरण करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है।

अध्याय 9

गुणवत्ता संवर्धन

भारतीय संविधान के भाग 4 सेक्शन 42 में सभी के लिये शिक्षा की व्यवस्था का प्राविधान है। राज्य सरकार अपनी आर्थिक समताओं व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करती है। नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 14 वर्ष के बच्चों लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न आयोग की नियुक्तियां शिक्षा के प्रसार एवं उसमें गुणवत्ता संवर्धन के लिये की गयी जिनमें कोठारी आयोग प्रमुख है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायी गयी।

<u>डायट मुरादाबाद:-</u> जिला प्रशिक्षण संस्थान कांठ 1972 से जिला मुरादाबाद में संचालित है 20 अप्रैल 1997 से मुरादाबाद जिले से अलग कर नया जिला ज्योतिबा फूले नगर का गठन किया गया। और यह संस्थान ज्योतिबा फूले नगर के अर्न्तगत में आ गया। परन्तु संचालन मुरादाबाद से ही होता रहा। नवीनतम् शासनादेशों के अनुसार विकास क्षेत्र कांठ जनपद ज्योतिबा फूले नगर से अलग कर जनपद मुरादाबाद में सम्मिलित कर दिया इस प्रकार यह संस्थान पुनः मुरादाबाद में शामिल कर दिया गया है। जनपद मुरादाबाद के 13 विकास खंड एवं जनपद ज्योतिबा फूले नगर 6 विकास खंडों के प्राथमिक शिक्षा के जुड़े हुये गुणवत्ता सुधार के कार्यक्रम का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

<u>डी पी ई पी आच्छादित ब्लाकों का शैक्षिक परिदृश्य:-</u> जनपद 1991 की कुल साक्षरता दर 24.42 है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 34.59 है तथा स्त्रीयों की 12.61 है। जनपद में जहाँ अमरोहा विकास खंड की सर्वाधिक साक्षरता दर 34.01 है, वहीं गंगेश्वरी विकास खंड की साक्षरता दर 16.58 है ।2001 की जनपद की साक्षरता दर 50.21 है जिसमें पुरुषों 63.49 तथा महिलाओ की 35.79 है ।

<u>मिड टर्म एसेसमेन्ट स्टेडी के आधार पर विकास खण्डो की साक्षरता दर:-</u> डायट द्वारा जनपद में मिड टर्म स्टडी करायी गयी जिसका अनुश्रवण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुये। इसके अनुसार विकास क्षेत्र अमरोहा में सर्वाधिक साक्षरता पायी गयी तथा विकास क्षेत्र गंगेश्वरी में सबसे कम 16.66 साक्षरता पायी गयी । स्टडी के आधार पर यह भी पाया गया कि कम साक्षरता का कारण क्षेत्र विशेष की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां साक्षरता को प्रभावित करती है । विकास क्षेत्र गंगेश्वरी जनपद का सबसे पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र है।

सारणी 9.1

क्रम सं0	विकास क्षेत्र का नाम	साक्षरता % पुरुष	साक्षरता % महिला	कुल साक्षरता दर
1.	अमरोहा	39.32	15.19	34.05
2.	जोया	40.040	15.10	33.07
3.	धनौरा	46.67	12.80	31.27
4.	गजरौला	45.62	12.34	30.33
5.	हसनपुर	37.90	7.61	24.19
6.	गंगेश्वरी	26.64	4.21	16.68

स्रोत :- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त आंकड़े

अध्यापक प्रशिक्षण:- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक को पांच चक्रों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। गत तीन वर्षो में डी पी ई पी के अन्तर्गत तीन चक्रों में प्रशिक्षण लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है ।

प्रथम चक्र:- (अभिप्रेरण प्रशिक्षण) माडयूल पर आधारित 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ष 97-98 में जनपद के शिक्षको को प्रदान किया गया।इस प्रशिक्षण में नयी नयी शिक्षण विधियों पाठ्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों के सम्वन्ध में अभिप्रेरित किया गया । विकास खंडवार प्रशिक्षित शिक्षकों का विवरण निम्न प्रकार है-

सारणी 9.2

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	प्रशिक्षित अध्यापक संख्या
1.	अमरोहा	295
2.	जोया	442
3.	गजरौला	255
4.	धनौरा	293
5.	हसनपुर	210
6.	गंगेश्वरी	134
7.	अमरोहा नगर	133
8.	हसनपुर नगर	48
	कुल	1810

<u>द्वितीय चक्र प्रशिक्षण</u>:-(गतिविधि बैंक माडयूल आधारित) सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण का द्वितीय चक्र जिसमें सबल गतिविधि बैंक माडयूल पर आधारित जिसमें भाषा गणित तथा पर्यावरण का ज्ञान गतिविधियों के द्वारा कराया गया ।यह आठ दिवसीय प्रशिक्षण गैर आवासीय था इस प्रशिक्षण में विषय वस्तु आधारित कक्षा शिक्षण तथा दक्षता आधारित प्रशिक्षण पर बल दिया गया सहायक सामग्री निर्माण व उसका कक्षा में प्रयोग गतिविधियों के माध्यम में कक्षा शिक्षण को सरल व रोचक बनाना, अध्यापकों में विषय के प्रति सोच विकसित करना अध्यापकों में सजृनशीलता एवं तर्क शक्ति का विकास करना इस प्रशिक्षण का मुख्य उददेश्य था।

यह प्रशिक्षण जनपद के 6 वैकल्पिक केन्द्रो पर आयोजित किया गया ब्लाक स्तर पर इन प्रशिक्षण केन्द्रों की सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व ब्लाक समन्वयकों को सौपा गया।

जनपद में द्वितीय चक्र प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले शिक्षको का विवरण निम्नवत है-

<u>सारणी 9.3</u>

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	प्रतिभागी शिक्षक संख्या
1.	अमरोहा	445
2.	जोया	433
3.	धनौरा	272
4.	गजरौला	268
5.	हसनपुर	210
6.	गंगेश्वरी	138
7.	अमरोहा नगर	133
8.	हसनपुर नगर	42

स्रोत :- जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त आंकडे

<u>तृतीय चक्र प्रशिक्षण</u>:-(साधन माडयूल आधारित) शिक्षक सेवारत प्रशिक्षण जिसे साधन माडयूल के नाम से जानते है यह प्रशिक्षण मई 2001 में ब्लाक स्तर पर आयोजित किये गये तथा डायट की देखरेख व निर्देशन में ब्लाक समन्वयकों द्वारा सम्पन्न कराये गये । जनपद जे0 पी0 नगर में 6 वैकल्पिक केन्द्रो का चयन कर यह 8 दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया ।

इस प्रशिक्षण में वास्तविक कक्षा शिक्षण पर विशेष रूप से बल दिया गया प्रशिक्षण में शिक्षकों को अपनी शैक्षिक कमियो को समझने तथा उन्हे कैसे दूर किया जाय की जानकारी

दी गयी ।टी एल का निर्माण तथा पाठ्यपुस्तक के आधार पर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कैसे किया जाय इस पर भी इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बल दिया गया । तृतीय चक्र प्रशिक्षण में जनपद में कुल प्रशिक्षित अध्यापकों की विकास क्षेत्रवार संख्या उपलब्ध है-

सारणी 9.4

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	प्रतिभागी शिक्षकों की संख्या
1.	अमरोहा नगर सहित	529
2.	जोया	416
3.	धनौरा	233
4.	गजरौला	253
5.	हसनपुर नगर सहित	226
6.	गंगेश्वरी	119
	कुल	1776

स्रोत :-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त आंकड़े

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य:- जनपद मुरादाबाद में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कांठ मुरादाबाद में स्थित है जो जनपद जे0 पी0 नगर को भी संचालित करता है। जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु वर्ष 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी पी ई पी) कार्यक्रम संचालित किया गया जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से बी आर सी / एन पी आर सी / वी ई सी का गठन किया गया तथा इनके द्वारा ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के अनुश्रवण तथा शैक्षिक सपोर्ट का दायित्व सौपा गया। समय समय पर डायट स्तर पर मासिक बैठके तथा कार्यशाला आयोजित कर शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन में अध्यापकों के साथ आने वाली कठिनाइयों पर विचार विमर्श तथा उनके निराकरण के उपायों पर विस्तृत चर्चा की जाती रही है।

वर्ष 1997 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी पी ई पी)शिक्षक सेवारत प्रशिक्षण प्रथम चरण के प्रशिक्षण के लिये टी ओ टी के चयन हेतु डी आर जी के प्रशिक्षण आयोजित किये गये तथा उसमें प्रथम चरण के प्रशिक्षण की पहचान कर टी ओ टी के प्रशिक्षण हेतु डायट ललितपुर भेजा गया तथा उसमें उपरान्त डायट स्तर पर जनपद के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं को चयनित प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये गये

उक्त प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य था शिक्षकें की सोच में परिवर्तन कर शिक्षक और समाज के बीच बढ़ती दूरी को कम करना । शिक्षको की झिझक को दूर करना।

शिक्षक समाज व बच्चों के बीच सहभागिता की वृद्धि के लिये समान सोच विकसित करना।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित नही किया जा सका इस कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इसका समुचित लाभ नही मिल पाया।

1. जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 841
2. ब्लाक संसाधन केन्द्रो की संख्या 6
3. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो की संख्या 48
4. ग्राम शिक्षा समिति की संख्या 463

जिला प्राथमिक शिक्षा के अर्न्तगत चलने वाले प्रथम चक्र अभिप्रेरण प्रशिक्षण को डायट स्तर पर 131 फेरो में संचालित किया गया जिससे जनपद मुरादावाद व जे0 पी0 नगर के कुल 6142 अध्यापक /अध्यापिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

<u>ग्राम शिक्षा समिति की प्रशिक्षण व्यवस्था तथा दायित्वः-</u> जनपद जे0 पी0 नगर में वर्ष 1997-98 में 463 ग्राम शिक्षा समितियो का गठन किया गया तथा डायट स्तर से चयनित एवं प्रशिक्षित बी आर जी से प्रशिक्षको द्वारा समस्त ग्राम शिक्षा समितियो के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।इस समिति में अनुसूचित जातियो तथा महिलाओ तथा स्वंय सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया इस समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान तथा सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है इसके अतिरिक्त समिति में विकंलाग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश है इस समिति का विशेष कार्य विद्यालय भवन की मरम्मत अनुरक्षण विद्यालय की अन्य सुविधाओं जैसे भवन आदि का निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है।

इन समितियो को अधिक क्रियाशील बनाने एवं शैक्षिक विकास हेतु इनके प्रशिक्षण में स्कूल का मानचित्र तथा माइक्रोप्लानिंग के अभ्यास भी कराये गये

ब्लाक सन्दर्भ समूह प्रशिक्षण के प्रतिभागियो की सूची

सारणी 9.5

दिनांक	ब्लाक	प्रा0वि0अ0		नेहरु युवा केन्द्र		स्वंयसेवी		अनुदेशक		ग्राम प्रधान		योग
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
13.12.98 से 16.12.98	धनौरा	24										24
17.12.98 से 20.12.98	जोया	24										24
17.12.98 से 20.12.98	हसनपुर	18	6									24
20.12.98 से 23.12.98	गजरौला	24										24
5.3.2000 से 8.3.2000	गंगेश्वरी अमरोहा	14 24										14 24
	कुल	128	6									134

<u>शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट एवं सहयोग की व्यवस्था-</u> जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद के नेतृत्व में जनपद जे0 पी0 नगर तथा मुरादाबाद के समस्त परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक /अध्यापिकाओ को उनकी शिक्षा क्षमता, प्रतिभा विकसित करने, विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि करने एवं शिक्षण कौशल में बदलाव लाने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर एन पी आर सी ब्लाक स्तर, स0 बे0 शि0 अधिकारी वी आर सी तथा जनपद स्तर पर जिला बे0 शि0 अ0 / डायट प्राचार्य.वरिष्ट प्रवक्ता /प्रवक्ता द्वारा समय समय पर विद्यालयों का अनुश्रवण /मूल्यांकन तथा शैक्षिक सपोर्ट का कार्य किया जाता है । डायट तथा शैक्षिक सपोर्ट का कार्य किया जाता है । डायट तथा ब्लाक स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के लिये प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की व्यवस्था है। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिये मुख्य रुप से जिला स्तर पर डायट ब्लाक स्तर पर समन्वयकों तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय

पंचायत समन्वयकों की आवश्यकता शैक्षिक सर्पोट देने के लिये व्यवस्था है शैक्षिक सपोर्ट देने के लिये डायट संकाय के सदस्यों निरीक्षण वर्ग, बी आर सी, एन पी आर सी के लिये तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं का आयोजन डायट स्तर पर किया गया। जिसे सात फेरो में पूर्ण किया गया।इस प्रशिक्षण में जे0 पी0 नगर के निम्नवत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी - 6.
- बी आर सी - 6
- एन पी आर सी- 48

शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओ के उपरान्त बी आर सी, एन पी आर सी के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की गयी ।जिसमें जनपद जे0 पी0 नगर के परिषदीय प्रा0 वि0 की श्रेणीवद्ध सूची निम्नवत है-

<u>सारणी 9.6</u>

क्र0सं0	विकास खंड का नाम	विद्या0 की संख्या	ए	बी	सी	डी	अन्य विवरण
1.	अमरोहा नगर सहित	201	50	60	70	21	ब्लाक समन्वयक के अनुसार
2.	जोया	171	54	93	24	-	”
3.	गजरौला	116	04	68	28	16	”
4.	धनौरा	117	29	68	20	-	”
5.	हसनपुर	117	43	56	05	13	”
6.	गंगेश्वरी	108	40	55	09	04	”
	योग	830	220	400	156	17	”

उपरोक्त श्रेणीबद्ध व्यवस्था अधिकांशतः भौतिक व शैक्षिक संसाधनो पर निर्भर करती है इसके अतिरिक्त 'डी' श्रेणी के विद्यालयों को 'सी' श्रेणी, 'सी' श्रेणी के विद्यालय को 'बी' श्रेणी में,'बी' श्रेणी के विद्यालय को 'ए' श्रेणी में लाने के प्रयास डायट बी आर सी. एन0पी0आरसी तथा जनपद के विभिन्न अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।

<u>मेटीरियल मेला रिपोर्ट</u>:- विषयगत सहायक सामग्री के प्रचार व प्रसार के लिये ब्लाक के सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रेरित कर न्यायपंचायत स्तर पर मेला आयोजित किया गया । न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त अध्यापक /अध्यापिकाओं को निर्मित सहायक सामग्री के साथ ब्लाक स्तर पर आमंत्रित किया गया। ब्लाक स्तर पर बी आर. सी /ए बी एस ए /एस डी आई द्वारा मूल्याकंन कर उसमें जिन प्रतिभागियों ने प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त किया उन्हे जनपद स्तर पर मेटीरियल मेले में आमंत्रित किया गया।

जनपद स्तर का मैटीरियल मेला दिनांक 28 अगस्त 1999 को आयोजित किया गया। मेले में दोनो जनपद जे0 पी0 नगर तथा मुरादाबाद के 209 प्रतिभागियो ने भाग लिया। जिसका विवरण निम्नवत है-

<u>सारणी 9.7</u>

क्रमांक	ब्लाक का नाम	प्रतिभागियो की संख्या
1	अमरोहा	13
2	गजरौला	13
3	जोया	15
4	हसनपुर	13
5	धनौरा	14
6	गंगेश्वरी	04
	कुल	72

<u>प्रशिक्षण का कक्षा में प्रभाव</u>:- प्रशिक्षकों शिक्षकों से वार्ता करने पर संज्ञान में आया कि शिक्षकों में जागरुकता बढ़ी है ।सहायक सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा हैं। छात्रों की कक्षा शिक्षण में सहभागिता बढ़ी है। एकल विद्यालय तथा दो अध्यापकों वाले विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षण व्यवस्था कैसे की जाये।इस सम्बन्ध में अध्यापकों की समझ विकसित हुई है।

द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के उपरान्त डायट स्तर पर वरिष्ठ प्रवक्ताओं/प्रवक्ताओं तथा बी. टी. सी के छात्राध्यापक /छात्राध्यापिकाओं द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन.स्टडी.सर्वेक्षण कराया गया जिसके अनुसार छात्र /छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धियां निम्नवत रहीं।

कक्षा-1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि प्रारम्भिक,मूल्यांकन बालक मध्यमान प्रतिशत 54.1 तथा बालिका मध्यमान प्रशिक्षत 52.7 रहा जब कि मध्य सत्रीय मूल्याकंन में बालक मध्यमान प्रतिशत 72.42 रहा इसी प्रकार कक्षा -1 गणित में छात्रों की उपलब्धि प्रारम्भिक मूल्यांकन 40.79 तथा बालिकाओं का मध्यमान प्रतिशत 38.36 रहा जबकि मध्य सत्रीय मूल्याकंन में बालकों औसत मध्यमान प्रतिशत 85.9 तथा बालिकाओं का 88.13 रहा इसी प्रकार भाषा में छात्रों की उपलब्धि तथा गणित में बालक, बालिकाओं की उपलब्धि स्तर तालिका नीचे दी जा रही है-

प्रारम्भिक मूल्याकंन तथा मध्यावधि स्टडी के अनुसार छात्रों की उपलब्धिः-

सारणी 9.8

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत
प्रारम्भिक मूल्याकंन	54.1	52.7
मध्यसत्रीय मूल्याकंन	74.4	72.42

स्रोत-विभागीय आंकड़े

कक्षा -1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

सारणी 9.9

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत
प्रारम्भिक मूल्याकंन	40.79	38.36
मध्यसत्रीय मूल्याकंन	85.9	88.13

स्रोत-विभागीय आंकड़े

कक्षा भाषा में छात्राओं की उपलब्धि प्रारम्भिक मूल्याकंन बालक मध्यमान प्रतिशत 42.45 तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत 42.88 जबकि मध्यसत्रीय मूल्याकंन से बालको का मध्यमान प्रतिशत 61.07 तथ बालिकाओं का 68.53 रहा इसी प्रकार गणित विषय में छात्रों का प्रारम्भिक उपलब्धि स्तर 33.9 तथा बालिकाओं का 34.1 जबकि मध्य सत्रीय मूल्याकंन में मध्यमान प्रतिशत 51.48 और बालिकाओं का 53.16 रहा इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि द्वितीय चक्र प्रशिक्षण के बाद बालकों के बौद्धिक स्तर में वृद्धि हुई है।

कक्षा-4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

सारणी 9.10

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत
प्रारम्भिक मूल्याकंन	42.45	42.88
मध्यसत्रीय मूल्याकंन	61.07	68.53

स्रोतः-विभागीय आंकड़े

कक्षा-4 गणित में छात्रों की उपलब्धि

सारणी 9.11

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत
प्रारम्भिक मूल्याकंन	33.9	34.1
मध्यसत्रीय मूल्याकंन	51.48	53.16

स्रोतः-विभागीय आंकड़े

उक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि कक्षा -1 तथा कक्षा-4 में भाषा और गणित दोनो में बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ा है। जो बच्चे निम्नतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके है उनके लिये विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

<u>प्रशिक्षण संचालन व्यवस्था और अनुश्रवण</u>:- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद जे0 पी नगर में ब्लाक संसाधन केन्द्रो तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो की स्थापना की गयीं ब्लाक संसाधन केन्द्र पर ब्लाक समन्वयक तथा सह ब्लाक समन्वयक और न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत समन्वयक की नियुक्ति की गई। डायट स्तर पर ब्लाक समन्वयक के कार्य तथा दायित्वों की जानकारी देने के लिये 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया जो समर्थन माडयूल्यस पर आधारित था। अनुश्रवण तथा प्राथमिक शिक्षकों को शैक्षिक सर्पोट प्रदान करने के लिये 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण तथा शैक्षिक सर्पोट के रुप में आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण भौतिक तथा शैक्षिक आधार पर विद्यालयों का श्रेणीकरण तथा बी आर सी व एन पी आर सी स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन कर अध्यापकों के साथ कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जाता है ।

ब्लाक समन्वयकों द्वारा ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षणों का आयोजन, वार्षिक कार्य योजना, बजट का निर्माण, शिशु शिक्षा केन्द्र और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो का अनुश्रवण डायट के मार्ग निर्देशन में किया जायेगा ।शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन में अध्यापको का सहयोग तथा वातावरण सृजन में शिक्षकों का मार्गदर्शन भी ब्लाक समन्वयक द्वारा किया जायेगा इसी प्रकार एन पी आर सी द्वारा भी न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों की मासिक बैठको का आयोजन कर अनुश्रवण करते हुये रिपोर्ट बी आर सी व डायट को भेजी जायेगी । समाज में कुछ बच्चों ऐसे भी है जो किन्ही कारणों से विद्यालय नही आ पाते उनमें विशेषकर शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे बाल श्रमिक,खेतीहर मजदूर तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे मुख्य रुप से होते है ऐसे बच्चो को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये, उनका शतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है यदि ऐसे बच्चो पर ध्यान न दिया गया तो सर्व शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रह जायेगा। अतः हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि ऐसे सभी बच्चो को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा । इसके लिये हमारा प्रयास होगा कि उनके माता पिता अभिभावकों से सम्पर्क कर उनसे मानसिक रुप से जुड़कर उनकी सोच मे सकारात्मक परिवर्तन लाये।

ऐसे बच्चों के सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना न आने पाये इसके लिये उनमें आत्म विश्वास को जगाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी ।ऐसे बच्चो को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना एक कठिन कार्य है । अतः ऐसे बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था है। ऐसे बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहतें है। ये बच्चे औपचारिक विद्यालयों की कक्षा में प्रवेश लेने की आयु को प्रायः पार कर जाते हैं इसलिये इनका प्रवेश कक्षा - 1 की बजाय इनके शैक्षिक स्तर के अनुरुप कक्षा में प्रवेश देना उपयुक्त होगा।

सर्वप्रथम हमें ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिये एक सर्वे करना होगा उसके बाद बच्चे की शारीरिक अक्षमता के अनुरुप शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी साथ ही साथ जीवनोपयोगी कौशल का विकास इन बच्चों में करने का प्रयास करना होगा । जिससे उनमें आत्मविश्वास व आत्म निर्भरता की भावना विकसित हो सके।

को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है । यह लक्ष्य समुदाय की भागीदारी एवं समाज के सहयोग से प्राप्त करना होगा। इसके अर्न्तगत 6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा गारन्टी स्कीम व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अध्यापक तथा अच्छी शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिये जनपद में एक समिति का गठन किया जायेगा जिससे मुख्यरुप से जनपद विकास खंड, न्याय पंचायत तथा भूमि स्तर तक समस्त अध्यापकों व अधिकारियों की भागीदारी होगी। इस कार्याक्रम के क्रियान्वयन हेतु डायट स्तर पर एक विजिनिगं कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा इस कार्यशाला में डायट के सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय कर्मियों, विकास खंड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अधिकारियों के सम्मिलित किया जायेगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव शिक्षको कक्षा-कक्षों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के संदर्भ में सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियॉ तय की जायेगी।

<u>कम्प्यूटर उपयोग संबधी प्रशिक्षण</u>:- वर्तमान युग में सूचना प्राद्योगिकी के प्रभाव को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है छात्रों को भी कम्प्यूटर संबधी जानकारी दी जाय इसके लिये सबसे पहले डायट के दो प्रवक्ताओं को एक मास का आधारभूत कम्प्यूटर, संबधी प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा उसके पश्चात उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एक-एक अध्यापक को डायट स्तर पर कम्प्यूटर स्तर का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम चरण यह योजना जे0 पी0 नगर के 71 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू की जायेगी। तथा धीरे धीरे सभी प्राथमिक विद्यालयों के एक एक अध्यापक को प्रशिक्षित किया जायेगा। यह कार्य एस सी ई आर टी के सहयोग से किया जायेगा।

<u>अन्य प्रशिक्षण</u>:- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक अध्यापक /अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण भी डायट स्तर पर भी आयोजित किये जायेगे।

<u>शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण</u>:-वर्ष 2001-2002 में जनपद जे0 पी0 नगर के 291 शिक्षा मित्रों तथा 60 आचार्यों का चयन कर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था जो दिनांक 30.9.2001 तक 254 शिक्षा मित्रों तथा 59 आचार्यो का प्रशिक्षण पूर्ण करा कर उन्हे प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जा चुका है। अवशेष शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण माह नवम्बर 2001 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। विद्यालयों में छात्रों के बढ़ते नामांकन तथा प्राथमिक अध्यापकों की कमी के कारण सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी शिक्षा मित्रों का

को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हैं । यह लक्ष्य समुदाय की भागीदारी एवं समाज के सहयोग से प्राप्त करना होगा। इसके अर्न्तगत 6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा गारन्टी स्कीम व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अध्यापक तथा अच्छी शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिये जनपद में एक समिति का गठन किया जायेगा जिससे मुख्यरुप से जनपद विकास खंड, न्याय पंचायत तथा भूमि स्तर तक समस्त अध्यापकों व अधिकारियों की भागीदारी होगी। इस कार्याक्रम के क्रियान्वयन हेतु डायट स्तर पर एक विजिनिगं कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा इस कार्यशाला में डायट के सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय कर्मियों, विकास खंड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अधिकारियों के सम्मिलित किया जायेगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्‌देश्य सर्व शिक्षा अभियान के उद्‌देश्य तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव शिक्षको कक्षा-कक्षों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें वदलाव के संदर्भ में सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियॉ तय की जायेगी।

<u>कम्प्यूटर उपयोग संबधी प्रशिक्षण</u>:- वर्तमान युग में सूचना प्राद्योगिकी के प्रभाव को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है छात्रों को भी कम्प्यूटर संवधी जानकारी दी जाय इसके लिये सबसे पहले डायट के दो प्रवक्ताओं को एक मास का आधारभूत कम्प्यूटर संवधी प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा उसके पश्चात उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एक-एक अध्यापक को डायट स्तर पर कम्प्यूटर स्तर का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम चरण यह योजना जे0 पी0 नगर के 71 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू की जायेगी। तथा धीरे धीरे सभी प्राथमिक विद्यालयों के एक एक अध्यापक को प्रशिक्षित किया जायेगा। यह कार्य एस सी ई आर टी के सहयोग से किया जायेगा।

<u>अन्य प्रशिक्षण</u>:- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक अध्यापक /अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण भी डायट स्तर पर भी आयोजित किये जायेगे।

<u>शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण</u>:-वर्ष 2001-2002 में जनपद जे0 पी0 नगर के 291 शिक्षा मित्रों तथा 60 आचार्यों का चयन कर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था जो दिनांक 30.9.2001 तक 254 शिक्षा मित्रों तथा 59 आचार्यो का प्रशिक्षण पूर्ण करा कर उन्हे प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जा चुका है। अवशेष शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण माह नवम्बर 2001 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। विद्यालयों में छात्रों के बढ़ते नामांकन तथा प्राथमिक अध्यापकों की कमी के कारण सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी शिक्षा मित्रों का

रही है। सतत् व्यापक मूल्याकंन से छात्रों का समग्र मूल्याकंन होगा तथा साथ-साथ शिक्षक इस बात का भी अनुभव कर सकेगे कि छात्र के व्यक्तित्व विकास में तथा उनके सीखने एवं शिक्षण प्रणाली में कमियॉ है। उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है । सुधारात्मक शिक्षण प्रणाली को शिक्षण में इस प्रणाली से शिक्षकों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी। डायट स्तर पर सतत् व्यापक मूल्याकंन का प्रशिक्षण जनपदीय अधिकारियो/ब्लाक समन्वयको / न्याय पंचायत समन्वयको को माह दिसम्बर 2001 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

सर्व शिक्षा अभियान में भी इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिये और अधिक प्रशिक्षणों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

<u>क्रियात्मक शोध:-</u> प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को क्रियात्मक शोध के कार्य में दक्षता अर्जित करने के लिये एक चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा। यह कार्यशाला एस सी ई आर टी तथा सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से संचालित की जायेगी बी आर सी, एन पी आर सी को भी शोध कार्यो में दक्ष किया जायेगा।शिक्षक अपनी समस्याओं के निदान के लिये स्वंय अपनी कार्य योजनाये बनाये तथा उसका समाधान ढूढने में सफल हो सकेगे ।इस प्रकार यह क्रियात्मक शोध का कार्य संकुल स्तर और विद्यालय स्तर पर किया जाना है। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र निम्न लिखित है।

1. कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के तरीके
2. सतत् व्यापक मूल्याकंन में कक्षा के बच्चों का सहयोग
3. महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करने के तरीके
4. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार सम्भव है।
5. अक्षम बच्चों के शिक्षण के तरीके ।
6. बाल श्रमिक तथा घुमन्तु बच्चों को शिक्षण के तरीके ।
7. शिक्षण सहायक सामग्री को विषयों से जोड़ने के तरीके।

<u>सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना पर विचार विमर्श:-</u>सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना के लिये जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कांठ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 11.10.2001 को किया गया। इस कार्यशाला में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जे0 पी0 नगर,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,

प्रति उपविद्यालय निरीक्षक ब्लाक समन्वयकों,तथा डायट संकाय के सदस्यों तथा प्रथम,द्वितीय,व तृतीय चरण प्रशिक्षण के प्रशिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में मुख्य रुप से निम्नांकित बिन्दु उभर कर आये।

1. पाठ से सम्बन्धित सहायक सामग्री निर्माण करने का प्रशिक्षण दिया जाये।
2. विषयानुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता है जैसे गणित,अंग्रेजी,संस्कृत,विज्ञान।
3. गणित किट तथा विज्ञान किट के प्रयोग करने का प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
4. बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव की गई।
5. भाषा सम्बन्धित शुद्धता पर कार्यशाला।
6. मूल्याकंन के विभिन्न पक्षों का प्रशिक्षण।
7. ई वी एस तथा भाषा विकास सम्बन्धित प्रशिक्षण।
8. समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण।
9. बहु कक्षा शिक्षण को और कारगर बनाने के तरीके आदि।

<u>सर्व शिक्षा के अर्न्तगत प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रथम चरण का ,प्रशिक्षण:-</u>

<u>प्रथम वर्ष:-</u>प्राथमिक विद्यालयों के लिये प्रथम वर्ष में विषय वस्तु पर आधारित 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त मैटीरियल मेला तथा विकास खंड एवं न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण तथा कार्यशालाये निम्नवत आयोजित की जायेगी।

10 दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय पाठ्य-पुस्तकों पर आधारित 4 दिवसीय विजनिंग कार्यशाला-आवासीय

मैटीरियल मेला एक दिवसीय -न्यायपंचायत स्तर पर -गैर आवासीय

मैटीरियल मेला एक दिवसीय -ब्लाक स्तर पर -गैर आवासीय

मैटीरियल मेला एक दिवसीय-डायट स्तर पर -गैर आवासीय

इनके अतिरिक्त अन्य कुछ सेमीनार एवं शैक्षिक गोष्ठियों का आयोजन बीच-बीच में किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण तथा कार्यशाला में प्रथम वर्ष के चार माह में आयोजित किया जायेगा। इनके आयोजन में प्रति प्रतिभागी रु० 70/ की दर से व्यय किया जायेगा।

<u>द्वितीय वर्ष:-</u> में भाषा, गणित तथा पर्यावरण विषय वस्तु पर आधारित दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसके उपरान्त कम अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित की जायेगी। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष के शिक्षण सामग्री निर्माण तथा प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर आयोजित किया जायेगा।

इसमें दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण बी आर सी,एन पी आर सी स्तर पर तथा कुछ एक दिवसीय कार्यशालाओं /सेमीनारों का आयोजन प्रस्तावित है ।

<u>तृतीय वर्ष:-</u>में प्राथमिक शिक्षकों के लिये दस दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण मुख्य रुप से विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्याकंन के लिये प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त लघु प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित की जायेगी।

<u>चतुर्थ वर्ष में प्रशिक्षण व कार्यशालाओं की व्यवस्था:-</u>इस वर्ष में चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा टी0 एल0 एम0 निर्माण एवं उसका उपभोग पर केन्द्रित होगा। इसी अनुक्रम में बी आर सी, एन पी आर सी की कार्यशालाये भी आयोजित की जायेगी।

प्राथमिक शिक्षकों का पॉच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एन पी आर सी, बी आर सी स्तर पर दो-दो दिवसीय कार्यशालाये, जिनमें आदर्श पाठों की प्रस्तुति तथा श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग करने के लिये बी आर सी, एन पी आर सी को प्रशिक्षित किया जायेगा।

<u>पॉचवे वर्ष:-</u>में चारों वर्ष के प्रशिक्षणों के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आगामी प्रशिक्षणों की रुपरेखा तथा गत वर्षों के प्रशिक्षणों के अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षण की रुपरेखा तैयार की जायेगी । इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालयों के एक-एक शिक्षक को अंग्रेजी भाषा पर आधारित पॉच दिवसीय प्रशिक्षण उर्दू तथा संस्कृत भाषा के शिक्षकों के लिये प्रस्तावित है।

पदोन्नति के फलस्वरुप जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक प्रधानाचार्य बनेंगे ऐसे सभी प्रधानाध्यापकों को पॉच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसका मुख्य उद्देश्य नेतृत्व समय प्रबन्धन, स्कूल पर्यवेक्षण तथा विद्यालयी अभिलेखों के रख रखाव पर केन्द्रित होगा।

वर्ष 2002-2003 से 2009-2010 तक सेवारत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले शिक्षको एवं शिक्षामित्रों की संख्या निम्नवत रहेगी-

सारणी 9.12

वर्ष	शिक्षक संख्या	शिक्षा मित्र की संख्या
2002-2003	2699	557
2003-2004	2838	670
2004-2005	2964	792
2005-2006	3060	922
2006-2007	3193	1060
2007-2008	3342	1210
2008-2009	3501	1370
2009-2010	3672	1540

<u>उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण-</u> पूर्व वर्षों में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक तथा हाई स्कूल व इन्टर मीडिएट कालेजों के कक्षा 6-8 तक पढाने वाले शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें विज्ञान विषय के शिक्षण सम्वन्धी विधियों एवं सहायक सामग्री का निर्माण कराया जाएगा।

द्वितीय वर्ष- उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षको को आठ दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण गणित विषय से सम्वन्धित होगा। इसमें शिक्षण को सरल बनाने हेतु शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के निर्माण पर बल दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से पाठ् विषय पर आधारित होगा। इस प्रशिक्षण में आदर्श पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना का निर्माण, शैक्षिक अनुश्रवण एवं सपोर्ट के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला अलग से रखी जाएगी। इस प्रशिक्षण में शिक्षकों के अतिरिक्त समस्त बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 एवं समस्त ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 प्रतिभाग करेंगे।

उक्त कार्यशाला और प्रशिक्षण के लिये जनपद जे0 पी0 नगर के लिये 10 लाख रुपया प्रस्तावित किया जायेगा।

<u>तृतीय वर्ष :-</u> में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय से सम्बन्धित विषय वस्तु शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण सात दिवसीय आवासीय होगा तथा पाठ्यपुस्तको पर आधारित पाठों की प्रस्तुति,पाठ योजना तथा अनुपूरक सामग्री का निर्माण कराया जायेगा। इस प्रशिक्षण के उपरान्त डायट के स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अनुश्रवण तथा शैक्षिक सपोर्ट के लिये किया जायेगा। इसमें जनपद के समस्त बी आर सी, एन पी आर सी,ए बी एस ए तथा एस डी आई प्रतिभाग करेगे। जनपद जे0 पी0 नगर के लिये 10 लाख रुपये प्रस्तावित है।

<u>चतुर्थ वर्ष :-</u> में उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक अध्यापकों को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा यह प्रशिक्षण में हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । तथा प्रशिक्षण के उपरान्त दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। जिसमें पाठ्य-पुस्तकों पर आधारित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं उसका कक्षा मे प्रयोग तथा आदर्श पाठों की प्रस्तुति की जायेगी। प्रशिक्षण शैक्षिक सपोर्ट देने हेतु डायट स्तर पर बी आर सी, एन पी आर सी की मासिक बैठको में विचार-विमर्श किया जायेगा। इन बैठको में डायट संकाय के सदस्यो को भी शामिल किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण,कार्यशालाओं की मासिक बैठको हेतु जनपद जे0 पी0 नगर हेतु 10 लाख रुपये प्रस्तावित है।

<u>पॉचवे वर्ष:-</u> में उच्च प्राथमिक विद्यालयो के शिक्षकों के लिये पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें। तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन हेतु सतत् व्यापक मूल्यांकन के प्रशिक्षण डायट स्तर,ब्लाक स्तर तथा न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किये जायेगें। इन प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का भी अधिकतम प्रयोग किया जायेगा। प्रशिक्षण के विश्लेषण एवं निष्कर्षो को जानने के लिये दो दिवसीय कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कॉठ, मुरादाबाद में डायट का प्रशासनिक भवन एक मंजिल है। भवन की दूसरी मंजिल नहीं बनी है। डायट का भवन अपर्याप्त है तथा भवन में प्रशिक्षण कक्ष एवं अध्ययन कक्ष पर्याप्त संख्या में नहीं है। उपयुक्त पुस्तकालय कक्ष नहीं है। प्रसाधन के साधनों का अभाव है। डायट कॉठ में पुरूष छात्रावास की अत्यधिक आवश्यकता है। छात्रावास की कमी के कारण छात्रों को इधर उधर रहना पड़ता है। संस्थान का अधिकांश कार्य जे0टी0सी0 के पुराने भवन में चलाया जा रहा है। यह भवन भी जर्जर अवस्था में है। इस भवन की मरम्मत की आवश्यकता है।

डायट के लिए 300 मेज, 300 कुर्सी तथा 100 बेड की विशेष आवश्यकता है। संस्थान के पास अपना कम्प्यूटर लैब नहीं है जिसकी स्थापना किया जाना अति आवश्यक है। संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए भवन के निर्माण एवं विस्तार तथा अन्य साज सज्जा की निम्नवत आवश्यकता है-

1. **भवन-**

- भवन के प्रथम तल का निर्माण
- एक सभा कक्ष का निर्माण
- एक प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण
- एक अतिथि कक्ष का निर्माण
- कार्यशाला कक्ष का निर्माण

2. **उपकरण एवं साज सज्जा-**

- कम्प्यूटर
- फोटो कापियर
- पुस्तकालय हेतु अलमारी, कुर्सी, मेज
- जनरेटर, वाटरकूलर, डुप्लीकेटिंग मशीन
- फैक्स मशीन

यह संस्थान जनपद मुरादाबाद एवं जे0पी0 नगर दोनो के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। उपरोक्त निर्माण एवं साज सज्जा के लिए धन की माँग जनपद मुरादाबाद की कार्य योजना में प्रस्तावित की गयी है अतः जनपद जे0पी0नगर की कार्य योजना में इसका प्राविधान नहीं किया जा रहा है।

<u>आवर्तक(प्रतिवर्ष):-</u>

1. क्रियात्मक शोध,अध्ययन	2.00
2.कार्यशालायें/सेमीनार	2.00
3.वाहन रखरखाव/पी ओ आर	00.50
4.प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
5. कन्टेन्जेन्सी	1.00
योग	9.50

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्बर्द्धन:-

सारणी 9.13

पद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	1	-	1
उपप्राचार्य	1	1	-
वरिष्ठ प्रवक्ता	6	2	4
प्रवक्ता	17	3	14
कार्यानुभव शिक्षक	1	1	-
तकनीकी सहायक	1	1	-
सांख्यिकीकार	1	1	-
कार्यालय अधीक्षक	1	-	1
प्रयोगशाला सहायक	2	1	-
आशुलिपिक	1	1	-
लेखाकार	1	-	1
कनिष्ठ लिपिक	9	9	-
पुस्तकालय अध्यक्ष	1	-	1
चु0 व0 क0	5	5	-
योग	48	25	23

डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं /प्रवक्ताओं के कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण:-

डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं के कौशल विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

1.कम्प्यूटर प्रशिक्षण

2.पुस्तकालय का रखरखाव एवं क्रियान्वयन

3.शैक्षिक तकनीकि उपकरणों तथा मनोविज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों का प्रशिक्षण

4. क्रियात्मक शोध

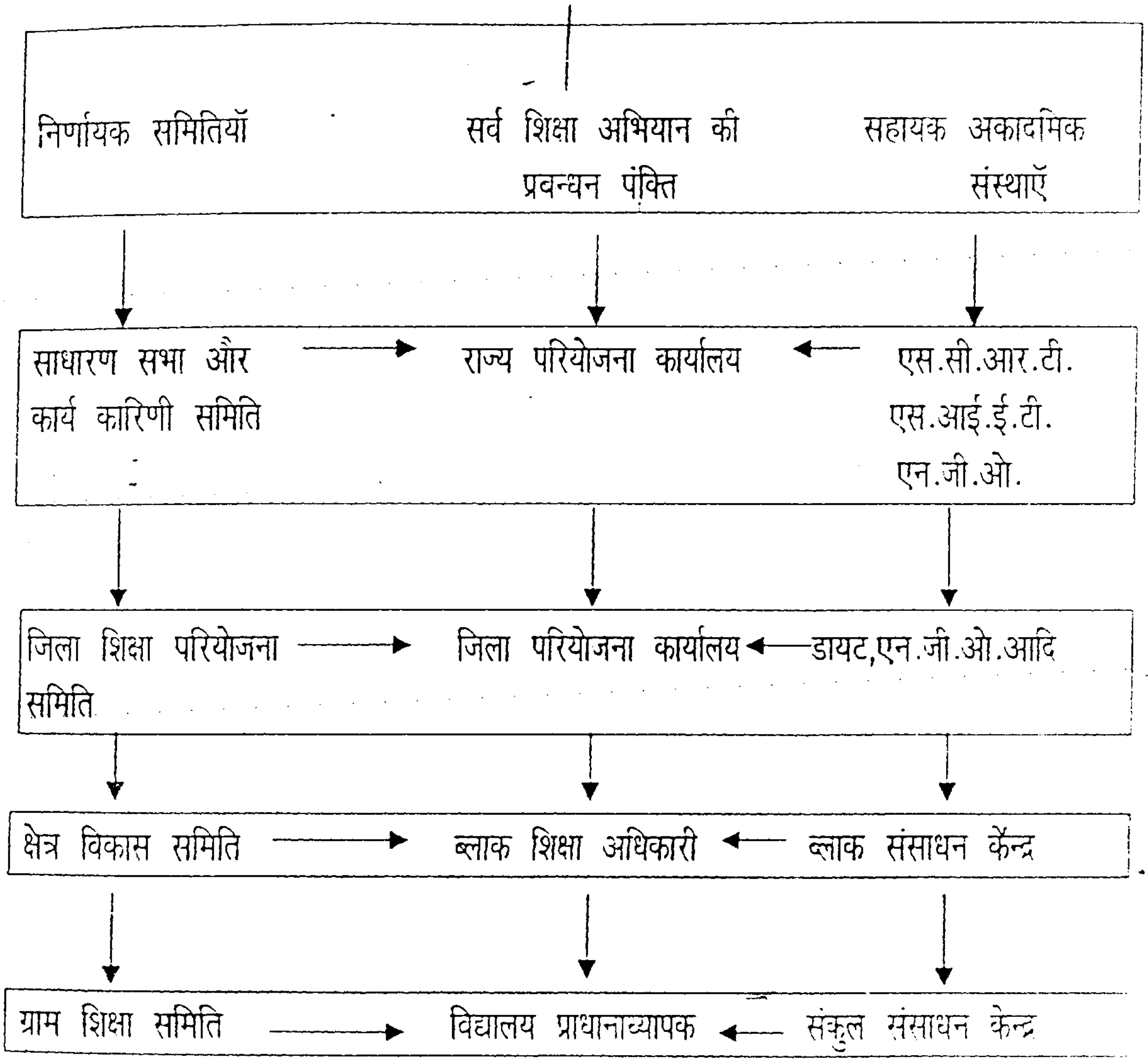

संगठनात्मक ढॉचा

सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर एक संगठनात्मक ढॉचा बनाया जाएगा जो निम्नवत है-

1. ग्राम शिक्षा समिति- वेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित जनवरी 2000 के अनुसार ग्राम शिक्षा समिमि का गठन निम्न प्रकार किया जाएगा-
   - ग्राम पंचायत का प्रधान- अध्यक्ष
   - ग्राम पंचायत में स्थित वेसिक स्कूलों के विद्यालयों में से वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक- सदस्य/सचिव
   - वेसिक स्कूलों के तीन संरक्षक, जिनमें से एक महिला होगी- सदस्य

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्वः-

- पंचायत क्षेत्र में संचालित बेसिक स्कूलों का नियन्त्रण व प्रवधन करना
- बेसिक स्कूलों के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना
- बेसिक स्कूलों के भवनों व उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना,
- बेसिक स्कूलों के अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति व समय पालन सुनिश्चित करना,
- बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे कार्य करना जिन्हें समय सनय पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपा जाये,
- बेसिक स्कूलेां से सम्बन्धित भवनों के निर्माण, उनके रखरखाव, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति, विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करना,
- सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना बनाना,
- माइक्रोप्लानिंग के द्वारा बेसिक शिक्षा के नियोजन के अन्तर्गत ई.जी.एस./ वैकल्पिक शिक्षा एवं ए.आई.ई. की आवश्यकता दर्शाते हुए मॉग करना. स्वीकृत केन्द्रों के लिए अनुदेशक/आचार्य के चयन का प्रस्ताव भेजना, इन केन्द्रों पर कार्य करने वाले आचार्य. अनुदेशक व ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान करना,
- विद्यालय के बच्चों को छात्रवृत्ति. पोषाहार एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समिति के पर्यवेक्षण में कराना,
- गॉव के शिक्षा प्रेमी युवकों की सहायता से गॉव में शैक्षिक वातावरण का सृजन करना,
- गॉव स्तर की शैक्षिक समस्याओं का चिन्हांकन करना.
- गॉव के सम्पन्न व्यक्तियो से विद्यालय विकास हेतु धन जुटाना,

- गॉव के कुशल, रोजगार वाले व्यक्तिओं सें कार्यानुभव शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना।

2. <u>न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र का गठनः</u>- इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 48 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र गठित किये गये हैं, जिनके कार्यालय हेतु भवन का निर्माण कराया जा चुका है। प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर एक न्याय पंचायत समन्वयक की नियुक्ति की गयी है। न्याय पंचायत स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना कार्यालय से प्राप्त धनराशि हेतु एक संयुक्त खाता खोला गया है जिसका संचालन एन.पी.आर.सी. एवं संसाधन केन्द्र वाली ग्राम पंचायत के प्रधान संयुक्त रूप से करेंगे। इनके मुख्य कार्य एवं दायित्व निम्नवत हैं-

<u>न्याय पंचायत समन्वयक के कार्य एवं दायित्वः-</u>

- प्रशिक्षण के उपरान्त फालोअप करना,
- न्याय पंचायत क्षेत्र में संचालित विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करना,
- न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन करके विद्यालय संचालन में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करना,
- अध्यापकों की मासिक गोष्ठी करके उनकी शैक्षिक समस्याओं का निराकरण करना, न्याय पंचायत स्तर पर अनिस्तारित समस्याओं को ब्लाक संसाधन केन्द्र को भेजना,
- विद्यालयों का श्रेणीकरण करना शेक्षिक स्तर में सुधार करने हेतु प्रयास करना,
- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराना,
- विद्यालय में गुणवत्ता सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं को तैयार करना,
- न्याय पंचायत स्तर पर खेल कूद एवं शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना,
- न्याय पंचायत स्तर पर टी.एल.एम. का निर्माण एवं उनका प्रदर्शन कराना,
- माँ-बेटी-शिक्षक मेलों का आयोजन तथा अभिभावक सम्मेलन का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर कराना

- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं समीक्षा करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र को भेजना,

3. <u>ब्लाक संसाधन केन्द्र का गठन:-</u> जनपद में कुल 6 विकास खण्ड हैं। इन सभी में ब्लाक संसाधन केन्द्र के भवनों के निर्माण किये जा चुके हैं तथा सभी में एक ब्लाक समन्वय तथा एक सह समन्वयक नियुक्त हैं। उन्हें समयानुसार प्रशिक्षित किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार उच्च प्राथमिक स्तर तक होने के कारण एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जाएगा जो सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड परियोजनाधिकारी के कार्यो, बैठको के आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यो के अनुश्रवण में उनकी सहायता करेंगे।

ब्लाक स्तर समस्त कार्यक्रमों की धुरी होने के कारण बी.आर.सी.समन्वयक का अत्यधिक समय सूचना संकलन एवं विश्लेषण में व्यतीत होता है। अतः ब्लाक स्तरीय सूचनाओं के संकलन आदि कार्य हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्र पर एक कम्प्यूटर, आपरेटर सहित देने की व्यवस्था की जाएगी इसके लिए एक लाख रूपए का प्राविधान किया जाएगा।

<u>ब्लाक समन्वयक के कार्य एवं दायित्व:-</u> अभियान के निर्धारित, लक्ष्य समयानुसार प्राप्त हो सकें, इसके लिए ब्लाक समन्वयक के कार्य एवं दायित्व निम्नवत रखे गये हैं-

- क्षेत्र का शैक्षिक सर्वेक्षण एवं नियोजन करना,
- प्रत्येक वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण करा कर माइक्रोप्लानिंग को अद्यातन कराना,
- अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण कराना, विद्यालयों का शैक्षिक पर्यवेक्षण कराना,
- न्याय पंचायत समन्वयकों के शैक्षिक पर्यवेक्षण की समीक्षा करना,
- ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना,
- ब्लाक स्तर पर सांख्यिकी तैयार कराना तथा सैम्पिल चेकिंग करके अनुश्रवण करना,
- ब्लाक स्तर पर समय समय पर शैक्षिक मेलों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना,
- सत्र के प्रारम्भ में वातावरण सृजन हेतु रैली व गोष्ठियों का आयोजन कराना,
- विकास खण्ड स्तरीय अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय बनाए रखना,

- ब्लाक की समस्त सूचनाओं को संकलित कर जिला परियोजना कार्यालय को भेजना,
- शिक्षा के विकास हेतु सामुदायिक सहभागिता जुटाना,
- न्याय पंचायत स्तर से आयी शैक्षिक समस्याओं का निस्तारण करना तथा अनिस्तारित समस्ओं को डायट स्तर पर भेजना
- डायट से समन्वय बनाकर विद्यालयें के शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रयास करना,
- ब्लाक स्तर पर नवीन शैक्षिक सामग्री (टी.एल.एम.) का निर्माण व प्रदर्शन कराना ।
- स्थानीय कलाकारों की पहचान करके कला जत्था व नुक्कड़ नाटक टीमों का गठन करना तथा उनकी सहायता से शिक्षा का वातावरण सृजित करना।

<u>क्षेत्र पंचायत स्तरीय समितिः-</u> सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत स्तर पर ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जो क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेगी। इसका गठन निम्न प्रकार होगा-

• ब्लाक प्रमुख-	अध्यक्ष
• सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप वि. नि.	सदस्य/सचिव
• विकास खण्ड अधिकारी द्वारा नामित एक ग्राम प्रधान-	सदस्य
• विकास खण्ड के विद्यालय का एक वरिष्ठतम प्र0अ0-	सदस्य

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित सलाहकार समिति के निम्नलिखित अधिकार एवं दायित्व होंगे-

- ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के बीच समन्वय स्थापित करना,
- जिला परियोजना समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना.
- सर्व शिक्षा अभियान में क्षेत्र हेतु आवंटित धनराशि का समय पर उपयोग कराना तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रयास करना.

- शिक्षा के सुधार एवं विकास के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव/ जिला परियोजना समिति को भेजना,

प्रशासनिक संगठनात्मक ढॉचा

ब्लाक स्तर:- क्षेत्र पंचायत स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड स्तरीय परियोजनाधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। इस हेतु उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। इनकी सहायता के लिए विकास खण्ड स्तर पर एक सह समन्वयक नियुक्त किया जाएगा।

विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख दायित्व निम्नवत होंगे-

- सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराना,
- विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना,
- ग्राम शिक्षा समितिओं को प्रभावी एवं जागरूक बनाना,
- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना,
- ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्र करना तथा उन्हें जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषित करना,
- छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों व पोषाहार आदि प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन कराना,
- विद्यालयों का गुणवत्ता परक एवं सुधारात्मक निरीक्षण करना,
- विद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात बनाए रखना.
- शिक्षा मित्र की रिक्तियों के प्रस्ताव भेजना,
- ग्राम शिक्षा समितिओं तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय बनाए रखना.
- अध्यापकों के वेतन भुगतान आदि को सुनिश्चित करना,
- ब्लाक समन्वयक द्वारा उनके दायित्वों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मार्ग निर्देशन प्रदान करना तथा समय समय पर उनकी समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना.

- ई.जी.एस., वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रो का अनुश्रवण करना तथा आवश्यकता वाले स्थानों पर केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव जिला परियोजना कार्यालय को भेजना,
- शैक्षिक वातावरण का सृजन करने हेतु बैठकों, रैलियों का आयोजन करना,
- स्थानीय लोक कलाकारों की पहचान करके कला जत्था, नुक्कड़ नाटक टीमों का गठन करना तथा शैक्षिक वातावरण का निर्माण कराना,
- शैक्षिक सर्वेक्षण कराना तथा सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों को जिला परियोजना कार्यालय को भेजना।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड परियोजना अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन ब्लाक में नियुक्त समन्वयक, सह समन्वयक तथा अतिरिक्त सह समन्वयक. जिसकी नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान में की जाएगी, की सहायता से करेगे।

<u>जनपद स्तरीय जिला शिक्षा परियोजना समिति:-</u>

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने एवं कार्यक्रम को यिन्त्रित करने के लिए जिला शिक्षा परियोजना समिति, जो पहले से ही उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत गठित की गयी है, कार्य करेगी। इसमें निम्न लिखित पदाधिकारी होंगे-

• जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
• मुख्य विकास अधिकारी-	उपाध्यक्ष
• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-	सदस्य/सचिव
• प्राचार्य-डायट-	सदस्य
• जिला श्रम अधिकारी-	सदस्य
• जिला समाज कल्याण अधिकारी-	सदस्य
• वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा परिषद)-	सदस्य
• अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा-	सदस्य
• अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग-	सदस्य

- जिला विद्यालय निरीक्षक- सदस्य
- जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद- सदस्य
- दो, क्षेत्र पंचायत प्रमुख (वर्णमाला क्रम में एक वर्ष हेतु)-सदस्य
- राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त दो शिक्षक- सदस्य
- जिलाधिकारी द्वारा नामित शैक्षिक संगठन के दो प्रतिनिधि-सदस्य

<u>जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्वः-</u> यह समिति सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार एवं प्रसार, नियोजन, रणनीतियाँ तय करने और उनके क्रियान्वयन के लिए पूर्णया उत्तरदायी रहेंगी। राज्य स्तरीय शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशानुसार स्वीकृत बजट को दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर रणनीति एवं कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार इस समिति को होगा। निर्माण कार्य की समीक्षा, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता जुटाना इस समिति का दायित्व होगा। यह जनपद की सर्वोच्च समिति होगी जो प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण हेतु तकनीकी पर्यविक्षण हेतु संस्थाओं का निर्धारण करने एवं प्राप्त उपलब्धिओं के प्रचार प्रसार का कार्य करेगी। जनपद में यह ई.जी.एस./ए.आई.ई. से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों एवं प्रस्तावों का अनुमोदन, कार्यक्रमों के संचालन एवं अनुश्रवण का पूर्ण दायित्व इसी समिति का होगा। समस्त सूचनाओं की समीक्षा के उपरान्त प्रगति को राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय को इसी समिति द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

<u>जिला बेसिक शिक्षा समितिः-</u> जिला शिक्षा परियोजना समिति के साथ साथ जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन भी पूर्व की भाँति किया जाएगा। यह समिति उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के प्राविधानो के अन्तर्गत गटित की जाएगी। सामान्यतः यह समितियाँ समस्त जिलों में पूर्व से ही गठित है। इसके सदस्य निम्नवत होंगे-

- जिला पंचायत अध्यक्ष - अध्यक्ष
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य/सचिव
- अपर जिलाधिकारी (नियोजन) सदस्य
- जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य
- जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य
- उप विद्यालय निरीक्षक महा0 सचिव/सदस्य

- राज्य सरकार द्वारा नामित तीन जिला पंचायत सदस्य — सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति जिले में शिक्षा के प्रसार, नियोजन एवं गुणात्मक सुधार के लिए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी-

- जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों के विकास-प्रसार तथा सुधार के लिए योजनाएँ तैयार करना,
- जिले में बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों के क्रिया कलापों का सामान्य ऐसी रीति से, जैसा विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना,
- बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उसे सौंपा जाये,

<u>जनपद स्तर पर प्रशासनिक तन्त्रः-</u> सर्व शिक्षा अभियान की समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समुचित रूप से चलाने, उनके प्रभावी नियन्त्रण एवं अनुश्रवण करने के लिए जनपद स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजनाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। उनकी सहायता हेतु अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी जो राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशों के अनुसार रखे जायेंगे। जिला परियोजना कार्यालय में निम्न लिखित अधिकारी/कर्मचारी होंगे-

• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजनाधिकारी
• उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	प्रतिनियुक्ति पर
• समन्वयक- 4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
• सलाहकार-2	रू0दस हजार नियत वेतन प्रतिपद
• ई.एम.आई.एस.अधिकारी-1	रू0दस हजार नियत वेतन प्रतिपद
• कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक-3	रू0 सात हजार नियत वेतन प्रतिपद
• सहायक लेखाधिकारी-1	प्रतिनियुक्ति पर
• लिपिक - 1	नियत मानदेय के आधार पर
• परिचारक - 1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी जिला परियोजनाधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उनके प्रति उत्तरदायी होंगे।

जनपद में नियुक्त सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजनाधिकारी कहलायेंगे तथा अपने से सम्बन्धित परियोजना के सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत समस्त लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सभी का उत्तर दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों को अपने अन्य कार्यों की भाँति करेंगे। परियोजना के लिपिकीय कार्य को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियुक्त लिपिक करेंगे।

<u>निर्माण कार्य के तकनीकी कार्य की व्यवस्था:-</u> जिस प्रकार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम निर्माण कार्यो में तकनीकी सहयोग विकास खण्ड में नियुक्त ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, उसी व्यवस्था को आगे जारी रखा जाएगा। इन अवर अभियन्ताओं को तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु प्रति विद्यालय भवन हेतु रू0 2000/- अतिरिक्त कक्षा कक्षों के लिए रू0 500/-, शौचालय हेतु रू0 200/- व चहार दीवारी हेतु रू0 500 मानदेय के रूप में दिया जाएगा। मानदेय की धनराशि का भुगतान स्वीकृत धनराशि में से ही कार्य सन्तोष जनक पूर्ण हो जाने एवं कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

<u>एजूकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम</u> **(E.M.I.S.)**:- किसी भी महत्वपूर्ण परियोजना में ऑकड़ों को तैयार करना, उनको व्यवस्थित ढंग से रखना, उनका अनुश्रवण करना तथा उन्ही के अनुसार भावी रणनीतियॉ तैयार करना महत्वपूर्ण कार्य है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने एवं उनका अनुश्रवण करने हेतु जिला स्तर पर एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील ई.एम.आई.एस. स्थापित किये जाने का प्राविधान किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कम्प्यूटर उपलब्ध है तथा ई.एम.आई.एस. डाटा कैप्चर प्रणाली लागू है। प्राथमिक स्तर के वर्ष 1998 से 2001 तक के ऑकड़े जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं। सर्व शिक्षा अभियान के

उन्हीं का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफ्टवेयर डाटा बेस एवं आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत करने की व्यवस्था की जाएगी।

जनपद स्तर पर प्राथमिक-उच्च प्राथमिक स्तर की वैकल्पिक एवं नवाचार/औपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त ऑकड़ों को संकलित एवं विकसित करने हेतु सुदृढ़ कम्प्यूटर सेल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए ई.एम.आई.एस.अधिकारी, तीन कम्प्यूटर आपरेटर एवं एक सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के शैक्षिक ऑकड़े व रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उनके आधार पर ई.एम.आई.एस. के विभिन्न इन्डिकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार होगी। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक ऑकड़ों के एक संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित हो सकेगा जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जा सकेगा।

<u>ई.एम.आई.एस.अधिकारी के कार्य एवं दायित्वः-</u> जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई.एम.आई.एस. अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होगे-

- विद्यालय हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना,
- समय अनुसार फील्ड स्टाफ को सांख्यिकी प्रशिक्षण दिलाना,
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक विद्यालयों से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना,
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पिल चेकिंग कर अशुद्धिओं का सुधार कराना,
- दिसम्बर के अन्त तक डाटा इन्ट्री पूर्ण करना तथा राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना,
- संकुल एवं विकास खण्ड वार जनपद की ई.एम.आई.एस. रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार करना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य-डायट, जिला समन्वयक व सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना,
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों एवं कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना.

ई.एम.आई.एस. अधिकारी के लिए कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही साथ सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ठ जानकारी एवं अनुभव रखना आवश्यक होगा।

<u>ई.एम.आई.एस. प्रशिक्षण:-</u> सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने हेतु विभिन्न स्तरों पर ई.एम.आई.एस. से सम्बन्धित प्रशिक्षण को नियमित रूप से दिये जाने की आवश्यकता है। इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी.आर.सी. प्रभारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी को जनपद स्तर पर प्रशिक्षण दिये जायेंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रपत्रों को भरना, संकलन करना, सेम्पिल चेकिंग करना आदि विन्दुओं पर चर्चा की जायेगी। विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की निम्नवत व्यवस्था की जाएगी-

<u>जनपद स्तर पर-</u> जनपद स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण रखे जायेंगे जिसमें जिला परियोजनाधिकारी, समस्त जिला समन्वयक, समस्त कम्प्यूटर आपरेटर एवं लेखाधिकारी प्रतिभाग करेंगे।

<u>ब्लाक स्तर पर:-</u> ब्लाक स्तर पर सभी सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं ब्लाक समन्वयक को दो दिवसीय विस्त्रत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

<u>न्याय पंचायत स्तर:-</u> यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा जिसमें न्याय' पंचायत समन्वयक तथा न्याय पंचायत के अन्तर्गत संचालित समस्त परिषदीय, मान्यता प्राप्त, राजकीय,आई.सी.एस.ई., सी.बी.एस.ई. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को दिया जाएगा।

<u>ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट स्तर पर:-</u> राज्य परियोजना कार्यालय, सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा । इसमे जिला परियोजना कार्यालय एवं ब्लाक समन्वयक कार्यालय के कम्प्यूटर आपरेटर प्रतिभाग करेंगे। प्रथम तीन दिन ई.एम. आई.एस. प्रबन्धन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

<u>ऑकडों का एकत्रीकरण एवं शुद्धता की जॉच:-</u> प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के लिए नीपा नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये प्रपत्रों पर 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार ऑकड़े एकत्र किये जायेंगे तथा कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री के पश्चात ई.एम. आई.एस. रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुए प्रपत्रों का कम्प्यूटर

प्रिन्ट आउट डी0पी0ओ0 द्वारा विद्यालयों को भेजा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की अशुद्धता को प्रधानाध्यापक द्वारा शुद्ध करा दिया जाएगा।

<u>ऑकड़ों का उपयोग:-</u> ई0एम0आई0एस0 ऑकड़ों के आधार पर ही आगामी सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम संचालित होंगे। इन ऑकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त इन्डिकेटर्स यथा जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप आउट रेट, रिपीटीशन रेट, छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय, साज सज्जा, खेल सामग्री की उपलब्धता, जातिवार नामांकन की स्थिति का उपयोग कार्यक्रम एवं योजनाओं में होगा। इन इन्डिकेटर्स का उपयोग शिक्षकों के गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों एवं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी किया जाएगा।

इन ऑकड़ों को समयानुसार संकलन कर विभिन्न स्तरों को भेजने से समय व धन की बचत होगी तथा कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। एक ही स्थान से समस्त सूचनाएँ प्राप्त होती रहेगीं तथा आवश्यकतानुसार कार्यक्रम के अनुसार संशोधन कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ई0एम0आई0एस0 के ऑकड़े दिन प्रतिदिन के कार्यो में उपयोग होने वाले ऑकड़े है, इनका उपयोग निम्न लिखित कार्यो में होगा-

- नवीन असेवित बस्तिओं की पहचान,
- असेवित बस्तिओं की आवादी दूरी व निवासियों की वर्गवार पहचान व उनके शैक्षिक स्तर की पहचान,
- शिक्षा गारण्टी/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र खोलने हेतु बस्तिओं की पहचान,
- छात्र संख्या वृद्धि की जानकारी तथा उसके अनुसार शिक्षकों व कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान,
- एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण,
- नि:शुल्क पाट्य पुस्तकों के वितरण के उपरान्त लाभार्थियों की संख्या,
- विशेष बच्चों की शिक्षा हेतु उनका विवरण,
- समस्त प्रकार के नामांकन सम्बन्धी ऑकड़ों की जानकारी,

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दैनिक सूचनाओं के संकलन और ई0एम0आई0एम0 ऑकड़ों का उपयोग कर अन्तिम निष्कर्ष पूर्ण सूचनाओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम प्रस्तावित किये जायेंगे।

कोहार्ट स्टडी:- विभिन्न तरह की स्टडीज की तरह यह जानने के लिए कि अमुक वर्ष में कितना नामांकन हुआ, 5 वर्ष बाद कितने बच्चों ने कक्षा 5 उत्तीर्ण किया, ठहराव की क्या स्थिति है, जनपद में तीन वर्ष में एक बार कोहार्ट स्टडी बाह्य एवं आन्तरिक एजेन्सियों से कराई जाएगी। एक स्टडी को पूर्ण करने के लिए अनुमानित व्यय दो लाख रू0 रखा गया है। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग अलग की जाएगी।

परियोजना सूचना एवं प्रबन्धन व्यवस्था:- परियोजना को प्रभावी बनाने एवं उसके लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में प्राप्त करने हेतु विभिन्न ऑकड़ों के रख रखाव हेतु जनपद स्तर पर गठित ई0एम0आई0एस0 द्वारा परियोजना के समस्त भौतिक एवं वित्तीय ऑकड़े संकलित करके मासिक प्रगति राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जाएगी। कार्यक्रम जिस स्तर पर प्रगति संतोष जनक नहीं है उसकी ओर जनपद के सम्बन्धित अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाएगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट):- शिक्षा में सुधार एवं शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने सम्बन्धी कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। इस जनपद में अलग से संस्थान स्थापित नहीं किया गया है, इसके लिए इस जनपद के मूल जनपद मुरादाबाद में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से ही कार्य कराया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इसी संस्थान को अधिक सुदृढ़ व अधिक क्षमता वाला बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्राविधान किये गये हैं। डायट के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्न लिखित हैं-

- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर्स/संदर्भ व्यक्तिओं को चयनित कर प्रशिक्षण कराना,
- राज्य एवं राष्ट्र स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों, अनुसंधानों एवं अल्प कालिक शोध कार्य हेतु डायट स्टाफ की क्षमता का विकास,
- ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तिओं को प्रशिक्षित करना तथा उन्हें परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों एवं शिक्षण विधियों एवं लक्ष्यों से अवगत कराना,
- जनपद स्तर की शैक्षिक समस्याओं का निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य कराना तथा उसके परिणामों की जानकारी सम्बन्धित को उपलब्ध कराना.

- जिले के समस्त विद्यालयों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण कराना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्ग निर्देशन प्रदान करना,
- ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया कलापों का नियन्त्रण करना व निर्देशन देना,
- जनपद स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना,
- जनपद स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना,
- न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना तथा उसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना,
- शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना,
- शैक्षिक ऑकड़ों का विश्लेषण करना तथा नियोजन एवं उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देना,
- शिक्षको, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं जनपद के समस्त अधिकारियों का प्रशिक्षण कराना,

<u>निधि का हस्तान्तरण</u> (**Flow Of Fund**):- प्रति वर्ष जिला परियोजना अधिकारी जनपद की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे। सीमैट के अप्रेजल एवं उ0प्र0सभी के लिए परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए अवमुक्त की जाएगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उनके खातों के माध्यम से स्थानान्तरित की जाएगी। इसी प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्तापरक कार्यक्रमों हेतु बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी के लिए परियोजना परिषद के वित्तीय संदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार जिला परियोजनाधिकारी एवं लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से सर्व शिक्षा अभियान के नाम से एक अलग खाता बैंक में खोला जाएगा। पाँच हजार से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था [illegible]

ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत केन्द्रों पर भी संयुक्त खाते खोले जायेंगे। जिसका संचालन उ0प्र0सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार किया जाएगा। इन नियमों में कोई भी परिवर्तन राज्य शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा ही किया जा सकेगा। समस्त लेखा स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय नियमों के प्रवन्धन प्रणाली के सम्बन्ध में प्रथम वर्ष में प्रशिक्षण दिया जाएगा। समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयेाजित किये जायेंगे ।परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जायेगी जो प्रधान एवं प्रधानांध्यापक के पूर्व में खुले खातें में जायेगी।ग्राम शिक्षा समिति न्याय पंचायत समन्वयक ब्लाक समन्वयक प्राप्त धनराशि के दिये विवरण प्रतिमाह जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षणँ संस्थान को भेजी जायेगी ।सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलो को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डायग्राम

↓

राज्य परियोजना कार्यालय

↓

जिला परियोजना कार्यालय → बी आर सी एवं एन पी आर सी

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान → बी आर सी एवं एन पी आर सी

ग्राम शिक्षा समिति

अध्यापक

स्वंय सेवी संस्थायें

<u>सम्प्रेषण व्यवस्था</u> :-उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में सभी जनपदों में लेखे जोखे का प्रतिवर्ष स्वतंत्र सम्प्रेषण चार्टड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा जिसे राज्य परियोजना परिषद द्वारा तय किया जायेगा। भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जिलों के लेखे जोखे का आडिट महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा समय समय पर आन्तरिक सम्प्रेषण की व्यवस्था की जायेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना:-परियोजना का क्रियान्वन निर्धारित लक्ष्य एवं उददेश्यों के अनुरुप सुनिश्चित करने के लिये जिला स्तर पर जिला परियोजना अधिकारी उप जिला परियोजना अधिकारी जिला समन्वयकों विकास खंड परियोजना अधिकारियो एवं बी आर सी समन्वयको की आपसी बैटक आयोजित की जायेगी जिसमें योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की जायेगी उनके स्थानीय समाधान खोजे जायेगें डी पी ओ स्तर पर अनिस्तारित समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय को सन्दर्भित किया जायेगा । डायट स्तर पर प्राचार्य द्वारा ब्लाक समन्वयको की मासिक बैठके आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा कठिनाईयों पर फीडबैक प्राप्त किया जायेगा राज्य स्तरीय निर्देशों की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली बैठकों में अवगत कराया जायेगा तथा प्राप्त मार्ग दर्शन व निर्देशों से सम्बन्धित बी आर सी को अवगत कराया जायेगा समय समय पर पर्यवेक्षण कराया जायेगा तथा अनुश्रवण कार्यशालाये आयोजित की जायेगी जिनमें कार्यक्रम के प्रगति की जानकारी की जायेगी।

कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यकता एवं समय अनुसार समुदाय एवं जनप्रतिनिधियो का सहयोग लिया जायेगा।जनपद में कार्यक्रम की गतिविधियों एवं प्रगतियो से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ज़िला परियोजना की बैठक कर समस्त को अवगत कराया जायेगा तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनसाधारण को प्रगति से अवगत करातें हुये उनके सुझाव प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रत्येक माह से कम्प्यूटराइज्ड ई एम आई एस रिपोर्ट तैयार की जायेगी ।जिसका विश्लेषण कर निष्कर्षो के आधार पर कार्ययोजना के क्रियान्वयन में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। आगामी वर्ष की कार्ययोजना व बजट संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाईयों एवं प्राप्त विभिन्न इन्डीकेटर्स को ध्यान में रखतें हुये आगामी वर्ष के कार्य प्रस्तावित किये जायेगे

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलो को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु ध उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठया का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले कन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
J.P.Nagar

(In thousands)

	Heads/Sub Heads *Activity*	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		*2005-2006*		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	*Fin*	*Phy*	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	70	18130	0	0	5	1280	0	0	75	19410
A2	New Upper Primary Schools	451	22	9922	103	28840	0	0	5	1400	0	0	130	40162
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	66	7560	66	7920	66	7920	66	7920	66	7920	330	39240
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	70	945	70	1732.5	75	1856.25	75	1856.25	290	6390
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	70	3780	70	7560	75	8100	75	8100	290	27540
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	309	18540	309	37080	324	38880	324	38880	1266	133380
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	70	700	0	0	5	50	0	0	75	750
A8.2	UPS	50	42	2100	103	5150	0	0	5	250	0	0	150	7500
A9	TLE UPS not covered OBB	50	30	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1500
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**21082**	0	**84005**	0	**54492.5**	0	**59936.25**	0	**56956.25**		**276472**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	60	1267.5	66	1394.25	66	1394.25	0	0	192	4056
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary using all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	110	2323.75	110	2323.75	110	2323.75	110	2323.75	440	9295
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	46	1656	46	1656	46	1656	46	1656	184	6624
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	10	600	10	600	10	600	30	1800
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	19	3420	0	0	0	0	0	0	19	3420
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	48	1622.4	12	405.6	12	405.6	12	405.6	84	2839.2
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**21082.00**	0	**94294.65**	0	**61122.10**	0	**66565.85**	0	**62191.60**	**0**	**305256.20**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	10	1910	8	1528	9	1719	0	0	27	5157
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	4	1532	6	2298	5	1915	0	0	15	5745
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	50	3500	245	17150	300	21000	255	17850	850	59500
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	10	700	0	0	50	3500	90	6300	74	5180	224	15680
R4.1	Toilets Upper Primary	10	20	200	0	0	25	250	25	250	13	130	83	830
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	100	1000	150	1500	150	1500	63	630	463	4630
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	6	108	6	108	6	108	18	324
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	6	108	6	108	6	108	18	324
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	845	4225	911	4555	911	4555	916	4580	3583	17915
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	71	355	71	355	242	1210	242	1210	247	1235	873	4365
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as *Old Shiksha Mitra PS@2 25 pm*	2.25	0	0	0	0	672	16632	924	22869	1063	26309.25	2659	65810.25
R7.3	*Salary of Additional Teacher (PS)*	8	0	0	0	0	251	24096	389	37344	538	51648	1178	113038
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	672	9072	252	6237	139	3440.25	149	3687.75	1212	22437
R10.1	School Improvement grant(p.a /school) Ps	2	0	0	865	1730	911	1822	916	1832	916	1632	3608	7216
R10.2	School Improvement grant(p.a /school) UPs	2	71	142	151	302	242	484	247	494	247	494	[illegible]	1916
R12	**Promoting Girls Education**		0	2439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2439
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	30	135	30	135	30	135	90	405
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	3	225	3	225	3	225	9	675
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	5	125	5	125	5	125	15	375
R12 5	Trg /Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructo. + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.4	*Contigency(per center)*	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	100	280	100	280	100	280	300	840
R16.2	*Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)*	5	0	0	0	0	48	240	48	240	48	240	144	720
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	524	251.52	524	251.52	524	251.52	524	251.52	2096	1006.08
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	Special Interventions for *SC/ST children*	66.7	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711
R20	*Computer* Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	25	0	0	5000	10	600	10	600	10	600	55	6800
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1152	2880	1152	2880	1152	2880	3456	8640
	RETENTION Sub Total		0	**4647**	0	**28877.52**	0	**86214.6**	0	**109380.77**	0	**118528.52**	**0**	**347548.33**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	*Training Programmes*		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	70	147	130	273	144	302.4	149	312.9	493	1035.3
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	126	264.6	0	0	130	273	159	333.9	149	312.9	564	1184.4
Q1.3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	355	497	2893	4050.2	1792	2508.8	2189	3064.6	2727	3817.8	9956	13938.4
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) *UPS*	1.05	0	0	527	553.35	419	439.95	434	455.7	434	455.7	1814	1904.7
Q1.5	*In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)*	0.07	0	0	0	0	628	879.2	743	1040.2	743	1040.2	2114	2959.6
Q1.6	Induction Training of EGS & AiE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	6	4.2	6	4.2	6	4.2	18	12.6
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	48	33.6	48	33.6	48	33.6	144	100.8
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.10	ABSA/SDI *Trg.(/person for 5 days)*	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	200	1567	1880.4	1687	2024.4	1888	2265.6	2015	2418	7157	8788.4
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	*Pre Integrated Skills ICDS workers training*	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17 2 th /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0	0	0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	3053	1526.5	3556	1778	4884	2442	4000	2000	15493	7746.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	565	282.5	1247	623.5	1247	623.5	1262	631	1262	631	5583	2791.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	92550	4627.5	93680	4684	94300	4715	95310	4765.5	375840	18792
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	32760	4914	42270	6340.5	42850	6427.5	43250	6487.5	44650	6697.5	205780	30867
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	QUALITY Sub Total		0	**6158.1**	0	**19748.95**	0	**19959.15**	0	**21785.7**	0	**22499.3**		**90151.2**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0	0	0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0	0	0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0	0	0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	6	864	6	864	6	864	18	2592
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	6	396	6	396	6	396	18	1188
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	6	216	6	216	6	216	18	648
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	6	60	6	60	6	60	18	180
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	6	36	6	36	6	36	6	36	24	144
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	6	12	6	12	6	12	18	36
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	6	60	6	60	6	60	18	180
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	6	30	6	30	6	30	6	30	24	120
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	6	30	6	30	6	30	18	90
C2.11	Contigency	12.5	0	0	6	75	6	75	6	75	6	75	24	300
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	48	172.8	48	172.8	48	172.8	144	518.4
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	5	30	6	30	6	30	18	90
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3 2	*Salary Co-ordinator @12 for 12 mths*	12	0	0	0	0	48	6912	48	6912	48	6912	144	20736
C3 2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	*48*	*240*	48	240	48	240	144	720
C3 3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	192	192
C3.4	Contingency	2.5	0	0	48	120	48	120	48	120	48	120	192	480
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	48	115.2	48	115.2	48	115.2	48	115.2	192	460.8
C4	District Project Office/Management		0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	6	945	7	1260	7	1260	7	1260	27	4725
C4.3	Salary of AE	15	0	0	1	0	1	180	1	180	1	180	4	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	i	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.6	Books/Magazine/News papers - Worksho-Seminar	10	0	0	10	0	1	10	1	10	1	10	13	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	2	36	2	36	2	36	6	108
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	27	180	28	280	28	280	28	280	111	1020
C4.9	Consumaables	40	0	0	1	80	1	40	1	40	1	40	4	200
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	1	60	1	30	1	30	1	30	4	150
C4.11	Vehi: e Maintenarlce & POL	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.12	Pay to JE	10	0	0	13	360	10	1200	10	1200	10	1200	43	3960
C4.13	Hirinç of Vehicle	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	845	1183	839	1174.6	839	1174.6	839	1174.6	3362	4706.8
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	*1.4*	*113*	*158.2*	*71*	*99.4*	*278*	*389.2*	*278*	389.2	278	389.2	1018	1425.2
C4.16	Contingency	10	*0*	*0*	*12*	*100*	*1*	*10*	*1*	*10*	1	10	15	130
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	*10*	1	10	3	30
	Total		0	**848.2**	0	**3601.6**	0	**14206.8**	0	***14206.8***	*0*	***14206.8***		***47070.2***
C5	*MIS*		0	0	0		0		0		0			
C5.1	*MIS Cell Furnishing*	200	0	0	1	574	0	0	0	0	0	0	1	574
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip & Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**848.2**		**674**	0	**14730.8**	0	**14730.8**	0	**14630.8**	**0**	**49116.2**
	GRAND TOTAL		0	**32635.3**	0	**147096.72**	0	**182026.57**	0	**212463.12**	0	**217850.22**	**0**	**792071.93**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention **J.P.Nagar**

	2002-03	2003-04	20004-06	2005-06	2006-07	Total
Civil	10822.0	54912.0	26442.0	35580.0	24006.0	151762.0
Management	158.2	3177.4	5313.8	5313.8	5213.8	19751.0
Programme	21655.1	89007.3	150270.8	171569.3	188630.4	620558.9
Total	**32635.3**	**147096.7**	**182026.6**	**212463.1**	**217850.2**	**792071.9**
Percentage - Civil	**33.2**	**37.3**	**14.5**	**16.7**	**11.0**	**19.2**
Percentage - Management	**0.5**	**2.2**	**2.9**	**2.5**	**2.4**	**2.5**
Percentage - Programme	**66.4**	**60.5**	**82.6**	**80.8**	**86.6**	**78.3**
Percentage - Total	100	100	100	100	100	100